



असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त सरकारी प्रतिवेदन

19 फरवरी, 2024

सप्तदश विधान सभा

एकादश सत्र

सोमवार, तिथि 19 फरवरी, 2024 ई०

30 माघ, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाहन)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-7 (श्रीमती शालिनी मिश्रा, क्षेत्र संख्या-15, केसरिया)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये।

श्री सम्राट् चौधरी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : (1) आर्शिक रूप से स्वीकारात्मक। राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों के अधीन केन्द्रीय वेतमान एवं सेवाशर्तों को लागू किया गया है।

(2) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक-11.04.2023 के आदेशानुसार 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सभी केन्द्रीय कर्मियों को एक नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिनांक-11.04.2023 से दिये जाने से संबंधित केन्द्र सरकार का कोई निर्णय/आदेश उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में केन्द्र सरकार से अद्यतन स्थिति की जानकारी पत्र संख्या-1718, दिनांक-16.02.2024 द्वारा मांगी गयी है।

(3) इस संबंध में केन्द्र सरकार से सूचना प्राप्त होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके कार्यकाल के लिए बधाई देना चाहती हूं और आपके इस कार्यकाल में प्रश्नकाल का पहला मेरा प्रश्न आया है इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूं। माननीय वित्त मंत्री जी को भी बधाई देते हुए मैं यह जानना चाहती हूं कि उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार से अभी कोई निर्देश नहीं आया है, आदेश नहीं आया है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का डेट भी मैंने दी है जो 11.04.2023 है जिसका आदेश हम सब के लिए बाध्यकारी होता है उस पर सरकार का कोई उत्तर नहीं आया है तो मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश की कॉपी मंगाकर बिहार सरकार के कर्मियों को भी नोशनल इंक्रीमेंट देने का विचार रखती है ?

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो आग्रह किया है, जरूर उस ऑर्डर का अध्ययन करवाकर उसको देख लेता हूं कि राज्य सरकार उसमें क्या कर सकती है।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, एक और पूरक है। मैं बस यह जानना चाहती हूं कि कब तक आदेश मंगवाकर इसको बिहार सरकार के कर्मियों के लिए भी लागू कर देंगे?

अध्यक्ष : कब तक क्या होगा, यह तो हो ही जायेगा न, जब माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ हम उसको कराते हैं तो फिर क्या है?

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, मेरे प्रश्न पूछने के बाद दिनांक-16.02.2024 को चिट्ठी गयी है तो कब तक आदेश मंगाकर कर लेंगे? जल्द से जल्द करेंगे, यहीं आग्रह करते हुए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं।

अध्यक्ष : कुछ समय तो दीजिये न। समय दे दीजिये।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-8 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ उब्लू सिंह, क्षेत्र संख्या-221, नवीनगर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर): कंपनी रजिस्ट्रार, बिहार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इस संबंध में कोई स्पष्ट सूचना प्राप्त नहीं है। दिनांक-06.01.2023 तक बिहार राज्य में कुल 772 निधि कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। निधि कंपनियां, निधि (संशोधन) नियम, 2019 (जो कि 25 अगस्त, 2019 से प्रवृत्त हुई) से पहले अपने सदस्यों से डिपोजिट लेने के लिए अधिकृत थीं। निधि (संशोधन) नियम, 2019 प्रवृत्त होने के बाद 14 कंपनियों के खिलाफ डिपोजिट या निधि व्यवसाय चलाने की शिकायत प्राप्त हुई है।

स्वीकारात्मक। निधि (संशोधन) अधिनियम के अधीन निधि कंपनियों को एन0डी0एच0-4 फॉर्म भरना आवश्यक है। दिनांक-06.01.2023 तक बिहार राज्य में कुल 772 निधि कंपनियां रजिस्टर्ड हैं जिनमें से 649 कंपनियों ने आवेदन दाखिल नहीं किया है। अतः ये कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार गैर अनुपालन कंपनियां हैं।

निधि कंपनियों को बंद करने का फैसला भारत सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा लिया जाता है। कंपनी रजिस्ट्रार, बिहार द्वारा यह भी बताया गया है कि आर्थिक न्यायालय, पटना में निधि कंपनी के रूप में स्वयं को घोषित न करने पर 326 कंपनियों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज किया गया है। शेष 323 चूककर्ता निधि कंपनियों के विरुद्ध अपराधिक मामला दायर करने का काम प्रक्रिया में है।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आप इस आसन पर बैठे हैं सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से आपको बधाई देना चाहता हूँ...

अध्यक्ष : उस दिन कहां थे आप ? उस दिन नहीं थे आप ?

श्री राजेश कुमार : उस दिन नहीं थे, महोदय । उस दिन औरंगाबाद में भारत जोड़े न्याय यात्रा में हम लोग शामिल थे ।

अध्यक्ष : धन्यवाद ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि 649 कंपनियों में से मामला दायर करने के बाद उन पर कौन सी कार्रवाई हुई । दूसरा है कि फर्जी कंपनियों को सरकार बंद कराने हेतु भारत सरकार को कब तक अनुशंसा भेजने का विचार रखती है ?

श्री सप्ट्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर बताया है कि 326 कंपनियों के खिलाफ अपराधिक मामले दायर किये गये हैं शेष 323 चूककर्ता निधि कंपनियों के विरुद्ध अपराधिक मामले दायर किये जा रहे हैं । उसका इसी वित्तीय वर्ष में जल्द से जल्द निपटारा करेंगे ।

श्री राजेश कुमार : आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ लेकिन इसको शीघ्र करा देंगे सर, यह जनहित में है और भारत सरकार को इसकी अनुशंसा भेज दी जाय ।

अध्यक्ष : समय-सीमा तो बता ही रहे हैं, इसी वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं ।

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-115 (श्री नीतीश मिश्रा, क्षेत्र संख्या-38, झंझारपुर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग अथवा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा पूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर पर लोक संवेदना अभियान पखवारा मनाने की व्यवस्था नहीं है परन्तु विदित हो कि भारत सरकार द्वारा पूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसम्बर पर सुशासन दिवस आमजनों में जागरूकता एवं सरकार में जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्व से ही घोषित है । सुशासन के अंतर्गत ही लोक संवेदना अभियान चलाया जाता है जिसका मूल उद्देश्य निम्नवत है :

1. सरकारी कर्मियों के व्यवहार में संवेदनशीलता लाना ताकि वे जन प्रतिनिधियों एवं सामान्य जन से संवेदनशील रहें ।
2. विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आने वाले आगन्तुकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना जिससे उनका अनुभव सुखकर हो ।

साथ ही, शिकायत निवारण की व्यवस्था करना, नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले को पुरस्कृत करना, क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण दिया जाना, जिज्ञासा को सुदृढ़ किया जाना इसके उद्देश्य में सम्मिलित है ।

उक्त क्रम में शिकायत निवारण की व्यवस्था को नया आयाम देते हुए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 लागू किया गया, जिसके अंतर्गत डाक टॉल फ्री नं0-18003456284, ई-मेल, ऑनलाईन लोक शिकायत प्राप्ति केन्द्र के माध्यम से शिकायत लेने तथा निश्चित समय सीमा में सुनवाई कर निवारण की कार्रवाई की जा रही है । यह उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जन प्रतिनिधियों से प्राप्त आवेदनों/शिकायतों का भी निवारण कराया जाता है ।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले सिविल सेवा के पदाधिकारियों को सिविल सेवा दिवस आदि कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाता है ।

श्री नीतीश मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सौभाग्य है कि आपके कार्यकाल में पहला तारांकित प्रश्न पूछने का मुद्दको अवसर मिला ।

अध्यक्ष : आप सौभाग्यशाली हैं ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मैंने देखा है । मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा दिसंबर, 2014 में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से एक सर्कुलर निकाला गया था जो लोक संवेदना अभियान, उसमें मुख्यतः दो विषय थे उत्तर में भी आया है कि कैसे जनसामान्य के साथ सरकारी कार्यालयों में पदाधिकारियों का व्यवहार होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों के साथ और दूसरा, क्या जन सुविधाएं वहां उपलब्ध होनी चाहिए चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो या उनके लिए शौचालय हो या उनके बैठने की व्यवस्था हो । मेरा इस प्रश्न के माध्यम से यह आग्रह था कि श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, जिसको पूरे देश में सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है, पर इस सर्कुलर को पुनः उनकी जयंती के अवसर से फिर से वह लागू हो । क्योंकि वर्ष 2014 का यह सामान्य प्रशासन विभाग का सर्कुलर है । अष्ठम सत्र में भी मैंने प्रश्न किया था वह मंत्रिमंडल सचिवालय को चला गया जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रिमंडल सचिवालय को आग्रह किया कि आप यह लोक संवेदना अभियान पखवारा चलाने का निर्णय लें । आज मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जो उत्तर प्राप्त हुआ है, पूर्णतः जो सामान्य प्रशासन विभाग का उत्तर मुझे मिला था, वही है । इस प्रश्न के माध्यम से मेरा आग्रह सिर्फ इतना है कि सुशासन दिवस हम मनाते हैं लेकिन इसी सर्कुलर को फिर से लागू करने में

और इफेक्टिव्ली वह जनकल्याण के लिए लागू रहे उसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है । माननीय सदस्य तो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि उसी सर्कुलर को हम लोग फिर से लागू कर दें और माननीय सदस्य ने सुशासन दिवस पर जिन चीजों पर गौर करने के लिए पदाधिकारियों को निदेश दिया है उसमें माननीय सदस्य ने दो बातों की चर्चा की कि सरकारी कर्मियों के व्यवहार में संवेदनशीलता लाना और दूसरा है कार्यालय आने वाले आगन्तुकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना । महोदय, इसी में है कि साथ ही, शिकायत निवारण की व्यवस्था करना, नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले को पुरस्कृत करना, क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण दिया जाना, जिज्ञासा को सुदृढ़ किया जाना यह सब इसके उद्देश्य में है तो माननीय सदस्य का प्रश्न बिल्कुल सही है और ये जो चाहते हैं कि इसको फिर से एक बार जारी करके इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तो सरकार ऐसा करेगी महोदय ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय,..

अध्यक्ष : हो गया । अब क्या ?

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा पूरक है । लोक शिकायत के बावजूद यह पूर्णतः अलग विषय है । मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा कि भेजेंगे । सिर्फ यह लागू रहेंगे क्योंकि 10 वर्ष पूर्व भी यह निर्गत हुआ था लेकिन इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है कि यह जो सर्कुलर गया है इसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी व्यवस्था जरूर वे इसमें एड कर दें कि इसका पालन अक्षरशः सभी सरकारी कार्यालयों में हो । धन्यवाद अध्यक्ष महोदय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य चाहते हैं मॉनिटरिंग की व्यवस्था तो सरकार इन कार्यक्रमों के अनुश्रवण की भी व्यवस्था करेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-116 (श्री चन्द्रहास चौपाल, क्षेत्र संख्या-72, सिंहेश्वर (अ0जा0))

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत शंकरपुर बाजार में भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण बाजार हट कर करीब एक-डेढ़ किमी की दूरी पर मौजा-बेहरारी, थाना नं-244, खाता-1151, खेसरा-4640, रकवा-1 एकड़ सरकारी भूमि हस्तांतरित की गयी है । थाना भवन निर्माण हेतु खुदाई का कार्य प्रगति पर है । शंकरपुर बाजार में प्रायः पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहती है । बाजार से थाना की दूरी अधिक नहीं रहने के कारण यहां से

बाजार के भीड़-भाड़ इलाके को नियंत्रित किया जाएगा तथा थाना की दूरी कम होने के कारण आमजनों को भी थाना से संपर्क करने में सुविधा होगी ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है लेकिन उत्तर असत्य है जिस भी पदाधिकारी द्वारा दिया गया हो । पूरक है कि शंकरपुर बाजार जो है वहां प्रखंड मुख्यालय है वहां सरकारी अस्पताल बना है वहां लगभग 2 बीघा सरकारी जमीन उपलब्ध है और वहां भी थाना बनता तो निश्चित रूप से वहां की आम आवाम को बेनिफिट होता इसलिए उत्तर असत्य है इसकी पुनः जांच करवायी जाय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि वहां काम प्रारम्भ किया जा चुका है । एक-डेढ़ किलोमीटर पर सरकारी जमीन है वहां फाउंडेशन ले हो चुका है ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : महोदय, फाउंडेशन कौन-सी बड़ी बात है अभी तो शुरुआत ही है जहां पहले से थाना बना हुआ है वहां से बाजार 4 किलोमीटर दूर है तो एक बार पुनः जांच करवा ली जाय । वहां सरकारी भूमि उपलब्ध है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : ठीक है ।

अध्यक्ष : करा देंगे जांच ।

तारांकित प्रश्न संख्या-117 (श्री शकील अहमद खां, क्षेत्र संख्या-64, कदवा)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1. वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला अंतर्गत कदवा प्रखंड के धनगामा पंचायत के मौजा-विंद्यावाड़ी, थाना सं-219, खाता सं-102, खेसरा सं-110, रकवा-08.28ए0 भूमि आर0एस0 खतियान में बिहार सरकार गैरमजरूरआ आम किस्म कब्रिस्तान दर्ज है । उक्त कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है ।

2. कदवा थाना कांड सं-260/23, दिनांक-24.11.2023 दर्ज है ।
3. कॉडिका-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री शकील अहमद खां : महोदय, सबसे पहले मैं आपके इस्तकबाल में एक शेर से शुरुआत करना चाहता हूं कि :

“वो आये घर में खुदा की कुदरत है,
कभी हम घर को तो कभी उनको देखते हैं ।”

अध्यक्ष : और हम कभी आपको भी देखते हैं ।

श्री शकील अहमद खां : महोदय, यह जो जवाब आया है उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं । कारण क्या है ? या तो होम मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं वे ठीक से पढ़ें और

जवाब दें या फिर बैठा लें कभी हमको । यह कब्रों को खोदा गया या नहीं यह सवाल है ।

क्रमशः

टर्न-2/मुकुल/19.02.2024

..क्रमशः..

श्री शकील अहमद खां : महोदय, चूंकि एक कब्रिस्तान में जो 3 शव थे उनको निकालकर किसी का सर काटा गया, किसी का धर काटा गया, ये घटना घटी । यह तो अच्छी बात है कि वहां पर कोई और घटना न घटे इसके लिए समाज ने मिलकर के समाधान कर लिया । हम सब लोग वहां पर गये थे । पहली बात है कि यह घटना वहां पर घटी और एफ0आई0आर0 में उसका जिक्र भी है तो जवाब में भी उसका जिक्र होना चाहिए । अगर जवाब में उसका जिक्र नहीं होता है तो इसका मतलब है कि जवाब गोल-मटोल है । महोदय, माननीय मंत्री जी हमेशा कहते हैं, इनको अगर हम बोलेंगे तो ये डाट देंगे ।

अध्यक्ष : आप अपना पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री शकील अहमद खां : अध्यक्ष महोदय, सेंसेटिव के आधार पर यह और कितना सेंसेटिव मामला होगा ? वहां पर 3 लाश को निकालकर काट डाला गया और अभी तक उस कब्रिस्तान की घेराबंदी की शुरुआत नहीं हुई है और यह सिर्फ इसलिए कि वह कब्रिस्तान लिस्ट में नहीं है, ऐसे तो नहीं चलेगा । अगर कोई घटना घटती है तो फिर तुरन्त एक्शन होना चाहिए, यह मैं उम्मीद करता हूं और मैं समझता हूं कि पूरा सदन यह उम्मीद करता है ।

अध्यक्ष : शकील साहब, आप अपना प्रश्न पूछिए ।

श्री शकील अहमद खां : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न तो पूछ ही लिया कि कब तक माननीय मंत्री जी उस कब्रिस्तान की घेराबंदी करवा देंगे ।

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा यह घटना की गई है और उस पर एफ0आई0आर0 भी लॉज है । 260/23, दिनांक-24.11.2023 को एफ0आई0आर0 दर्ज है और कब्रिस्तान की घेराबंदी में कलेक्टर, एस0पी0 की एक कमेटी है । कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है । जहां पर आपस में विवाद हो, हिंदू, मुस्लिम का जो राइट का मामला है, ये मकसद है । घेराबंदी बारी-बारी से स्वीकृत होती है, लेकिन प्राथमिकता उसी को मिलती है जहां पर विवाद की बात हो, लेकिन यहां पर तो

चोरी का मामला है। इसमें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कब्र को खोदकर लाश को निकालने का काम किया गया है इसके लिए एफ0आई0आर0 लॉज है और इसकी जांच चल रही है।

श्री शकील अहमद खां : अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा सेंसेटिव मामला क्या हो सकता है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। आपके एस0पी0, डी0एम0, हमारे एस0पी0, डी0एम0 इसको सेंसेटिव नहीं मानते हैं क्या? वहां पर कोई घटना घट जाती, मजमा जमा था और कोई किसी के ऊपर आरोप लगा देता तो क्या होता तो जो हमारी कॉम्प्युनल हार्मोनी है, वह बिगड़ जाती।

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : एक मिनट। दिनांक-24.11.2023 को मामला दर्ज ही हुआ है, कितना महीना हुआ अभी? इसकी जांच चल रही है।

श्री शकील अहमद खां : सर, जांच का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि यह एक सेंसेटिव कब्रिस्तान है उसकी घेराबंदी करवा दी जाय।

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : एक मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए न।

अध्यक्ष : शकील साहब, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय सदस्य, विधायक कोष से भी इसको करवाया जा सकता है। हम डी0एम0 को कह देंगे, वे आपसे बात कर लेंगे।

श्री शकील अहमद खां : सर, इसके लिए हमें एक समय दे दिया जाय। हमको 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने का कोई समय दे दिया जाय। क्योंकि यह वार्कई में एक हृदय विदारक घटना है, इसको मान लिया जाय और इसकी घेराबंदी करवा दी जाय।

अध्यक्ष : अजय बाबू।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, यदि यह बात सही है कि कब्रिस्तान से 3 डेढ़ बॉडी को निकालकर के उसके गर्दन काटे गये तो इससे ज्यादा संवेदनशील मामला क्या हो सकता है? मैं समझता हूं कि अगर सरकार संवेदनशील है तो इसको प्राथमिकता के आधार पर इसकी घेराबंदी करनी चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने अभी कहा ही है कि अभी एफ0आई0आर0 दर्ज हुआ है।

श्री अख्तरुल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मामला यह है कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कलेक्टर और एस0पी0 जो रिपोर्ट करेंगे उसी को हम संवेदनशील मानेंगे और कहा कि विधायक भी घेराबंदी करवा सकते हैं। लेकिन विधायक का मामला यह है कि जो संवेदनशील कब्रिस्तानों की लिस्ट में नहीं है उसकी स्वीकृति योजना विभाग से नहीं की जाती है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको लिस्ट में शामिल कर लिया जाय।

अध्यक्ष : आप पहले मंत्री जी का जवाब भी सुन लीजिए। यह मामला दिनांक-23.11.2023 का है, सरकार ने आपको इसके बारे में बताया है और यह भी कहा है कि इसकी जांच हो रही है तो स्वाभाविक है कि अगर यह घटना सच है तो यह संवेदनशील तो हो ही जायेगा न।

श्री शकील अहमद खां : अध्यक्ष महोदय, यह घटना 100 फीसदी सच है, बिहार के किसी भी आदमी से पूछिएगा तो, केवल उसकी घेराबंदी होनी है। यह घटना सच है, वहां पर जाकर हजारों लोगों से पूछा जा सकता है।

अध्यक्ष : शकील साहब, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए न।

श्री शकील अहमद खां : अध्यक्ष महोदय, मुझे जांच से कोई इंकार नहीं है, लेकिन वह घटना किसने किया या जिस कब्रिस्तान में यह घटना घटी है तो उस कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी जाये तो वहां के लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सवाल इस बात का है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको जरा दिखवा लीजिए।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए।

अध्यक्ष : इसको कहां हल्के में लिया जा रहा है, न सरकार इसको हल्के में ले रही है और न हम इसको हल्के में ले रहे हैं।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम माइनोरिटी के लिए यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है।

अध्यक्ष : यहां पर माइनोरिटी और मेजोरिटी का सवाल नहीं है। किसी के साथ अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी जांच होनी चाहिए।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल है।

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेंद्र : अध्यक्ष महोदय, आसन से इस संबंध में निर्देश होना चाहिए।

अध्यक्ष : हमने निर्देश दे दिया है। माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लेंगे। अब आप बैठ जाइये।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : महबूब साहब हो गया है। अब आप बैठ जाइये।

तारांकित प्रश्न-118 (श्री कृष्णनंदन पासवान, क्षेत्र संख्या-13, हरसिंह)
(अ0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : स्वीकारात्मक।

स्वीकारात्मक ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है ।

उक्त कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है तथा अतिक्रमणमुक्त है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृष्णनंदन पासवान जी अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है । उत्तर में कहा गया है कि जिलाधिकारी के प्राथमिकता सूची में नहीं है इसलिए कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होगी । लेकिन वहां पर संवेदनशीलता को देखते हुए, दो समुदाय के बीच में हमेशा कुछ न कुछ झटके होती है, इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसको प्राथमिकता सूची में जोड़कर इस कब्रिस्तान की घेराबंदी कब तक करवायेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं इस संबंध में निर्देश दिया जायेगा । अगर इस तरह की बातें हैं तो जल्द ही उसको प्राथमिकता सूची में शामिल करके करवाया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न-119 (श्री अरूण सिंह, क्षेत्र संख्या-213, काराकाट)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अरूण सिंह जी अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर हमारे पास उपलब्ध नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग । उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में मूल रूप से बिक्रमगंज अनुमंडल में जिला अतिथि गृह या परिसदन बनाने की मांग की गई है । महोदय, सरकार की नीति के संबंध में सभी लोग और सदन अवगत है कि अभी तक हमलोग सिर्फ जिला मुख्यालयों में ही जिला अतिथि गृह या परिसदन बनाते हैं । इसलिए अभी बिक्रमगंज में तत्काल जिला अतिथि गृह या परिसदन बनाने की योजना नहीं है ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो अनुमंडल मुख्यालय है, वह 8 प्रखंड का मुख्यालय है, वहां कॉलेज है, हॉस्पिटल है और कोर्ट है और चूंकि वह अनुमंडल केन्द्र है तो वहां पर हर पार्टीयों की गतिविधियां भी होती हैं । वहां पर कोई ठहरने की जगह नहीं है, वहां पर बिस्कोमान भवन था जिसमें एक आई0बी0 था, वह भी पूरी तरह से जीर्ण-शीर्ण हो गया है । इसलिए वहां पर एक परिसदन बनाना बहुत जरूरी है । मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी तो केवल जिला में बना है न, अनुमंडल में बनेगा तो जरूर इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां पर पहले से बिस्कोमान का गेस्ट हाउस है लेकिन वह पूरी तरह से जीर्ण-शीर्ण है तो माननीय मंत्री जी से हम चाहते हैं कि ये या तो उसको बनवा दें या अलग से बनवा दें ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न-120 (श्री प्रणव कुमार, क्षेत्र संख्या-165, मुंगेर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : स्वीकारात्मक ।

स्व0 सोनेलाल यादव के आश्रित को अनुकम्पा का लाभ प्रदान करने हेतु दिनांक-23.02.2024 को जिला अनुकम्पा समिति, मुंगेर की बैठक निर्धारित की गई है । बैठक में इस विषय पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको सदन के माध्यम से हार्दिक बधाई देता हूँ । अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग से जो जवाब मिला है, मेरा दो थाने का दो घटनाक्रम का जिक्र है । एक घटनाक्रम है कोतवाली थाना कांड सं0-590/23 और दिनांक- 19.12.2023 को घटना हुई है । दिनांक-14.12.2023 को जो दूसरा घटना घटी है उसका जवाब दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, यह तो सारा जवाब गलत है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसके संदर्भ में स्पष्ट उत्तर दिया गया है । लेकिन ये कह रहे हैं कि यह पहले का मामला है तो हम चाहते हैं कि माननीय सदस्य उसके बारे में लिखकर दे दें हम इसको दिखवा लेंगे ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, जवाब गलत दिया गया है । दूसरी घटना के आरोपित को पकड़ा गया है उसके संदर्भ में जवाब दे दिया गया है ।

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : आप लिखकर हमें दे दें, हम इसको दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उनका कहना है कि चुनाव के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी और जवाब में वर्ष 2024 की चर्चा हुई है तो एक बार इसको दिखवा लीजिए, यह गंभीर बात है ।

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये लिखकर हमें दे दें हम इसको दिखवा लेंगे

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दें ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, ठीक है ।

तारांकित प्रश्न-121 (श्री सत्यदेव राम, क्षेत्र संख्या-107, दरौली (ओजा०))

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सत्यदेव राम । सत्यदेव जी, आप अपनी चिंता कीजिए न, कहाँ उधर चक्कर में आप पढ़ गये हैं ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, हमको उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य उत्तर देखे ही नहीं है । मैं उत्तर पढ़ देता हूँ ।

वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला अन्तर्गत एकमा थाना कांड सं0-468/23, दिनांक-02.11.2023 धारा-341/323/504/34 भा०द०वि० एवं 3 (1)(r)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत वादी धीरेन्द्र कुमार, पे०-स्व० लक्ष्मी माझी, ग्राम-राजापुर, थाना-एकमा, जिला-सारण के लिखित आवेदन के आधार पर प्रा० अभियुक्त 1. भरत यादव, 2. लालबाबू यादव, दोनों पे०-शिवनाथ यादव, साकिन-राजापुर, थाना-एकमा, जिला-सारण के विरुद्ध वादी को जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज एवं मारपीट करने के आरोप में अंकित कराया गया है ।

अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में आए तथ्यों के आधार पर उक्त कांड दोनों प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध सत्य पाया गया है । वर्तमान में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है ।

टर्न-3/यानपति/19.02.2024

अध्यक्ष : हो गया न, आप जो चाहते थे वह हो गया ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, अभी इतने दिनों में गिरफ्तारी नहीं हुई तो कबतक अनुसंधान जारी रहेगा यह मुझे पता नहीं । उसमें और जो मूल बात है, घटना की जो बुनियाद है वह है कि अनुसूचित जाति के लोगों का रास्ता आज बंद है ।

अध्यक्ष : वह तो हो गया न ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, यह गंभीर मामला है, रास्ता बंद है और पक्की सड़क पर भी वह घेराबंदी करके.....

अध्यक्ष : आपके प्रश्न में, सत्यदेव बाबू सुन लीजिए.....

श्री सत्यदेव राम : माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करें कि उनलोगों की कबतक गिरफ्तारी होगी और उनलोगों का रास्ता खुलेगा या नहीं ?

अध्यक्ष : केवल गिरफ्तारी, आपके प्रश्न में तो रास्ते की बात है नहीं ।

श्री सत्यदेव राम : गिरफ्तारी कबतक होगी ?

अध्यक्ष : कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई हो रही है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय देखा जाय, 21.11.2023 का मामला है और यह फरवरी है, अनुसंधान में तो वक्त लगता है कार्रवाई में, जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी ।

श्री सत्यदेव राम : कितने वर्ष लगता है महोदय, अनुसंधान का मामला है तो कितने वर्ष लगता है?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : यह वर्ष-2023 का मामला है और अभी 2024 है ।

अध्यक्ष : सरकार तीव्र गति से काम कर रही है ।

श्री सत्यदेव राम : 2023 के मामले में 2024 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ।

अध्यक्ष : हो गया न । जो आरोप हैं वह सत्य सिद्ध हुए हैं इसलिए गिरफ्तारी हो रही है उसीपर कार्रवाई हो रही है । आपकी बात को सरकार ने मान लिया है । आप बैठ जाइये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, लगता है कि माननीय सदस्य जो प्रश्न करते हैं उसको पढ़ते नहीं हैं, आप खुद क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि 21 नवंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई है, यह तो 24 का फरवरी है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : सर, एक सूचना पर खड़े हैं अभी हमारे दल के माननीय विधायक प्रह्लाद यादव जी की सीट इधर एलॉट है, माननीय विधायिका नीलम देवी का सीट इधर एलॉट है, हम देख रहे हैं कि उधर बैठे हुए हैं ।

अध्यक्ष : यह कौन सूचना है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : उनलोगों को आ जाना चाहिए इधर बैठने के लिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए, बिना अनुमति के नहीं बोलना है । श्री रामानुज जी आप बोलिये, सत्यदेव जी आप कृपया बैठिए, मान जाइये ।

(व्यवधान जारी)

शांति बनाए रखिए प्लीज ।

तारंकित प्रश्न संख्या-122 (डॉ रामानुज प्रसाद, क्षेत्र संख्या-122,

सोनपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, सारण जिला के सोनपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत दियारा इलाका यथा-बरियारचक, सिंधिनपुर तिवारी टोला, रमसापुर,

अकिलपुर, छितरचक, दूधिया एवं बतरौली गांव से 05 किमी0 के दायरे में कार्यरत ग्राहक सेवा केन्द्र निम्नलिखित है :-

क्रम	गांव का नाम	ग्राहक सेवा केंद्र का नाम	दूरी (किमी0)
1.	बरियारचक	सी0बी0आई0 सी0एस0पी0 हासिलपुर बाजार	1.5
2.	सिंघिनपुर	सी0बी0आई0 सी0एस0पी0 रसूलपुर	4
3.	रमसापुर	एस0बी0आई0 सी0एस0पी0 रसूलपुर	1
4.	तिवारी टोला	एस0बी0आई0 सी0एस0पी0 हासिलपुर	4
5.	अकिलपुर	सी0बी0आई0 सी0एस0पी0 अकिलपुर	0
6.	छितरचक	सी0बी0आई0 सी0एस0पी0 रसूलपुर	3
7.	दूधिया	सी0बी0आई0 सी0एस0पी0 हासिलपुर बाजार	3.5
8.	बतरौली	सी0बी0आई0 सी0एस0पी0 अकिलपुर	1

उपरोक्त ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से वहां के निवासियों को आवश्यक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

बैंक शाखा खोलने हेतु संबंधित बैंक ही सक्षम प्राधिकार हैं। मूलतः बैंक शाखा/आउटलेट खोलने का निर्णय बैंकों के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाता है।

अध्यक्ष: रामानुज जी, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए।

डॉ रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है कि सरकार ने अपने उत्तर में यह दिया है कि, मेरे सवाल को स्वीकारते हुए कि यहां जाम लगता है, लेकिन जाम लगने का कारण वह पुरानी गंडक पुल का पश्चिमी छोर संकीर्ण है, इसपर माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, आप जब पथ निर्माण मंत्री थे तब भी मैंने इस पुल के पश्चिमी छोर के चौड़ीकरण की बात की थी। आपके द्वारा आश्वासन हुआ था। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर उसके कारण जाम लग रहा है तो गृह विभाग की ओर से क्या पथ निर्माण विभाग को यह जाएगा कि इस पुल का चौड़ीकरण करवा दिया जाय उसके पश्चिमी छोर को। और दूसरा जो उत्तर में दिया गया है कि सरकार 5 लाख 23 हजार रुपया वसूली है तो जाम हटाने का क्या उपक्रम है यह नहीं बताया गया है।

अध्यक्ष : आप सड़क की बात कैसे कर रहे हैं, यह तो बैंक की शाखा को खोलने की बात है। आप किसी और प्रश्न का बोल रहे हैं।

डॉ रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब भी मिला हुआ है इसमें सरकार का उत्तर है कि सी0एस0पी0 काम कर रहा है लेकिन सी0एस0पी0 जिन इलाकों की बात

मैंने उठाई है वह चारों ओर से नदी से घिरा हुआ है, अकिलपुर और बरियारचक, छितरचक.....

अध्यक्ष : वह तो लिखा हुआ है, पूरक पूछिए ।

डॉ रामानुज प्रसाद : पूरक मेरा यही है कि वहाँ सी0एस0पी0 की मांग की गई है वह भी रसूलपुर में जो रसूलपुर गंगा के पार है, उत्तर की ओर है और मैं गंगा के दक्षिण की ओर की बात कर रहा हूँ । वह दियारा का इलाका है, वहाँ बैंक की कोई शाखा नहीं है, वहाँ के लोगों का दो पंचायत या तीन पंचायत के लोगों को या तो दानापुर आना पड़ता है या सोनपुर आना पड़ता है तो सरकार के उत्तर में है कि बैंक स्वतः खोलती है तो वित्त विभाग क्या सरकार की ओर से लिखने का काम करेगा कि बैंक अपनी शाखा खोले ।

श्री सप्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है वहाँ पर चार किमी0 के रेडियस में 8 सी0एस0पी0 सेंटर है तो हमको नहीं लगता है कि इसकी जरूरत है लेकिन इसके बावजूद यदि रामानुज जी यह बात उठा रहे हैं तो जरूर मैं इसकी जांच करा लेता हूँ, जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-123 (श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, क्षेत्र संख्या-224, रफीगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, (1) स्वीकारात्मक

(2) वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड के पंचायत चेव के नराईच एवं मदनपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत मदनपुर के दशवत्खाप में स्थित कब्रिस्तान के बगल में बसे ग्रामीणों (महादलित) के आवागमन के रास्ता को लेकर विवाद है । विवाद निस्तारण की प्रक्रिया की जा रही है ।

(3) कंडिका-2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : महोदय, सबसे पहले तो आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस आसन को ग्रहण किया है और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सुचारू रूप से सदन को चलाएंगे ।

मेरा पूरक यह है कि यह गृह विभाग से मेरा सवाल था कि नराईच कब्रिस्तान और दशवत्खाप के बगल में जवाब जो आया है उसमें है कि दलित की बस्ती है, एक के बारे में तो हम मानते हैं चूंकि हमने देखा है नराईच के बगल में

दलित की बस्ती है मगर वहां पर सी०ओ० ने एक साल पहले उसकी जांच करवाकर, डिमार्केशन करके हवाले कर दिए थे जवाब डी०एम० को, एक साल पहले भी मैंने सवाल उठाया था महोदय, और यही जवाब घिसा-पिटा हुआ आया था और आज उसी तरह का जवाब आया हुआ है आज की घटना यह है कि एक औरत का वहां देहांत हो गया, वहां कब्रिस्तान खोदने के लिए गया उसको रोक दिया गया, प्रशासन वहां पर मौजूद है, अगर घेराबंदी करा दी जाती तो इस तरह की घटना नहीं घटती तो यह तो पहला है। दूसरा है दशवत्त्वाप, दशवत्त्वाप के अगल-बगल कम से कम एकाध हजार मीटर की दूरी पर कोई बस्ती है ही नहीं सिवाय मदनपुर के दशवत्त्वाप वहां से आधा कि०मी०, एक कि०मी० से ज्यादा दूरी है बीच में फोरलेन है जी०टी० रोड इसलिए यह जवाब बिल्कुल जो सरकार का आया हुआ है डी०एम० के यहां से या जिससे भी मंगवाया है माननीय मंत्री महोदय, यह बिल्कुल गलत है। इसीलिए हम चाहेंगे कि सदन के माध्यम से सदन की कमेटी से जांच कराई जाय। मैं निवेदन समिति के सभापति की हैसियत से गया हुआ था, हमलोगों ने दोनों जगह स्थल को देखा है और उसमें मैंने रिपोर्ट भी पेश की है शायद ले भी हुआ है इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जवाब बिल्कुल गलत है और दूसरा में यह विवाद खड़ा हो गया है। क्या आप दोनों जगह जल्द से जल्द इसकी घेराबंदी करके मामले का निपटारा करेंगे।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की जो आकांक्षा है उसके अनुसार निर्देश दिया जाएगा कि जल्द से जल्द उसका निपटारा करके मामले को सुलाया जाय।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : मैंने एक साल पहले भी सवाल उठाया था, आपने जवाब दिया था कि जल्द से जल्द, आप इसमें टाइम बता दीजिए कि कबसे इसमें घेराबंदी का काम लगाएंगे ताकि हमलोग भी इत्मीनान हो जाएं और हम चाहेंगे कि अभी तुरंत वहां के एस०पी० से सरकार बात करे कि वहां पर कब्रिस्तान में उस मैयत को दफनाया गया या नहीं।

अध्यक्ष : ठीक है। माननीय सदस्य श्री कृष्णनंदन पासवान जी।

तार्कित प्रश्न संख्या-124 (श्री कृष्णनंदन पासवान, क्षेत्र संख्या-13, हरसिंह)
(अ०जा०))

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, (1) स्वीकारात्मक

(2) अस्वीकारात्मक

(3) कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है ।

उक्त कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है तथा अतिक्रमणमुक्त है ।

टर्न-4/अंजली/19.02.2024

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जिलाधिकारी के प्राथमिकता सूची में जोड़कर घेराबंदी करावें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग । श्री कृष्णनंदन पासवान जी को कुछ जानना है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, ठीक है इसको दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नारायण प्रसाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-125 (श्री नारायण प्रसाद, क्षेत्र सं0-6, नौतन)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री अजय यादव ।

तारांकित प्रश्न सं0-126 (श्री अजय यादव, क्षेत्र सं0-233, अतरी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मोहम्मद कामरान

तारांकित प्रश्न सं0-127 (श्री मोहम्मद कामरान, क्षेत्र सं0-238, गोविंदपुर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में जिला/अनुमंडल/प्रखंड/अंचल के पुनर्गठन हेतु “मंत्रियों के समूह” का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है, साथ ही मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु “सचिवों की समिति” गठित है । सचिवों की समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से “सचिवों की समिति” के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है । प्रस्ताव भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है ।

इस प्रकार रोह प्रखंड को नवादा अनुमंडल से संबंद्ध करने हेतु उक्त विहित रीति से प्रमंडलीय आयुक्त के अनुशंसा के साथ जिला पदाधिकारी से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई किया जाना सम्भव होगा ।

माननीय मुख्यमंत्री की विभिन्न जिलों की निश्चय यात्रा के दौरान स्पष्ट हुआ कि कई जिलों में प्रखंड/अंचल/पुलिस थाना की सीमाओं में एकरूपता नहीं रहने के कारण जनसाधारण को अपनी समस्याओं के समाधान के लिये अलग-अलग जाना पड़ता होगा। इसके साथ ही कुछ जिलों की पुलिस जिला तथा राजस्व जिलों की सीमाओं में भी समानता नहीं है। भौगोलिक कारणों से कुछ जिलों की सीमाएं नदी के दोनों किनारों पर अवस्थित हैं। इन कारणों से आमजनों को जिला मुख्यालय में सरकारी कामों से आने जाने में कठिनाइयां होती हैं। साथ ही, प्रशासनिक कार्यों में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उपर्युक्त प्रकार की स्थिति रहने पर मुख्य सचिव के स्तर से विभागीय पत्रांक-1287, दिनांक-03.02.2017 द्वारा सभी जिला अधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक को सम्मिलित रूप से बैठक कर प्रखंड/अंचल/थाना की सीमाओं में सुधार और निकट के जिलों के साथ जिलों की सीमाओं में सुधार हेतु आवश्यक प्रस्ताव/अनुशंसा तैयार कर उसे प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया है।

दिनांक-08.02.2017 को सचिवों की समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्य सचिव, बिहार की ओर से निर्गत पत्रांक-1287, दिनांक-03.02.2017 के आलोक में आवश्यकतानुसार सीमाओं में परिवर्तन किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुरूप संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी से पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्राप्त कर सचिवों के समिति के समक्ष विचारार्थ उपस्थापित करने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को उपलब्ध कराया जाय। इस हेतु विभागीय पत्रांक-2813, दिनांक-07.03.2017, 4603, दिनांक-19.04.2017, 7501, दिनांक-19.06.2017 एवं 9800, दिनांक-24.07.2018 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस आरक्षी अधीक्षक को स्मारित भी किया गया है।

अध्यक्ष: उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये।

श्री मोहम्मद कामरान : महोदय, पहले आपको बधाई देते हुए मैं पूरक पूछता हूं। महोदय, जो जवाब आया है उसमें पहली चीज कही गयी है कि डी0एम0, नवादा से इसकी अनुशंसा प्राप्त होने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। महोदय, यह हम सब लोगों के लिए एक विचारणीय है कि हमको अगर यहां से हाजीपुर जाना है तो हमको पूरा मोकामा होते हुए, बेगूसराय होते हुए तब हम हाजीपुर जाएं या जब उपलब्ध है यहां से सीधा जाने का रास्ता, हाजीपुर जाने का तो यह जो रोह प्रखंड है यह मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर है सदर अनुमंडल के और हमलोगों को

सदर अनुमंडल होकर, सदर अनुमंडल से दूसरी गाड़ी पकड़कर फिर रजौली अनुमंडल जाना पड़ता है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये।

श्री मोहम्मद कामरान : महोदय, पूरक यही है कि जब यह पूरा साफ है, सब को समझ में आ रहा है तो इसको कृपया जल्दी कराने का, जवाब की जगह अनुशंसा की बात की गई है तो उसमें भी मैं जवाब देता हूं कि पत्रांक-208, दिनांक-17.12.2023 को जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा यह प्रस्ताव दे दिया गया है सामान्य प्रशासन विभाग को तो मैं माननीय मंत्री जी से यही आग्रह करूँगा कि अभी...

अध्यक्ष : आग्रह करना है या जानना चाहते हैं?

श्री मोहम्मद कामरान : नहीं, जानना चाहते हैं महोदय। धन्यवाद आपको, ऐसे ही गाइडलाइंस चाहिए था हमलोगों को, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कब तक इसको कराने का, अगर इसी वित्तीय वर्ष में करा दें तो बहुत-बहुत धन्यवाद होगा।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय सदस्य के पूरक जानकारी लेने या सुझाव को, आग्रह को आपने पूरक प्रश्न में परिवर्तित करा दिया।

अध्यक्ष : सदस्यों के संरक्षक हैं हम।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : इसके लिए आसन को धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो कहा है जरूर सरकार उसको गंभीरता से देखेगी। आपने उत्तर का केवल बाद बाला खंड पढ़ा, जो समाहर्ता से वे कमिश्नर के माध्यम से प्रस्ताव आने पर हमलोग विचार करेंगे। उसके पहले उसकी पूरी प्रक्रिया इसमें वर्णित है कि वहां से प्रस्ताव आएगा तब सचिवों का, सेक्रेटरीज की एक कमिटी है, वह उसको एग्जामिन करती है फिर एक मंत्रियों का समूह है वह देखता है फिर सरकार चूंकि यह एक तरह से प्रखंडों/अनुमंडलों या जिलों के पुनर्गठन का मामला है। कुछ पंचायत अगर इस प्रखंड से निकलकर दूसरे जाते हैं, माननीय सदस्य जो कठिनाई की बात कहते हैं हम उससे इंकार या उसको नकार नहीं रहे हैं हो सकता है ऐसी स्थिति हो लेकिन अभी हमलोग जरूर उनसे रिपोर्ट मंगा लेते हैं और जब इस पर सम्यक निर्णय लिया जाएगा उसमें निश्चित विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गया। इतना बढ़िया जवाब आ गया।

श्री मोहम्मद कामरान : जी-जी, बहुत सकारात्मक जवाब है। इसमें हमारी परेशानी सिर्फ इतनी ही थी कि पहले उतनी जरूरत नहीं पड़ती थी लेकिन जब बिहार सरकार और हमारे माननीय नेता श्री तेजस्वी जी और उस वक्त की सरकार जब नौकरियां देने

लगीं तो युवाओं को इसकी जरूरत ज्यादा पड़ रही है और युवा बेरोजगार जब रहते हैं...

अध्यक्ष : सरकार को पता है न ।

श्री मोहम्मद कामरान : मैं इतना ही कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा तो यह बहुत बड़ा संघर्ष लोग करते आ रहे हैं ।

अध्यक्ष : आपकी बात से इंकार नहीं किया है माननीय मंत्री जी ने लेकिन उसका जो प्रोसेस है उसको तो पूरा करना पड़ेगा न । जब सहमति है तो चिन्ता क्या है ।

श्री मोहम्मद कामरान : जी बिल्कुल महोदय ।

अध्यक्ष : बैठिये-बैठिये ।

श्री मोहम्मद कामरान : चूंकि लंबा संघर्ष चला आ रहा है, कई लोग गुजर गये हैं जो यह संघर्ष कर रहे थे । माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हुए कि इसको जल्दी करा दें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ रामानुज प्रसाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-128 (डॉ रामानुज प्रसाद, क्षेत्र सं0-122, सोनपुर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : महोदय, सारण जिला के सोनपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दियारा इलाका यथा-बरियारचक, सिंधिनपुर, तिवारी टोला, रमसापुर, अकिलपुर, छितरचक, दूधिया एवं बतरौली गाँव से 05 किलोमीटर के दायरे में कार्यरत ग्राहक सेवा केन्द्र निम्नलिखित हैं-

क्र.	गाँव का नाम	ग्राहक सेवा केन्द्र का नाम	दूरी (कि0मी0)
1.	बरियारचक	CBI CSP हासिलपुर बाजार	1.5
2.	सिंधिनपुर	CBI CSP रसूलपुर	4
3.	रमसापुर	SBI CSP रसूलपुर	1
4.	तिवारी टोला	SBI CSP हासिलपुर	4
5.	अकिलपुर	CBI CSP अकिलपुर	0
6.	छितरचक	CBI CSP रसूलपुर	3
7.	दूधिया	CBI CSP हासिलपुर बाजार	3.5
8.	बतरौली	CBI CSP अकिलपुर	1

उपरोक्त ग्राहक सेवा केन्द्र के माध्यम से वहाँ के निवासियों को आवश्यक बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं ।

बैंक शाखा खोलने हेतु संबंधित बैंक ही सक्षम प्राधिकार है । मूलतः बैंक शाखा/आउटलेट खोलने का निर्णय बैंकों के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाता है ।

डॉ० रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सरकार का जवाब है उसमें है कि पुरानी गंडक पुल के पश्चिमी छोर संकीर्ण है उसकी वजह से जाम लगा करता है। तो क्या सरकार यह जो पश्चिमी छोर संकीर्ण है पुरानी गंडक पुल का जिससे हमारा पूरा सोनपुर मेला लगता है और पूरा का पूरा जाम हो जाता है, पूरा सोनपुर का आवागमन जाम होता है और एक घंटा/दो घंटा नहीं, दिन-दिन भर लोग जाम में फँसे रहते हैं, मरीज फँसता है तो उसको चौड़ीकरण की सरकार की योजना है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने कहा कि हम वहां से पैसा वसूल करते हैं जाम लगाने वाले से, 5 लाख 23 हजार वसूल किये हैं तो यह कहीं से न्यायोचित जवाब नहीं है। मैंने कहा है जाम लगता है, जाम हटाने की बात सरकार करे। तो क्या माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहेंगे कि सरकार जाम हटाने के उपकरण के तहत कौन सी कार्रवाई करना चाहती है और करना चाहती है तो कब तक ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इनका मामला गोल-मटोल है। ये कह रहे हैं कि पुल संकीर्ण है तो संकीर्ण का काम गृह विभाग देखता नहीं है, यह आप पी०डब्लू०डी० या आर०सी०डी० से करिये और जहां तक जाम का प्रश्न है हमलोग भी तो आते-जाते हैं वैसी स्थिति नहीं है। कहीं कभी-कभी गड़बड़ी होती है तो कार्रवाई की ही जाती है। मैंने तो कहा कि पांच लाख वसूल किया गया है। हमलोग भी उसी रोड से होकर जाते हैं, चिंता की जरूरत नहीं है। ऐसी नहीं कि अनहोनी बात है। हमने देखा नहीं है, हमलोग भी अपने घर में जाते हैं तो उसी रोड से होकर जाते हैं।

डॉ० रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इन लोगों का भी इंट्रेंस-एग्जिट वही है लेकिन ये नई गंडक पुल बोलता है।

अध्यक्ष : हम जाते हैं, हम तो देखे ही हैं।

डॉ० रामानुज प्रसाद : महोदय, आपके संज्ञान में है कि पुरानी गंडक पुल की बात मैं कर रहा हूं। आप तो हमेशा आते-जाते हैं।

अध्यक्ष : एक बात रामानुज जी, आपका जो प्रश्न है, मुझे भी लगता है कि गृह विभाग से क्यों करते हैं प्रश्न आप ?

डॉ० रामानुज प्रसाद : हम गृह विभाग से नहीं कर रहे हैं, गृह विभाग ने अपने जवाब में इसको उद्धृत किया है...

अध्यक्ष : आप गृह विभाग से क्यों प्रश्न किये ?

डॉ० रामानुज प्रसाद : मैं तो पथ निर्माण से ही पूछा था । आप ही तत्काल पथ निर्माण मंत्री थे माननीय अध्यक्ष महोदय, तब भी मैंने यह सवाल उठाया था आपने कहा था कि इसको दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : वह विषय नहीं है, विषय है कि प्रश्न तो गृह विभाग से जुड़ा हुआ है नहीं ?

डॉ० रामानुज प्रसाद : महोदय, विषय है कि जाम लगता है हमने जो सवाल उठाया है वह है कि जाम लगता है सरकार ने अपने जवाब में यह उद्धृत किया है कि...

अध्यक्ष : आप एक काम कीजिए रामानुज जी, जाम का क्या निदान हो सकता है यह समझकर चूंकि आप बेहतर समझ सकते हैं...

डॉ० रामानुज प्रसाद : महोदय, वही...

अध्यक्ष : सुन लीजिए न, पूरी बात सुन लीजिए । आप जनप्रतिनिधि हैं, बेहतर समझ भी सकते हैं । क्या निदान हो सकता है, इस संबंध में एक पत्र लिखिए सरकार को और तब उसके बाद प्रश्न करिये कि क्यों नहीं हो रहा है ? तब बेहतर होगा, काम हो सकेगा आपका ।

डॉ० रामानुज प्रसाद : महोदय, सरकार ने अपने जवाब में कहीं कोई स्पष्ट यह नहीं किया है कि हम जाम कैसे हटाएंगे । सरकार ने कह दिया कि यह जो पुल संकीर्ण है पहला का ही उत्तर है, दूसरे में कह दिये कि हम जाम लगाने वाले से वसूली करते हैं, तो वसूली करवाना हमारा ध्येय नहीं है, जाम कैसे हटे यह हमारा है और पथ निर्माण विभाग को हम कहते हैं गृह विभाग अनुशंसा करे । पथ निर्माण विभाग से मैं उठा चुका हूँ । बल्कि हमेशा उठाता रहता हूँ ।

अध्यक्ष : ऐसा नहीं है । रामानुज जी । आप जो विषय चाहते हैं उस विभाग से करियेगा न ।

डॉ० रामानुज प्रसाद : विभाग से कर चुका हूँ ।

अध्यक्ष : मेरा आग्रह यही है कि अगर आप समाधान चाहते हैं...

डॉ० रामानुज प्रसाद : महोदय, मैंने तो यह समझ कर किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी देखते हैं गृह विभाग को, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर तो सभी विभाग हैं । हम सुन रहे हैं कि अलग-अलग मंत्रियों का अलग-अलग...

अध्यक्ष : आप तो पुराने मेंबर हो गए तब भी यह बात बोलते हैं । आप सब बात जानते हैं तब भी यह बात बोलते हैं, कैसे होगा ? संबंधित विभाग से प्रश्न कीजिए ।

डॉ० रामानुज प्रसाद : महोदय, सब जानते हैं इसलिए तो बोल रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देशित करें पथ निर्माण विभाग को कि इस पुल की जो संकीर्णता है वह दूर की जाए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिए । माननीय सदस्य श्रीमती मंजु अग्रवाल जी ।

तारांकित प्रश्न सं0-129 (श्रीमती मंजु अग्रवाल, क्षेत्र सं0-226, शेरघाटी)

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग । मंजु अग्रवाल जी का प्रश्न है ।
अगर उत्तर है तो पढ़ दीजिए ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, इसपर गृह विभाग से हमलोगों को पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे ही प्राप्त होता है हम जवाब दे देंगे । अगली तारीख को करेंगे ।

अध्यक्ष : स्थगित हुआ । माननीय सदस्य श्री बागी कुमार वर्मा जी ।

तारांकित प्रश्न सं0-130 (श्री बागी कुमार वर्मा, क्षेत्र सं0-215, कुर्था)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-131 (श्री विद्या सागर केशरी, क्षेत्र सं0-48, फारबिसगंज)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी जी । उत्तर मिल गया है पूरक पूछिये ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, मुझे उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा संसूचित किया गया है कि फारबिसगंज प्रखंड के भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जोगबनी नगर परिषद के क्षेत्र में नो मेंस लैंड पर अतिक्रमण कर अवैध बसावट एवं दूकान बनाने वाले कुल 208 अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण वाद सं0-11/2022-23 संधारित कर विधिवत सूचना तामिल कराया गया है । तदोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फारबिसगंज के द्वारा संयुक्त रूप से दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करते हुए दिनांक-11.05.2023 को नो मेंस लैंड की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है ।

टर्न-5/आजाद/19.02.2024

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर आया है, वह पांचवें महीने का उत्तर आया है । अभी आप खुद से जाँच करवा लिया जाय । नो मेंस लैंड के दोनों तरफ मतलब जोगबनी नगर परिषद् के क्षेत्र के दोनों ओर भारी तादाद में लोग बसावट बनाकर के.....

अध्यक्ष : यानी फिर से हो गया है ।

श्री विद्या सागर केशरी : जी, अभी 5-6 महीना में, वो लोग तात्कालिक उसमें बनाते हैं और उससे मानव तस्करी और मादक तस्करी का राष्ट्र विरोधी ताकत लोग इसका उपयोग करते हैं नो मेंस लैंड के जरिए । इसलिए हम चाहते हैं कि नगर परिषद्

क्षेत्र सुरक्षित रहे, राष्ट्र विरोधी ताकत, लॉ एंड ऑर्डर की जो गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस जो जाती है रोगियों को लेकर के, वैसे लोगों को ले जाने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ता है और भारी जाम की स्थिति बनी रहती है। इसलिए हम चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि नो मेंस लैंड जो नगर परिषद् के क्षेत्र के दोनों ओर

अध्यक्ष : हो गया। माननीय मंत्री जी।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, इसको फिर से देखवा लेते हैं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया, इसको देखवा लेंगे।

श्री विद्या सागर केशरी : धन्यवाद, महोदय।

तारांकित प्रश्न सं0-132(श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन,क्षेत्र सं0-224,रफीगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री सप्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : 1. आंशिक स्वीकारात्मक।

औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखण्ड मदनपुर के पंचायत पिरवां के ग्राम परसडीह से 05 कि0मी0 के अंदर निम्नलिखित ग्राहक सेवा केन्द्र कार्यरत है -

क्र0	ग्राहक सेवा केन्द्र एवं बैंक का नाम	दूरी(कि0मी0)
1.	DBGB नवडीहा	3.5
2.	SBI नवडीहा	3.5
3.	इंडियन बैंक नवडीहा	3.5
4.	PNB नवडीहा	3.5
5.	PNB पिरवां	2.0

परसडीह ग्राम से 6 कि0मी0 की दूरी पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक भरौदा शाखा (गया जिला) एवं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की कासमा शाखा कार्यरत हैं।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत पिपरौरा में 2 से 2.5 कि0मी0 की दूरी पर इंडियन बैंक की उचैली शाखा एवं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा कार्यरत है।

पिपरौरा से 5 कि0मी0 के अंदर निम्नलिखित ग्राहक सेवा केन्द्र कार्यरत हैं :

क्र0	ग्राहक सेवा केन्द्र एवं बैंक का नाम	दूरी(कि0मी0)
1.	PNB पपरौरा	0
2.	इंडियन बैंक उचैली	2-2.5
3.	इंडियन बैंक उधम बिगहा	3
4.	PNB एवं SBI वार	2
5.	PNB बहेरी खाप	2-2.5

उपरोक्त बैंक शाखाओं एवं ग्राहक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवश्यक बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं।

2. कॉडिका-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

3. बैंक शाखा खोलने हेतु संबंधित बैंक ही सक्षम प्राधिकार हैं। मूलतः बैंक शाखा/आउटलेट खोलने का निर्णय बैंकों के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाता है।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, उत्तर है, मिल चुका है और हम देख भी चुके हैं।

हम सिर्फ माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाह रहे हैं कि कहीं भी बैंक की जो शाखा है, उसको खोलने के लिए जिस बैंक की जो पहले से वहां मौजूद है, दूसरे जगह कितनी दूरी पर बैंक की शाखा को खोला जा सकता है?

श्री सप्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, बैंक पूरी तरह से ऑटोनोमस होता है, वह अपने सक्षम प्राधिकार के तहत करता है। लेकिन हमलोग सुझाव दे सकते हैं। आपने जो दिया है, उसमें दो पंचायतों का नाम दिया है, उसकी जॉच हमलोगों ने किया है, 4 कि0मी0 के रेडियस में दोनों पंचायत है, कहीं 4, कहीं 5 सी0एस0पी0 सेंटर उपलब्ध है। लेकिन इसके बावजूद मैं इसको देखवा लेता हूँ, जॉच करवा लेता हूँ और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर वहां पर बैंक को खोलना चाहिए।

तारंकित प्रश्न सं0-133(श्री संतोष कुमार मिश्र,क्षेत्र सं0-209,करगहर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारंकित प्रश्न सं0-134(श्री राकेश कुमार रौशन,क्षेत्र सं0-174,इस्लामपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारंकित प्रश्न सं0-135 (श्री भीम कुमार सिंह,क्षेत्र सं0-219,गोह)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत हसपुरा प्रखंड के ग्राम रघुनाथपुर तथा ग्राम गहना स्थित कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए।

श्री भीम कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्राथमिकता सूची में जोड़ने के लिए कब्रिस्तान को जनप्रतिनिधियों या माननीय विधायकों से अनुशंसा देने पर उसको तत्काल घरवाया जा सकता है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय सदस्य, एक विस्तृत विवरण के साथ आप अनुशंसा कर दीजिए, हम जिला पदाधिकारी को निर्देश दे रहे हैं, अगर वह संवेदनशील होगा तो कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-136(श्री राज कुमार सिंह,क्षेत्र सं0-144,मटिहानी)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1. वस्तुस्थिति यह है कि यह सड़क बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-8 वाहिनी के परिसर के बीचो-बीच है, जो वाहिनी के उपयोग के लिए बना है । यह सड़क आमजनों के लिए नहीं है । इसका उपयोग ग्रामीण को आवश्यकतानुसार एलाऊ किया जाता है ।

गांव के लोगों के आवागमन की समस्या के निराकरण हेतु वाहिनी परिसर की चाहर दिवारी के समीप बाहर की तरफ 15 फीट सड़क निर्माण करने हेतु जमीन छोड़ा गया है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-8 के प्रागंण में अवस्थित शस्त्रागार की दूरी वाहिनी के अन्दर निर्मित सड़क से मात्र 50 मीटर होने के कारण एवं बल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आम लोगों के उपयोग हेतु नहीं दिया जा सकता है ।

3. उपर्युक्त कंडिका-1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-8 वाहिनी के चाहरदीवारी के सटे बाहर स्थानीय ग्रामीणों के उपयोग हेतु बनाये गये रास्ते (सड़क) के पक्कीकरण हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राज कुमार सिंह ।

श्री राज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सदन को व्यवहारिक रूप से संचालित करने के लिए आज आपका प्रथम दिवस है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामना। इस प्रथम दिवस पर मुझे भी आज भौतिक रूप से प्रश्नगत होने का अवसर आपके माध्यम से मिला है, इसके लिए आभार ।

अध्यक्ष : इसमें भौतिक रूप से क्या होता है ?

श्री राज कुमार सिंह : भौतिक जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ ।

अध्यक्ष : बिना भौतिक कुछ होता है क्या ?

श्री राज कुमार सिंह : महोदय, अन्य समय में तो जवाब मिलता है और उसको हमलोग पढ़ते हैं।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए।

श्री राज कुमार सिंह : महोदय, दुःख की बात है, सवाल मेरा कुछ और था और जवाब कुछ और आया है। सवाल मैंने मात्र इतना किया था कि बी०एम०पी० के अन्तर्गत पड़ने वाले 200 फीट की सड़क जो है, वह काफी जर्जर अवस्था में है, लेकिन जवाब आया कि यह सड़क आमजनों के उपयोग के लिए नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ और माननीय मंत्री जी का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि यह सड़क पूरी तरह से आम लोगों के उपयोग में रहता है, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत है, मैं भी इसी सड़क का उपयोग करता हूँ। यह सड़क आम सड़क है, इसकी बानगी यह भी है कि इसी जर्जर सड़क के किनारे में एक दुर्गा माता का मंदिर है, जिसका आम लोग उपयोग करते हैं। इसी सड़क के जर्जर खंड के 10-15 मीटर की दूरी पर बी०एम०पी० द्वारा एक विवाह भवन का संचालन किया जाता है, जो शुल्क

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए।

श्री राज कुमार सिंह : महोदय, इसीलिए कि जब सवाल कर दूँगा तब माननीय मंत्री जी को इसका जवाब देने में आसानी हो जायेगी। उस विवाह भवन का उपयोग भी शुल्क के आधार पर बी०एम०पी० करती है, इसलिए यह तो तय है कि यह सड़क आम है और अगर इसका वाहिनी के लिए उपयोग किया जाता है और उसको जर्जर अवस्था में रखना कहीं से भी प्रासंगिक नजर नहीं आता है। इसलिए मेरा सिर्फ माननीय मंत्री जी से यही आग्रह है कि इस जर्जर खंड का निर्माण बी०एम०पी० स्वयं करा दे या हम विधायकों को दे दे ताकि हम इसको अपने ही फंड से इसका निर्माण करा दें।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, जो उत्तर आया है- वस्तुस्थिति यह है कि यह सड़क बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-8 वाहिनी के परिसर के बीचो-बीच है, जो वाहिनी के उपयोग के लिए बना है। यह सड़क आमजनों के लिए नहीं है। इसका उपयोग ग्रामीण को आवश्यकतानुसार एलाऊ किया जाता है।

गांव के लोगों के आवागमन की समस्या के निराकरण हेतु वाहिनी परिसर की चहार दिवारी के समीप बाहर की तरफ 15 फीट सड़क निर्माण करने हेतु जमीन छोड़ा गया है।

2. वस्तुस्थिति यह है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-8 के प्रागंण में अवस्थित शस्त्रागार की दूरी वाहिनी के अन्दर निर्मित सड़क से मात्र 50 मीटर होने के कारण

एवं बल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आम लोगों के उपयोग हेतु नहीं दिया जा सकता है।

3. उपर्युक्त कॉडिका-1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-8 वाहिनी के चाहरदीवारी के सटे बाहर स्थानीय ग्रामीणों के उपयोग हेतु बनाये गये रास्ते (सड़क) के पक्कीकरण हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

श्री राज कुमार सिंह : यहीं तो हमने कहा था सर कि यह आम लोगों के उपयोग के लिए सड़क है और उसका उदाहरण मैंने दे दिया कि क्यों यह आम लोगों के उपयोग में है और वर्षों से उपयोग में है।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : यह प्रक्रियाधीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री राज कुमार सिंह : महोदय, बगल का सड़क प्रक्रियाधीन है और यह सड़क अगर वाहिनी के उपयोग में ही लाया जा सकता है तो इस खंड को क्षतिग्रस्त रखने का क्या उपयोगिता है? इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि बी0एम0पी0 से कहकर के इस क्षतिग्रस्त खंड को सही करवा दें, इसकी मरम्मती करवा दें और उसका उपयोग जैसे करना है, वो करें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको देखवा लीजिए।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे गृह क्षेत्र का रोड है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है यह मेरे घर से सीधा निकलता है, इस सड़क को ठीक करवा दिया जाय, महोदय।

अध्यक्ष : हो गयी बात। अब बैठिए।

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी।

तारंकित प्रश्न सं0-137(श्री संजय सरावगी,क्षेत्र सं0-83,दरभंगा)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2022 में हत्या शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज कुल कांडों की संख्या के आधार पर बिहार राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है, परन्तु प्रति लाख की आबादी पर दर्ज हत्या कांडों की संख्या अर्थात् अपराध दर के आधार पर हत्या शीर्ष में बिहार राज्य देश में 14वें स्थान पर है।

2. स्वीकारात्मक।

3. **वस्तुस्थिति** यह है कि हत्या के कई कारण हैं, जिसमें व्यक्तिगत कारणों से हत्या भी मुख्य कारण है। जहां पूर्व सूचना रहती है, निरोधात्मक एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जाती है।

अध्यक्ष : उत्तर आया है, पूरक पूछिए।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है। मेरा जो प्रश्न था कि 2021 में जो राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो है, उसमें 2021 के अनुपात में 2022 में पूरे देश में हत्या के मामले घटे हैं लेकिन बिहार में बढ़े हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें पूरक प्रश्न यह था, इसमें सरकार ने कहा कि कार्रवाई कर रहे हैं, मैं जब समीक्षा कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि 2022 के जुलाई के बाद जो है, हत्या के, अपराध के मामले बढ़े हैं तो क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जुलाई, 2022 के बाद हत्या के आंकड़े बढ़ गये, इसके कारण पूरे देश में बिहार दूसरे स्थान पर आ गया, क्या इसकी सरकार समीक्षा करना चाहती है कि जुलाई, 2022 से दिसम्बर, 2022 के बीच में ज्यादा हत्या क्यों हुई? अध्यक्ष महोदय, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, कभी-कभी परिस्थितिजन्य कुछ घटनायें होती हैं....

अध्यक्ष : जवाब सुनिए, उत्तर सुनिए।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : इसकी समीक्षा करके और जल्दी से जल्दी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मुझे दूसरा कहना था, मैं जब आंकड़े देख रहा था तो मैंने देखा कि अगस्त से दिसम्बर, 2022 में हत्या ज्यादा हुई, जिसके कारण बिहार हत्या के मामले में 2022 में दूसरे स्थान पर आ गया तो क्या यह अगस्त से दिसम्बर तक में जो आंकड़े बढ़े, क्या इस आंकड़े की जाँच माननीय मंत्री जी कराना चाहते हैं, इसकी समीक्षा करना चाहते हैं? यही मेरा प्रश्न था।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तो कहा ही।

श्री संजय सरावगी : मैं अगस्त से दिसम्बर की बात कह रहा हूँ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : चाहे जो भी महीना हो, चाहे जो भी घटनायें हों, कार्रवाई निरन्तर प्रक्रिया है, वह चलती रहेगी, चलती है।

तारांकित प्रश्न सं0-138(श्री बागी कुमार वर्मा,क्षेत्र सं0-215,कुर्था)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न-6/शंभु/19.02.24

तारांकित प्रश्न सं0-139(श्री समीर कुमार महासेठ)क्षेत्र सं0-36,मधुबनी

श्री समीर कुमार महासेठ : पूछता हूँ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए न उत्तर तो संलग्न है।

श्री समीर कुमार महासेठ : पूरक यही है कि क्वेश्चन का जवाब तो आया नहीं है, लेकिन पूरक ये है कि लगातार.....

अध्यक्ष : बिना जवाब सुने पूरक कैसे होगा?

श्री समीर कुमार महासेठ : नहीं सर, पैसा दिया गया, पहले कब दिया गया.....

अध्यक्ष : पहले जवाब तो सरकार का सुन लीजिए न। माननीय मंत्री, गृह विभाग।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : नहीं मिला है कि देखे नहीं हैं ?

अध्यक्ष : देखे नहीं हैं।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आज सोमवार है घर से लेट करके आये हैं। इसको स्वीकार कीजिए।

महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत रहिका प्रखण्ड के खजुरी पंचायत में साढ़े 4 एकड़ में स्थित कब्रिस्तान की पूर्व में किसी अन्य मद से घेराबन्दी करायी गयी है जो जीर्णशीर्ण अवस्था में है। उक्त कब्रिस्तान पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। कब्रिस्तान मरम्मति का कोई प्रावधान नहीं है।

2- कर्डिका 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

3- कर्डिका 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

असल घेराबन्दी के बाद उसके पुनरुद्धार के लिए, मेनटेनेंस की कोई पौलिसी नहीं है उसपर हमलोग विचार कर रहे हैं, उसको हमलोग देखेंगे।

श्री समीर कुमार महासेठ : घेराबन्दी कभी हुआ ही नहीं है हुजूर, यही तो बात है कि हमेशा उसको पूर्ण लिखा जाता है जबकि हमारा आग्रह है कि आप सत्यापित करा लें कि अगर कभी हुआ ही नहीं है और उसको पूर्ण किया जाना साढ़े 4 एकड़ का- इसका मतलब है कि पहले बहुत घपला हुआ है, पूर्ण कराया तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा घपला किया हुआ है।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, पूरक।

श्री समीर कुमार महासेठ : मेरा आग्रह है कि.....

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जो आप कह रहे हैं उसको हम देखवा लेंगे।

तारांकित प्रश्न सं0-140(श्री राजीव कुमार सिंह)क्षेत्र सं0-164, तारापुर
(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि कटियारी पंचायत से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय, तारापुर की दूरी करीब 20 कि0मी0 है तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय, खड़गपुर की दूरी करीब 16 कि0मी0 है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तारापुर एवं खड़गपुर आने-जाने हेतु सड़क एवं यातायात के साधन उपलब्ध हैं। अपराध की प्रवृत्ति विविध, मारपीट, साधारण दंगा, चोरी, मद्य निषेद्य एवं महिला अत्याचार इत्यादि है। कटियारी पंचायत में कुल-09 गाँव हैं, जिसकी जनसंख्या करीब 8000 है। भौगोलिक स्थिति-जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके पूरब में नदी, पश्चिम

में जंगल, उत्तर में नोनजी पंचायत एवं दक्षिण में नदी के पास ददरी जाला पंचायत है। कटियारी पंचायत टेटियाबंबर ओ०पी० के अन्तर्गत है, जिसका मूल थाना संग्रामपुर पड़ता है, जो तारापुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अन्तर्गत है। किन्तु व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसका पुलिस नियंत्रण खड़गपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अधीन है। कटियारी पंचायत से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय खड़गपुर की अपेक्षाकृत दूरी कम रहने के कारण अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण में पुलिस को सहूलियत होती है। क्षेत्र की जनता को भी कम दूरी रहने के कारण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तारापुर की अपेक्षा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खड़गपुर के कार्यालय में गमनागमन एवं संपर्क स्थापित करने में सहूलियत रहती है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में कटियारी पंचायत को तारापुर अनुमंडल पुलिस कार्यालय से संबद्ध करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, जवाब संलग्न है ।

श्री राजीव कुमार सिंह : जवाब मिल गया है हम उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं और संतुष्ट नहीं होने का कारण है कि कटियारी पंचायत संग्रामपुर प्रखंड में पड़ता है और उसका अनुमंडल तारापुर पड़ता है, लेकिन पुलिस अनुमंडल इसका खड़गपुर दे दिया गया है और पुलिस अनुमंडल खड़गपुर रहने के कारण- इसका ओ०पी० पड़ता है टेटिया बंबर और टेटिया बंबर का जो भी एफ०आइ०आर० होता है वह संग्रामपुर थाना में होता है तो हमारा कहना है कि जब सब चीज संग्रामपुर में ही होता है, कटियारी पंचायत संग्रामपुर प्रखंड में पड़ता है, अनुमंडल तारापुर पड़ता है तो पुलिस अनुमंडल भी तारापुर ही पड़े, बस यही कहना है और हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि पुनः इसकी जाँच कराकर किया जाय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आप किसी दिन शाम में आ जाइये हम बात कर लेंगे ।

श्री राजीव कुमार सिंह : धन्यवाद सर ।

अध्यक्ष : आपस में जब बतिया ही लेना था तो काहे प्रश्न किये थे ।

तारांकित प्रश्न सं०-१४१(श्री उमाकांत सिंह)क्षेत्र सं०-७, चनपटिया

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, पश्चिम चम्पारण के चनपटिया स्टार्टअप जोन में धागा से कपड़ा निर्माण करने वाली पांच इकाइयां तथा रेडिमेड वस्त्र का निर्माण करने वाली 33 इकाइयां कार्यरत हैं। राज्य में भागलपुर एवं बांका सहित कई जिलों में डायिंग इकाइयां कार्यरत हैं।

श्री उमाकांत सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि राज्य में भागलपुर, बांका समेत कई जिले में डायिंग ईकाई कार्यरत है। महोदय, स्टार्टअप जोन चनपटिया में डायिंग ईकाई नहीं है और वहां पर व्यापक स्तर पर कपड़ा निर्माण का कार्य हो रहा है। स्टार्टअप जोन चनपटिया का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था वहां खुद गये थे और प्रशंसा भी किये थे और प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों भी प्रशंसा किया है, वहां के जिलाधिकारी को बुलाकर सम्मानित भी किये। अतः माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि एक सकारात्मक पहल करते हुए स्टार्टअप जोन में चनपटिया में डायिंग ईकाई की स्थापना की जाय। वहां 54 लेबर आकर के कोरोना काल में.....

अध्यक्ष : आपको कोई पूरक प्रश्न पूछना है क्या ?

श्री उमाकांत सिंह : पूरक ही पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष : कहां पूछ रहे हैं यह तो आग्रह कर रहे हैं।

श्री उमाकांत सिंह : जानना चाहता हूँ महोदय।

श्री सप्राट चौधरी,उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है उसपर जरूर विचार करने के लिए मैं एक पदाधिकारी को विशेष तौर पर जो चनपटिया में स्टार्टअप जोन के माध्यम से धागा के डायिंग ईकाई को लगाने के लिए क्या पूरी रूपरेखा की जा सकती है उन सारी चीजों की समीक्षा के लिए पदाधिकारी की विशेष टीम स्थापित करेंगे।

अध्यक्ष : देखिए कितना बढ़िया माहौल है सब सकारात्मक जवाब आ रहा है।

श्री उमाकांत सिंह : महोदय, वहां देश का सबसे नंबर वन स्टार्टअप जोन जो मजदूर वहां मालिक बने हैं और 108 करोड़ का टेक्स्टाइल पार्क बनकर तैयार है।

अध्यक्ष : ये तो मान लिये।

श्री उमाकांत सिंह : महोदय, उसका शिफ्ट करवा देंगे, बनकर रेडी है खाली उसको शिफ्ट करवा देना है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने आपकी बात मान ली है, देखवा लेंगे।

श्री उमाकांत सिंह : और डायिंग मिल भी लगवा देंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये।

श्री उमाकांत सिंह : धन्यवाद माननीय मंत्री जी को।

तारांकित प्रश्न सं0-142(श्री मनोहर प्रसाद सिंह)क्षेत्र सं0-67,मनिहारी
(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-143(श्री ललन कुमार)क्षेत्र सं0-154,पीरपेंती
(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बिहार पटना का पत्रांक-9213, दिनांक 09.09.2013 द्वारा बिहार पुलिस सेवा के स्टाफ ऑफिसर कोटि के पदाधिकारियों के लिए राज्य के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), भागलपुर सहित 11 जिलों में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) का पद सृजित किया गया है। पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) भागलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति करने के लिए विभागीय स्तर पर समीक्षा की जा रही है। समीक्षोपरान्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) भागलपुर के पद पर पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति कर दी जायेगी।

अध्यक्ष : ललन जी, पूरक पूछिए उत्तर संलग्न है।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें वहां पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नियुक्ति की बात कही गयी है, लेकिन विभाग ने बहुत पहले ही तय कर दिया था कि भागलपुर में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक होंगे और इसकी नियुक्ति नहीं होने से लगातार वहां पर कांडों का निष्पादन सही समय पर नहीं हो पा रहा है बार्डर एरिया है झारखण्ड का काफी वहां ये हैं तो हम यह जानना चाहते हैं कि क्या परेशानी है और कब तक नियुक्ति हो जायेगी ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की भागलपुर में हम बस इतना जानना चाहते हैं।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। पद सृजन कर दिया गया है पुलिस अधीक्षक ग्रामीण भागलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति करने हेतु विभागीय स्तर पर समीक्षा की जा रही है। समीक्षोपरान्त भागलपुर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण भागलपुर के पद पर पदस्थापना हेतु प्रतिनियुक्ति कर दी जायेगी।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि कब तक कर दी जायेगी? वहां पर लगातार कांडों का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि कब तक कर दी जायेगी?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : प्रक्रियाधीन है, कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष : किया जायेगा जल्दी।

श्री ललन कुमार : हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि प्रक्रिया कितने दिनों तक चलेगी महीना, दो महीना कह देने से थोड़ा सा एक सरकार को भी लगता है कि हमने कहा है कि इतने दिनों में कर देंगे, जनता को लगता है तो उम्मीद से ही न दुनिया चलती है। यह उम्मीद होगा कि हां इतने दिनों में यह काम हो जायेगा।

अध्यक्ष : जल्दी होगा, जल्दी।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, लेकिन इसमें.....

अध्यक्ष : अरे आप यू0पी0 बार्डर वाले लोग वहां कैसे चले गये?

श्री सत्यदेव राम : पूरा बिहार है, समय सीमा तय हो जाता।

अध्यक्ष : आप क्यों गोपाल जी का समय ले रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न सं-144(श्री गोपाल रविदास)क्षेत्र सं-188,फुलवारी

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : उत्तर तो भेजा गया है आपने देखा नहीं होगा । माननीय मंत्री,वित्त विभाग उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री सम्राट चौधरी,उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्यधीन सेवाओं के लिए राज्य वेतन आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति दी जाती है । पूर्व में किसी पद का समान वेतन होने का आधार वेतन पुनरीक्षण का कारक नहीं होता है अपितु विशेषज्ञ समिति आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा ही वेतन पुनरीक्षण का आधार होता है । राज्य वेतन आयोग द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक एस0आइ0 सार्जन्ट के लिए दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन स्तर-6 एवं एग्रीकल्चर इन्सपेक्टर, असिस्टेंट सेविंग औफिसर एवं लेबर इन्सपेक्टर सहित अन्य पर्यवेक्षक पदों के लिए वेतन स्तर-7 की अनुशंसा की गयी है । तदनुरूप राज्य सरकार द्वारा पदवार पुनरीक्षित वेतन संरचना स्वीकृत है । पुलिस अवर निरीक्षक एस0आइ0 सार्जन्ट के लिए वेतन स्तर में कोई विसंगतियां नहीं हैं ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, पहले दोनों लोगों का लेवेल एक ही था लेकिन बाद में एक का छठा में कर दिया गया और एक का सातवां में कर दिया गया । क्या दोनों को एक ही लेवेल में नहीं लाया जा सकता है ?

श्री सम्राट चौधरी,उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया है उसके माध्यम से अनुशंसा प्राप्त होती है । यदि माननीय सदस्य को इसपर किसी तरह की आपत्ति है तो लिखकर दें जरूर उसपर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : लिखकर दे दीजिए ।

श्री गोपाल रविदास : धन्यवाद ।

अध्यक्ष : आज प्रसन्नता की बात है कि केवल तीन प्रश्न के उत्तर नहीं आये थे, 97 परसेंट प्रश्नों के उत्तर आये हैं और यह परंपरा बनी रहे । अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाएं । अब शून्य काल लिये जायेंगे ।

टर्न-7/पुलकित/19.02.2024

शून्यकाल

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हुआ हूँ ।

अध्यक्ष : उनको पुकार लिया गया है, उनके बाद बोलियेगा ।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के बखरीबुर्जुग निवासी राजद नेता रंजीत राय को अज्ञात अपराधियों द्वारा दिनांक- 01.02.2024 को हत्या करके झाड़ी में फेंक दिया गया, जिसका मुसरीघरारी थाना कांड संख्या- 16/24 है ।

अतः घटना में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी की मांग करता हूँ ।

श्री महा नंद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अवरल जिला के कोरियम, अरवल, बहादुरपुर समेत सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को फरवरी, 2023 से बकाया वेतन भुगतान करने एवं आउटसोर्सिंग प्रक्रिया समाप्त कर नियमित समायोजन करने की मांग करता हूँ ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के फुलवारीशरीफ में बैडमिंटन, बॉलीबॉल, कैरम, सतरंज एवं जूडो-कराटे के कई प्रतिभावान खिलाड़ी मौजूद हैं । खेल एवं युवा संस्कृति विभाग से मांग करता हूँ कि तत्काल इंडोर स्टेडियम का निर्माण करावें ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया नगर निगम अब्दुल्लानगर, वार्ड-42 में खाता संख्या- 120 की जमीन पर वर्षों से बसे वासगीत पर्चाधारी अंत्योदय योजना लाभार्थी एवं 10,000 रिहायशी आबादी को प्रशासन द्वारा कोर्ट के आदेश पर खाली कराने से रोकने एवं मालिकाना हक दिलाने हेतु पटना उच्च न्यायालय में सरकार द्वारा अपील की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सरकार सब बात का संज्ञान लेती रहती है, बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा जी ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला केवटी विधान सभा अंतर्गत भरहुल्ली पंचायत के भवानीपुर से राघवा के बीच में सड़क एवं पुल निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करते हुए राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में 90 प्रतिशत पद स्थानीय नागरिकों के लिए आरक्षित करने की मांग करता हूँ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अल्पवृष्टि एवं जलविहीन नदी का इलाका जहानाबाद जिला अक्सर पेयजल संकट की मार झेलते रहता है।

अतः जहानाबाद को विशेष जिला घोषित करते हुए विधायक की अनुशंसा पर चापाकल उपलब्ध कराने की मांग करता हूँ।

श्री इजहारूल हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखण्ड के पंचायत कसबा कलियागंज में महानन्दा पुल से फुलबाड़ी मदरसा तक महानन्दा नदी के किनारे पर बोल्डर पिचिंग नहीं रहने से कटाव के कारण पूरा गांव पानी में बिलीन होने की स्थिति में है।

उक्त स्थान पर बोल्डर पिचिंग कराने की मांग सरकार से करता हूँ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री स्व0 श्री कृष्ण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु मैं बिहार सरकार से भारत सरकार को अनुशंसा करने की मांग करता हूँ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, बिहार में विगत 15 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है। सरकार द्वारा 7,000 रिक्तियों की घोषणा तथा अनेकों बार आश्वासन के बावजूद अभी तक इसकी बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी है।

अतः सरकार से तत्काल पात्रता परीक्षा आयोजित कर लाइब्रेरियन की बहाली की मांग करता हूँ।

डॉ निककी हेम्ब्रम : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटोरिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत बौंसी नगर पंचायत के ग्राम झपनिया के पास भतुआ बाँध पर बना पुल एवं चेकडैम क्षतिग्रस्त (टूट) जाने से लगभग 1000 एकड़ भूमि सिंचाई एवं कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर ले जाने से वंचित रहती है।

अतः सरकार से उक्त पुल एवं चेकडैम निर्माण की मांग करती हूँ।

श्री विद्या सागर केशरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमद्भगवद्गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला एवं विज्ञान है। समस्त मानव जाति के कल्याण का मार्ग श्रीमद्भगवद्गीता में निहित है। श्रीमद्भगवद्गीता को स्कूल-कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल कराने एवं विश्वविद्यालय स्तर पर रिसर्च का विषय बनाने की मांग सदन से करता हूँ।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर के पीरपैंती प्रखण्ड अंतर्गत मध्य विद्यालय नन्ही बाई का आम रास्ता अतिक्रमणकारियों ने पूर्ण-रूपेण कब्जा कर लिया है।

बच्चे 100 मीटर की जगह 01 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय कर स्कूल जाने को मजबूर है ।

सरकार से उक्त रास्ता अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग करता हूँ ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, लौरिया स्थित जवाहिरपुर घाट पुल विभागीय प्रक्रिया पूरी कर निविदा की स्थिति में आकर लंबित है ।

आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि इस पुल का निर्माण जनहित में शीघ्र करवाया जाए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर प्लस-टू उच्च विद्यालय के क्रीड़ा मैदान में निर्मित इंडोर स्टेडियम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है । जिससे खेल खिलाड़ी की प्रतिभा प्रभावित हो रही है । शीघ्र इंडोर स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूँ ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखण्ड के पैकपार पंचायत स्थित वार्ड नंबर-7 में मुख्य सड़क सुनिल मंडल के घर से भिसी होते हुए मध्य विद्यालय पैकपार तक पक्कीकरण सड़क निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूँ ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य में वृद्धापेंशन पूर्व से पा रहे लाभार्थियों का आधार कार्ड नहीं होने के कारण पेंशन अवरुद्ध है । अंगुलियों एवं आंखों का मशीन से सत्यापन नहीं हो रहा है । वैसे पेंशनधारियों का भौतिक सत्यापन हेतु प्रखण्ड स्तर पर पदाधिकारी नामित करने की सदन के माध्यम से मांग करता हूँ ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिला के मुंगेर में पब्लिक वाहन की बढ़ती संख्या को देखते हुए वर्तमान बस पड़ाव को मिनी बस पड़ाव में परिवर्तित करने तथा एक अन्य बस पड़ाव के निर्माण करने की सदन के माध्यम से मांग करता हूँ ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल मठौड़ा, सारण के पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-3 योजना में चयनित पथ- (1) एस0एच0-104 खराटी-उसड़ी बाजार (तैरया) (2) दशरया पुल हरदाशचक से भगवानपुर, मोरिया भोरहा (पानापुर) (3) शीतल पट्टी-चकिया (तैरया) 10 वर्षों से जर्जर अवस्था में है । जनहित में सरकार इन्हें शीघ्र मरम्मत करावें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हो गया, सब विषय महत्वपूर्ण हैं, सभी सदस्यों के विषय महत्वपूर्ण होते हैं ।
माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी ।

श्री सत्यदेव राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला अंतर्गत मुख्यालय में कोई ऐसा भवन नहीं है, जिसमें चार-पांच हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था हो । सरकारी,

गैर-सरकारी कार्यक्रम करने के लिए खुले मैदान का सहारा लेना पड़ता है। चम्पारण बापू सभागार जैसा मौलाना-मजरूल-हक सभागार की आवश्यकता है। अतः मुख्यालय से सभागार की मांग करता हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुदामा जी को बोलने दीजिए, महत्वपूर्ण बात हैं उनकी। माननीय मंत्री जी सब सुन रहे हैं, मंत्री जी सब सुनते रहते हैं। पूरा ध्यान देते रहते हैं आपकी बातों पर। माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद।

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 फरवरी, 2024 से लापता भोजपुर जिला अंतर्गत पीरो प्रखण्ड के रजेंया निवासी श्रीराम भगवान सिंह के एकलौते पुत्र नारायण कुमार सिंह की बर्बर हत्या कर दी गयी। हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाने और मृतक के आश्रितों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग करता हूँ।

टर्न-8/अभिनीत/19.02.2024

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलांतर्गत खरीक प्रखण्ड में चोरहर-भवनपुरा पुल के पास कोसी नदी के कटाव से 10 हजार आबादी वाले पंचायत का मुख्यालय से संपर्क भंग हो जायेगा।

अतः सरकार से कटाव निरोधी कार्य कराने की मांग करता हूँ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिला के नरकटियागंज प्रखण्ड अंतर्गत बेनवलिया पंचायत के ग्राम मंझरिया से मनवापरसी होते हुए एकडरवा ग्राम का लगभग सात किलोमीटर तक का रोड पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।

मैं सरकार से उक्त सड़क की अविलंब पक्का निर्माण कराने की सदन के माध्यम से मांग करती हूँ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी।

माननीय सदस्य श्री प्रणव कुमार अपनी सूचना को पढ़ें।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

श्री प्रणव कुमार, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर (वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, “भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग के पत्रांक-57/05/2021 पी0एन्ड0पी0डब्लू0 (बी0), दिनांक-03.03.2023 एवं परिपत्र संख्या 25011/02/2021-ए0आई0एस0-III (पेंशन) दिनांक-13.07.2023 के आलोक में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि नई पेंशन योजना लागू

होने की तिथि से पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर होने वाली नियुक्ति जिनका योगदान भले ही नई पेंशन योजना लागू होने के पश्चात हुई हो, को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु विकल्प दिया जाएगा । इस आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के आदेश सं0-1/पेन-1001/2023-सा0प्र0-14593/पटना-15, दिनांक-01.08.2023 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुल 11(ग्यारह) पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है परंतु बिहार सरकार के वैसे कर्मियों को उक्त लाभ नहीं दिया गया है ।

अतः बिहार सरकार के वैसे कर्मियों को जिनकी नियुक्ति संबंधी विज्ञापन नई पेंशन प्रणाली लागू होने के पूर्व की है, को भी पुरानी पेंशन का लाभ देने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।”

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के पत्रांक-57/05/2021 पी0एन्ड0पी0डब्लू0 (बी0), दिनांक-03.03.2023 को अंगीकृत किये जाने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, जब केंद्र सरकार द्वारा 01.04.2004 को यह विकल्प दिया गया है जिसमें कुमार रवि सहित 11 आई0ए0एस0 पदाधिकारी इसका लाभ लिये हैं । मेरा सरकार से आग्रह होगा कि 01.04.2005 से जो नई पेंशन लागू की गयी है और इसके पूर्व में जो विज्ञापित है, वैकेंसी है निकला हुआ, तो मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उन्हें भी लाभ दिया जाय, क्योंकि इसी आधार पर वे कोर्ट जायेंगे, समय बर्बाद होगा, सरकार का भी समय बर्बाद होगा, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उन्हें भी इसका लाभ देने का प्रयत्न किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने कहा कि अभी विचाराधीन नहीं है । आपने आग्रह किया है तो आगे जब होगा तो वे देखेंगे । बैठ जाइये ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : बिल्कुल महोदय, दिखवाया जायेगा ।

श्री प्रणव कुमार : धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अचमित ऋषिदेव अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री अचमित ऋषिदेव, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, “अररिया जिलांतर्गत रानीगंज प्रखंड के विशनपुर पंचायत अंतर्गत मोती चौक विश्वास टोला से बनभाग मुसहरी टोला होते हुए परमानंदपुर

सीमा तक 2.5 किलोमीटर सड़क कच्ची है जिससे बनभाग मुसहरी टोला के अनुसूचित जाति के लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है।

अतः वर्णित सड़क को पक्कीकरण कराने के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।”

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इस सड़क का सर्वे करा लिया गया है। मोबाईल एप से जो आवश्यक जानकारियां हैं वह प्राप्त कर ली गयी हैं और अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण की प्रक्रिया की जायेगी।

श्री अचमित ऋषिदेव : मेरी ओर से माननीय मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय सभापति, कृषि उद्योग विकास समिति। सुदामा जी बोलिए।

श्री सुदामा प्रसाद, सभापति, कृषि उद्योग विकास समिति : महोदय,

“बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत कृषि उद्योग विकास समिति का कृषि विभाग की रैयत एवं गैर रैयत (बटाईदार) किसान से संबंधित तृतीय प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ।

महोदय, कृषि के विकास के लिए और मजबूती के लिए और किसानों की खुशहाली बढ़ाने के लिए...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गया।

श्री सुदामा प्रसाद, सभापति, कृषि उद्योग विकास समिति : सर, हमारी अपील है कि सरकार हमारी अनुशंसा पर ध्यान दे।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, शून्यकाल समिति। नीतीश जी।

श्री नीतीश मिश्रा, सभापति, शून्यकाल समिति : महोदय,

“बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत शून्यकाल समिति का पंचायती राज विभाग से संबंधित 101वाँ प्रतिवेदन, समाज कल्याण विभाग से संबंधित 102वाँ प्रतिवेदन, ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित 103वाँ प्रतिवेदन, आपदा एवं प्रबंधन विभाग से संबंधित 104वाँ प्रतिवेदन, परिवहन विभाग से संबंधित 105वाँ प्रतिवेदन एवं सहकारिता विभाग से संबंधित 106वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, 16 माह के कार्यकाल में 11 प्रतिवेदन सदन में मैंने प्रस्तुत किया, आपकी जानकारी के लिए।

अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री नीतीश मिश्रा, सभापति, शून्यकाल समिति : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-9/हेमन्त/19.02.2024

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्यगण, अब वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर विचार-विमर्श होगा । इसके लिए कुल दो घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार के उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	-	39 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	38 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	-	22 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	10 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	-	06 मिनट
हिंदुस्तानी आवाम मार्चा	-	02 मिनट
सी0पी0आई0(एम0)	-	01 मिनट
सी0पी0आई0	-	01 मिनट
ए0आई0एम0आई0एम0	-	<u>01 मिनट</u>
कुल	-	120 मिनट

माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार जी अपना पक्ष रखें । आपका समय 18 मिनट है ।

श्री सतीश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई कि आप सर्वसम्मति से आसन पर आसीन हुए । इस बजट पर बोलने से पहले हम अपने नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, अपने नेता और सचेतक शाहीन साहब को बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि आज हमको बोलने का मौका मिला है ।

महोदय, बजट प्रत्येक साल पेश किया जाता है, लेकिन इस बार का बजट बड़ा अनोखा है । हम और बहुत सारे लोग पहली बार नये सदस्य चुनकर आये । हम लोगों ने अम्बेडकर और लोहिया जी की विचारधारा को पढ़ा, समझा और उस रास्ते पर संघर्ष करके यहां तक आये हैं, लेकिन जिस तरीके से विधायक

बनने के बाद जो हमने कुर्ता सिलावाया था, वह कुर्ता भी हमने नहीं बदला कि सरकार दो बार बदल गयी। महोदय, यह स्थिति है सरकार की। लगता है कि लोहिया जी क्या सोचते होंगे, अम्बेडकर क्या सोचते होंगे और कर्पूरी जी किस तरह के लोकतंत्र की परिकल्पना किये होंगे। महोदय, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, लेकिन उनकी विचारधारा को तिलांजलि देने के बाद ऐसा किया गया। महोदय, इसलिए बजट पर बोलते हुए हम क्या बोलेंगे। बजट पर तो हम यही बात बोलेंगे कि

“बजट बेचारा बोल रहा है क्यों हैं आप उदास,
मैं आर्यू का खास हूँ, गांधी जी का दास,
लंगोटी पहना दूँगा, लंगोटी पहना दूँगा।”

महोदय, इस सबको लंगोटी पहनाने की तैयारी चल रही है। इस सबकी जो कमाई है, आम आदमी की कमाई कहां जा रही है, बजट में दिख नहीं रहा है महोदय। स्थाई रोजगार का कोई उपाय बजट में नहीं दिख रहा है और साफ-साफ कहना चाहते हैं कि इस बार जो टोटल बजट है दो लाख बयासी हजार नो सौ...

(व्यवधान)

सही बात है कि वित्तमंत्री जी ने हमें करेक्ट किया महोदय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलने दीजिए। शांति बनाये रखिये, बोलने दीजिए उनको।

श्री सतीश कुमार : लेकिन इस बीच में एक और बात हुई है। महोदय, विजय चौधरी जी यहां पर हैं, जातीय आधारित गणना का आंकड़ा भी सार्वजनिक किया गया है और इस आंकड़े के माध्यम से आंकड़ा साफ-साफ कहता है कि अनुसूचित जाति की संख्या आंकड़े के अनुसार जो 16 प्रतिशत थी वह 20 प्रतिशत हो गयी, जनजाति की जो 1 प्रतिशत थी वह 2 प्रतिशत हो गयी। लेकिन क्या इस बजट में वह दिखाई पड़ता है, जो नीतीश कुमार जी कहते थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम देने का काम करेंगे। महोदय, पिछली बार भी अनुसूचित जाति का जो बजट था 1802 करोड़ रुपये का था और इस बार भी 1805 करोड़ रुपये का है। महोदय, आबादी 25 प्रतिशत बढ़ी और बजट बेचारा वहीं का वहीं रह गया। तो कैसे अनुसूचित जाति का विकास होगा? कैसे उसके डबलपर्मेंट की तरफ बढ़ेंगे? सबका साथ, सबका विकास कैसे हो सकेगा? यह सिर्फ नारे में ही बंद रह जायेगा महोदय, मामला यह है। महोदय, दूसरी तरफ हम यह कहना चाहते हैं कि बजट जिस तरफ इशारा कर रहा है, वह कह रहा है कि

“मुद्राकोष की नीति यही है और विश्वबैंक का नारा,

बीड़ी का भी दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा,
सबको सहना होगा भई, नहीं कुछ कहना होगा भई ।”

अध्यक्ष : यहां कहां रेलगाड़ी है ? बिहार के बजट पर न बोलिये ।

श्री सतीश कुमार : रेल का मतलब महंगाई है महोदय । रेल का मतलब निजी हाथों में बेचना है महोदय ।

अध्यक्ष : बिहार के बजट पर बोलिये । इधर-उधर मत भटकिये ।

श्री सतीश कुमार : बिहार के लोगों का भी भाड़ा से मतलब है न महोदय । बिहार के लोग भी तो रेल का भाड़ा देते हैं कि नहीं महोदय ।

अध्यक्ष : आज का बजट रेल पर नहीं है । बिहार सरकार के बजट पर है ।

श्री सतीश कुमार : 50 रुपये का प्लेटफार्म टिकट कटवाना पड़ता है न महोदय । बिहार के लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है ।

अध्यक्ष : बिहार के बजट पर बोलने के लिए विषय नहीं है क्या ? बोलिये ।

श्री सतीश कुमार : इसलिए महोदय, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं । आपका संरक्षण चाहिए और हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति का जो बजट है, क्योंकि आज भी, आजादी के 75 साल बाद सबसे हाशिये पर कोई है, तो वह अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है महोदय । आज भी उनके शरीर पर पेशाब करने पर भी कोई परहेज नहीं करता है । आज भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम माझी जी के मंदिर में जाने पर मंदिर को धो दिया जाता है और यदि वह सच्चाई बोलें तो उनकी जीभ काटने के लिए दस करोड़ रुपये का ईनाम घोषित कर दिया जाता है । इसलिए अनुसूचित जाति किस हाशिये पर है इस बात की परिकल्पना आज इस बात से की जाती है । तो वित्तमंत्री जी यहां पर हैं और अनुसूचित जाति का विकास किये बगैर इस राज्य का, इस देश का विकास नहीं हो सकता है, यह हम बोल सकते हैं महोदय ।

महोदय, वित्तमंत्री जी ने निर्णय लिया है बहुत सारे विभाग की समीक्षा करने का । हम कहना चाहते हैं कि जब से हम होश संभाले हैं, या तो कल्याण मंत्री जीतन राम माझी जी हुए या तो फिर उनके बेटे संतोष माझी जी हुए हैं और उस छात्रावास से हमारा ताल्लुकात रहा है और संयोग से जीतन राम माझी जी की जो कमेटी है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति, उस समिति के हम मेंबर भी हैं । उनके साथ हमको पूरा बिहार घूमने का मौका मिला, लेकिन बिहार का एक ऐसा छात्रावास नहीं मिला जहां पर जीतन राम माझी जी और कमेटी के लोग बैठकर बच्चों के साथ में बैठकर भोजन कर सकें । जानवर वाला भोजन आज भी उनको परोसा जा रहा है महोदय ।

लालू प्रसाद यादव जी ने गरीबों को यही ताकत दी है कि या तो सड़क पर या फिर सदन में बोलना है तो शेर की तरह बोलो । यह लालू प्रसाद यादव जी ने ताकत दी है, महोदय ।

अध्यक्ष : बजट पर तो बोलिये । माननीय सदस्य, बजट पर बोलिये ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, इसलिए बोली जो हमारी है वह सदन में भी है और सड़क पर भी है । महोदय, इसलिए हम कहना चाहते हैं, शिक्षा विभाग की बड़ी चर्चा हो रही थी और हमलोगों ने 17 महीने में, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया कि 70 दिनों में 02 लाख 17 हजार शिक्षकों की नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बुलाकर बॉटने का काम किया । महोदय, इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि आखिर यह सरकार बदलते क्या मजबूरी आन पड़ी कि शिक्षा क्षेत्र में भी आउट सोर्सिंग को बढ़ावा दिया जाने लगा....

(व्यवधान)

एन०डी०ए० ही न आप हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन की ओर देख कर बोलिये ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, आउट सोर्सिंग को बढ़ावा दिया जाने लगा । जो रात्रि प्रहरी की नियुक्ति माननीय विधायक लोगों की अध्यक्षता में की जाती थी, जिसका मानदेय पाँच हजार रुपया तय करते थे, अब आउट सोर्सिंग के माध्यम से दस हजार रुपया दिया जायेगा लेकिन वह भी उसको नहीं मिलेगा । महोदय, इस तरीके से माननीय विधायकों को जो अपमानित किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, इसमें सरकार के भी विधायक हैं, विपक्ष के भी विधायक हैं, इसमें संशोधन होना चाहिए । महोदय, या तो माननीय विधायकों को उस कमेटी से बाहर कर दिया जाय, या फिर रखा जाय तो उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा की जाय, यह हम कहना चाहते हैं । महोदय, आउट सोर्सिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यदि आरक्षण को खत्म करना है तो उस विभाग को आउट सोर्सिंग में डाल दो, उसमें न अनुसूचित जाति को आरक्षण मिलेगा, न अनुसूचित जनजाति को मिलेगा, न अति पिछड़ा को मिलेगा, न आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के बच्चों को मिलेगा । महोदय, जिसको वह ठेकेदार चाहेगा, उसको अपने शर्तों पर बहाल करेगा और जिसको चाहेगा उसको लात मारकर निकाल देगा, यह है आउट सोर्सिंग का । महोदय, इसलिए आउट सोर्सिंग की तरफ जो जा रहे हैं, हम इस सरकार से, डबल इंजन की सरकार से अपील और माँग करते हैं कि आउट सोर्सिंग में भी रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया जाय । महोदय, बगैर रिजर्वेशन पॉलिसी के आउट सोर्सिंग कभी भी मजदूरों के हित में नहीं हो सकता है, सभी वर्गों को समान अवसर नहीं दे सकता है । महोदय, इसलिए

आउट सोर्सिंग में भी रिजर्वेशन को लागू किया जाय और आउट सोर्सिंग के तो हमलोग पक्षधर हैं, उसको खत्म किया जाय। महोदय, दूसरी तरफ जदयू के साथी लोग बैठे हैं, वे बहुत आंदोलन किये जब बाबू जगजीवन राम छात्रावास को बंद किया जाने लगा, खत्म किया जाने लगा, तो क्या यकीन करें कि अब डबल इंजन की सरकार बनी है तो अब देश में बाबू जगजीवन राम छात्रावास को बंद नहीं किया जायेगा? क्या यकीन करें कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास जहाँ नहीं खुला है वहाँ पर खोलने की व्यवस्था की जायेगी? महोदय, इसलिए सरकार में आना और जाना, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है लेकिन जिस मुद्दे को लेकर आप संघर्ष करते हैं, जिस मुद्दे से आप अपनी पहचान बनाते हैं, यदि उससे कोई समझौता कर लेता है तो इतिहास उसका भी लिखा जाता है। महोदय, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि पूरे बिहार में जो हमने कहा था कि माँझी जी का जो कल्याण विभाग रहा है, उस विभाग की समीक्षा होनी चाहिए। महोदय, आज वहाँ पर जो स्थिति है आउट सोर्सिंग से जो रात्रि प्रहरी या गार्ड बहाल किये जाते हैं, रसोईया बहाल किये जाते हैं। शर्मनाक स्थिति तब आयी जब माँझी जी के सामने आकर वे बोल रहे थे कि हमको तो 2,600 रुपया मिलता है, हमको तो 3,200 रुपया मिलता है, कुछ उपाय कीजिये, हमारे बाल-बच्चे का पेट नहीं भरता है तो क्या इसी तरह का आउट सोर्सिंग की परिकल्पना हम लोगों ने की थी? क्या इसी तरीके का हमलोगों ने व्यवस्था चाहा था कि मजदूरों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से, उनको हम काम देंगे लेकिन 3,200 और 2,600 रुपया में हम उनको काम देंगे। गया का और जहानाबाद का एक-एक विद्यालय की जाँच करा ली जाय, अगर उस विभाग के पदाधिकारी हैं। दिवेश सेहरा जी उस विभाग के अच्छे पदाधिकारी हैं। हम उनसे इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि एक-एक विभाग की जाँच करायी जाय और शपथ-पत्र मंगाया जाय कि कितने आउट सोर्सिंग मजदूरों का पीएफ० एकाउंट खोला गया? महोदय, बगैर पीएफ० एकाउंट खोले उनको आउट सोर्सिंग पर रख लिया जाता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बिहार के गरीब-गुरुबों के साथ नहीं खेला जाय। महोदय, गरीब-गुरुबा हमारे साथ होते हैं, तभी हम सदन में आने के लायक होते हैं, यदि गरीब-गुरुबा का साथ छूट गया तो सदन में आने के लायक हम नहीं बचेंगे तो उनके हितों के साथ में, उनके हितों की रक्षा की जाय। महोदय, यह हम सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं। महोदय, दूसरी तरफ हम शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग का बजट है। महोदय, नियोजित शिक्षक सड़क पर हैं जो माँग कर रहे हैं, जो पिछली सरकार ने घोषणा की थी कि बिना शर्त उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात थी, हम सदन से चाहते हैं, वित्त मंत्री

जी यहाँ पर हैं, शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, तमाम सरकार यहाँ पर है, उनको बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाय महोदय, कितनी बार उनसे परीक्षा ली जायेगी । 12 साल, 15 साल पढ़ने के बाद उनसे परीक्षा लेने की बात की जा रही है । महोदय, आठट सोर्सिंग से फिजिकल शिक्षकों की बहाली हुई, लगभग 2600 शिक्षक हैं जिनको मात्र आठ हजार रुपया मिलता है तो सब का मानदेय बढ़ रहा है, सब का नियोजन, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री भी योग को पूरे विश्व में फैलाने का काम किये हैं और बगैर फिजिकल टीचर के, बगैर शारीरिक शिक्षक के हम योग की कल्पना नहीं कर सकते हैं, खेल की कल्पना नहीं कर सकते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब कंक्लूड कीजिये, आपका समय समाप्त होने वाला है ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, यह हम चाहते हैं कि उनके जो 2600 फिजिकल टीचर हैं यह सरकार उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा दे और जो परीक्षाएँ ली जा रही हैं, उसमें उनको भी बैठने का परमिशन दिया जाय, यह सदन से हम कहना चाहते हैं । महोदय, दूसरा, जब हमारा समय समाप्त हो रहा है तो हम एक कहानी सुना कर, छोटी-सी कहानी सुना कर हम अपनी बात को खत्म करेंगे । एक तानाशाह हुआ था हिटलर, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है । वह हिटलर कुछ भी करता था, कितना भी पब्लिक पर जुल्म करता था, सारा प्राइवेट सेक्टर बेच देता था लेकिन लोग उनकी जयकारा करते थे....

अध्यक्ष : हिटलर का नाम तो बजट में नहीं है । बजट में है क्या ? माननीय सदस्य, बजट पर बोलिये ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, कहानी है, आप भी सदन में बहुत कहानी सुनाते थे, एक मेरी भी कहानी सुन ली जाय । तो उस हिटलर का जयकारा होता था, महोदय, प्रेस मीडिया के साथियों ने पूछा कि आप पब्लिक पर इतना जुल्म करते हैं, आप गरीबों पर इतना जुल्म करते हैं, आपकी जयकारा लोग क्यों करते हैं तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं बतायेंगे, आओ एक बंद कमरे में प्रेस-कॉन्फ्रेंस करते हैं । महोदय, वहाँ पर एक मुर्गा को लाया गया, जिंदा मुर्गा को और जिंदा मुर्गा को लाने के बाद महोदय, हिटलर ने उसके सारे पंख को नोच दिया, सारे शरीर से लहू-लुहान खून बह रहा था और उसके बाद मीडिया के लोग अवाक् होकर देख रहे थे कि यह क्या कर रहे हैं हिटलर, उसके बाद वह एक कोने में जाकर सहमा हुआ सा, दबा हुआ सा था....

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, पाँच दाना चावल का लाया गया, उसके आगे छींटा गया, वह दुम हिलाते हुए चावल खाने लगा। महोदय, यही हाल इस देश की जनता का कर दिया गया है, उसके बदन से खून बह रहा है लेकिन पाँच किलो राशन देकर उसको विकास बताया जा रहा है....

अध्यक्ष : देश की जनता बहुत मजबूत है, बुद्धिमान है, भरोसा रखिये जनता पर।

श्री सतीश कुमार : महोदय, इसलिए हिटलर की कहानी को देश में दोहराया जा रहा है....

अध्यक्ष : जनता पर विश्वास कीजिये, भरोसा रखिये। बैठिये, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, जब हिटलरशाही नहीं चली तो देश किसी भी मोदीशाही को, नीतीशशाही को बर्दाशत नहीं करेगा।

अध्यक्ष : बैठिये, आपका समय समाप्त हुआ। माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद जी।

श्री सतीश कुमार : महोदय, ये हिटलर का देश और झूठलर का देश हम नहीं बनने देंगे।

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये। सभी लोग बैठ जाइये।

श्री सतीश कुमार : महोदय, इसलिए हम यही कहना चाहते हैं, जिनको हिटलर से हमदर्दी है....

अध्यक्ष : बैठ जाइये। माननीय सदस्य, आपका हो गया, बैठ जाइये।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, एन.डी.ए. के यशस्वी वित्त मंत्री जी ने जो बिहार के वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमें बोलने का अवसर दिया। महोदय, यह बिहार कौटिल्य की धरती है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, सत्यदेव बाबू। सुनिल जी बोलने दीजिये।

श्री तारकिशोर प्रसाद : कौटिल्य बहुत बड़े अर्थशास्त्री के रूप में पूरे विश्व में जाने जाते हैं।

(क्रमशः)

टर्न-11/संगीता/19.02.2024

श्री तारकिशोर प्रसाद (क्रमशः) : उन्होंने कहा “‘अलब्धलाभार्था लब्धपरिक्षणी रक्षितविवर्धणी वृद्धस्य तीर्थे प्रतिपादनी च’” अर्थात् जो प्राप्त हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया उसे संरक्षित करना, जो संरक्षित हो गया उसे समानता के आधार पर बांटना। महोदय, वित्त का यह मूल तत्व है और जिसको हमारी सरकार बेहतर ढंग से इन सारी चीजों को समझती है। महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, आपने देखा होगा कि 2005-06 में राज्य का जो बजट था, वह 22 हजार 568.18 हजार करोड़ रुपये मात्र था लेकिन वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल

बजट आकार 12 गुना से भी अधिक बढ़कर 2 लाख 78 हजार 725.72 करोड़ रुपये है। महोदय, जब आप प्राप्ति की तुलना करेंगे वित्तीय वर्ष 2005-06 से, जिस समय एन0डी0ए0 की सरकार इस राज्य की सूरत और सीरत को बदलने के लिए बिहार की जनता ने उसे समर्थन दिया था, तो उसमें 21 हजार 657.92 करोड़ रुपये से वर्ष 2025-26 में लगभग 13 गुना बढ़कर 2 लाख 78 हजार 925.72 करोड़ रुपया हो गया। महोदय, सिर्फ एक-दो आंकड़ा और देना चाहते हैं, शेष फिर हम अपनी बात को रखेंगे। महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का एक महत्वपूर्ण डेटा होता है वह 9 लाख 76 हजार 514 करोड़ रुपये अनुमानित है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान जो 8 लाख 58 हजार 928 करोड़ रुपये से 01 लाख 17 हजार 586 करोड़ रुपये अधिक है। महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13.69 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर का भी अनुमान है। महोदय, मैं इन आंकड़ों को थोड़ा इसलिए रखना चाहता हूं कि जिससे हमारी एन0डी0ए0 सरकार की जो दृष्टि है, जो सोच है वह स्पष्ट रूप से बिहार की आम आवाम को यह दिखाना चाहिए। महोदय, इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 29 हजार 95.42 करोड़ रुपया जो राजकोषीय घाटा का अनुमान है, जो स्वाभाविक तौर पर होता है लेकिन सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9 लाख 76 हजार 514 करोड़ रुपये का 2.98 प्रतिशत है। यह घाटा 15वें वित्तीय आयोग की अनुशंसा की 3 प्रतिशत की अधिसीमा के अंतर्गत है। महोदय, अभी हमारे माननीय साथी ने कहा कि आप वित्त मंत्री रहे हैं इसलिए लगा कि कुछ जो वित्तीय आंकड़े हैं वह सदन को बताना चाहिए और इसे माननीय वित्त मंत्री जी ने विस्तार से अपने बजट भाषण में भी रखा है और सरकार के जवाब में भी इन सारी चीजों पर अपनी विवेचना करेंगे। महोदय, ये आंकड़े अचानक नहीं हैं क्योंकि जब सरकार की दृष्टि जनता के प्रति और जनता की प्रतिबद्धता के प्रति रहती है तो स्वाभाविक है कि इस तरह के जो विकासात्मक कार्य हैं या जनता के प्रति जो सोच है वह सारी चीजें उनके बजट में, सरकार के कामकाज में वह दिखती है। महोदय, मैं एक शेर से इसकी शुरूआत करना चाहता हूं :

“नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं,
सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं,
कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं,
दिशा को बदलो तो किनारे खुद-ब-खुद बदल जाते हैं।”

महोदय, जब सरकार की दृष्टि बहुत साफ रहती है तो ये सारी चीजें स्वाभाविक तौर पर सकारात्मक स्वरूप लेती हैं। महोदय, हम आज हिंदुस्तान में भारत के

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने विकसित भारत का खाका पूरे देश के लिए खींचा है और महोदय, आपने सुना भी होगा कि राज्यसभा में जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण उत्तर में माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा भी था...

(व्यवधान)

नहीं हम आ रहे हैं, बिहार के बजट पर भी आ रहे हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ये बिहार के बजट पर ही बोल रहे हैं।

श्री तारकिशोर प्रसाद : हम आ रहे हैं। बिहार भारत में ही है और भारत के प्रधानमंत्री की दृष्टि को आप समझिए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : तारकिशोर जी, आप अपनी बात को कहिए, उतना समय नहीं है आपके पास।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, इनका ध्यान अभी भारत जोड़ो यात्रा पर है, भारत के विकास पर नहीं है इसलिए इस तरह की ये बातें करते हैं...

अध्यक्ष : अब समय नहीं है आपके पास।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, हम बतला रहे थे कि इसके पहले हम सबों ने आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार की बात कही थी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबों ने बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का भी काम किया और आज भारत एक विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है और जो एक लक्ष्य है विकसित भारत का उसके लिए आवश्यक है कि जबतक प्रत्येक राज्य विकसित नहीं होगा हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि राज्यों के भी विकास की जरूरत है अगर वह विकसित होगा तभी भारत विकसित होगा। इसीलिए महोदय उस परिप्रेक्ष्य में कहना चाह रहे थे कि...

(व्यवधान)

ये जुमला नहीं है महोदय...

अध्यक्ष : आप बोलिए। कहां चक्कर में पड़ गए।

(व्यवधान)

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वे आपका समय खींच रहे हैं, आप बोलते रहिए।

(व्यवधान)

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, वर्ष 2005 से हमारी सरकार बनी और हमारी सरकार ने पूरे राजनीतिक क्षेत्र से और सामाजिक क्षेत्र से लालटेन युग को समाप्त करने का काम किया और यही बातें इन्हें अखर रही हैं महोदय। जिस लालटने युग में जीने के लिए विगत 15 वर्षों में वर्ष 2005 के पहले की बिहार की जो स्थिति थी उससे हमारी सरकार ने उबारने का काम किया। महोदय, आज बिहार जो बदला है वह अचानक नहीं बदला है। हमारी सोच, हमारा नेतृत्व, एन0डी0ए0 ने जिन मूल्यों को लेकर गठबंधन किया और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमलोगों ने जो बिहार की सूरत और सीरत को बदलने का काम किया और उसी का परिणाम है कि आज 13 गुना से भी ज्यादा, 12 गुना से भी ज्यादा आज बजट पेश करने में हमारे यशस्वी वित्त मंत्री जी सफल हुए महोदय...

(व्यवधान)

यह कोई जुमला नहीं है, यह यथार्थ है बिहार का और उस यथार्थ पर आज ये भी उसकी हिस्सेदारी लिए हुए हैं। आज ये 5 घंटे में शकील साहब अगर कटिहार से पटना आते हैं तो यह हमारे एन0डी0ए0 सरकार की देन है महोदय, ये कोई यू0पी0ए0 और महागठबंधन सरकार की देन नहीं हैं...

(व्यवधान)

महोदय, महिलाओं की देश के विकास में, राज्य के विकास में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनिए, सुनिए दूसरे की बात सुनिए।

(व्यवधान)

बैठिए, बैठिए।

श्री तारकिशोर प्रसाद : क्या भूमिका है यह बताने की आवश्यकता नहीं है...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिए आप।

श्री तारकिशोर प्रसाद : क्योंकि हमारी सरकार ने महिलाओं को सामाजिक अधिकार देने का काम किया। महोदय, हमारी सरकार ने मातृत्व स्वास्थ्य एवं सरकार की लाभकारी योजनाओं में उसे लाभार्थी बनाकर और महिलाओं की संवैधानिक जो अधिकार है, जो समानता का अधिकार है उन अधिकारों को उन्हें देकर महिलाओं को राज्य के विकास में उनकी भूमिका को सुनिश्चित करने का काम किया है। इसके लिए हम सबों ने एक लंबा लक्ष्य लिया और उस लक्ष्य को पूरा करने में...

अध्यक्ष : समाप्त करिए।

श्री तारकिशोर प्रसाद : हम सफल हुए हैं महोदय। महोदय...

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिए। आपका समय हो गया है।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, आज जातीय गणना पर बड़ी चर्चा हो रही है और जातीय गणना का यह श्रेय लेने के लिए बेदम हैं, माल महाराज का मिर्जा खेले होली...

(व्यवधान)

ये उस समय सरकार में भी नहीं थे। हमलोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में गये थे और हमारी सरकार ने लागू किया लेकिन महोदय, उसका जो फलाफल आया है आज 94 लाख परिवार गरीबी रेखा के आसपास हैं, उस 94 लाख परिवार को हमारी सरकार ने प्रत्येक परिवार को लघु उद्यमी योजना में शामिल करके बिहार के विकास में उन परिवारों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का काम किया है। महोदय, इतना ही नहीं...

अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, इतना ही नहीं...

अध्यक्ष : अब हो गया, प्लीज अब आप बैठ जाइए।

टर्न-12/सुरज/19.02.2024

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, बस अंत में एक मिनट। महोदय, प्रभु राम का मंदिर आज बना है अयोध्या में और माता सीता की यह जन्मस्थली है बिहार और हमारी सरकार ने पुनौरा धाम के विकास के लिये वही पैमाना को अपनाने का काम किया है...

अध्यक्ष : हो गया। श्री संतोष कुमार मिश्र।

श्री तारकिशोर प्रसाद : जो पिछले दिनों अयोध्या में हमारी सरकार ने करने का काम किया था। इसके लिये मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष : संतोष जी।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, आपने नियमन दिया कि बजट पर बोला जाय, आपका नियमन था और उसको तोड़कर ये चले गये अयोध्या।

अध्यक्ष : सुने नहीं क्या हुआ, देखे नहीं क्या हुआ। बोलने दीजिये संतोष जी को।

श्री संतोष कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय का जो बजट प्रस्तुत किया गया है आदरणीय वित्त मंत्री जी के द्वारा उसके विपक्ष में बोलने के लिये मैं खड़ा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि इस बदले हुये माहौल में जहां की 15 महीने में ही सरकारें बदल जाती है, 17 महीने में ही सरकारें बदल जाती है। आप इस कुर्सी पर आदरणीय अध्यक्ष महोदय विराजमान हैं आपको बहुत-बहुत बधाई है और

शुभकामना है हमलोगों की तरफ से, पूरे विपक्ष की तरफ से, पूरे महागठबंधन की तरफ से और यह आश्वासन के साथ, आपसे एक आश्वासन लेना चाहते हैं विपक्ष के सदस्य की जितना आप उधर देखेंगे उससे ज्यादा आपको इधर संरक्षण देना होगा, इसके लिये बहुत-बहुत...

अध्यक्ष : इधर ही देख रहे हैं ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : उसी के लिये तो बधाई और शुभकामना दे रहा हूँ अध्यक्ष महोदय । जहाँ तक कि आज हम सभी इस 2024-25 के बजट के बारे में जो यहाँ चर्चा हो रही है इस सदन में 2 लाख 78 हजार 725.72 करोड़ का बजट है जैसा कि अभी सभी ने जाना । पिछले साल इस बजट का आकार करीब 2 लाख 61 हजार 885.40 करोड़ था । महोदय, मात्र 6.43 प्रतिशत की वृद्धि है और एक तथ्य जान लिया जाय यह 2024-25 का जो बजट है, यह बजट योजना मद से ज्यादा स्थापना मद पर खर्च करने के लिये यह बजट इस 2024-25 में आया है और यह तो साबित हुआ है । आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जब बजट प्रस्तुत किया उस समय भी इस बजट में अगर देखा जाय । अभी हमारे पूर्व के वरिष्ठ नेता और पूर्व के वित्त मंत्री आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी कह रहे थे । राजकोषीय घाटा अगर पिछले साल से आप कम्पेयर करेंगे तो तीन हजार करोड़ रुपया इस समय ज्यादा है हमारा राजकोषीय घाटा । पिछली बार करीब 25 हजार करोड़ था, इस बार 29 हजार करोड़ के लगभग में है । विभिन्न क्षेत्र हैं, बड़ा बजट को सराहा गया । हम अखबार पढ़ रहे थे दूसरे दिन 14 तारीख को 13 को जब आपने बजट प्रस्तुत किया तो बजट का आकार शिक्षा के लिये है, नौकरी के लिये है, रोजगार का दायरा आप बढ़ा रहे हैं । सुनने में आ रहा है कि हमारी सरकार जो 15 महीने की थी उसने तो 10 लाख नौकरियों का वादा किया था आपलोगों की तरफ से 20 लाख नौकरियों का वादा आया है और यह एक आपके लिये कहा जाय तो...

(व्यवधान)

2 करोड़ तो पहले था । यह 20 लाख नौकरियों का जो वादा अगर आया है इस बजट में तो यह 20 लाख नौकरी आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी । क्योंकि जिस परिस्थिति में आपलोगों ने सरकार बनायी है, 15 महीने की एक मतलब चिर-परिचित जो हमारी सरकार चल रही थी, अच्छी सरकार चल रही थी । पांच लाख नौकरियां सुनिश्चित की थी हमलोगों की सरकार ने, महागठबंधन सरकार ने उसके उलट होते हुये परिस्थिति और देखिये महोदय यह चीज तो बिहार में ही हो सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसी चर्चा है पूरे देश में कि ये चीजें बिहार में ही हो सकती है कि कोई मुख्यमंत्री 9वीं बार शपथ लेता है 18 साल में । 18

साल में यह तो गनीमत है कि 18वीं बार शपथ नहीं लिया उन्होंने 85 परसेंट पर है अभी और दूसरी बात यह है कि इसी पांच वर्ष के। महोदय, हमलोग तो पहली बार विधायक बनकर आये हैं, हमलोग पहली बार इस सदन का मुँह देख रहे हैं। इतिहास पुराना हो सकता है, पिता का और लोगों का लेकिन यह हमलोगों के लिये किस तरह का एजाम्प्ल सेट किया जा रहा है बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमलोगों के लिये किस तरह का यह पर्याय बनाया जा रहा है। क्या आगे राजनीति में जब हमलोग आगे बढ़ेंगे, हमारा भविष्य है उनका तो अब भविष्य है नहीं। हमारा जो भविष्य है...

अध्यक्ष : यह आप नहीं तय करियेगा कि किसका क्या भविष्य है, यह जनता तय करती है।

श्री संतोष कुमार मिश्र : नहीं, उनकी उम्र हो चुकी है आदरणीय अध्यक्ष महोदय और आप भी जानते हैं कि आपको उनके साथ क्या करना है। महोदय, मेरा यही कहना है कि यह किस तरह का पर्याय बनाया जा रहा है, किस तरह का एजाम्प्ल बिहार में सेट किया जा रहा है। बिहार जो कि...

(व्यवधान)

बजट पर ही बोल रहे हैं। इसको बजट से को-रिलेट कर देंगे। आप शांति से बैठे रहिये। हम बता देंगे, को-रिलेट कर देंगे इसको बजट से। महोदय, जिस तरह का पर्याय बनाया जा रहा है, जैसा मैं कह रहा हूँ। क्या इस बिहार की जो जनता है, 12 करोड़ लोग हैं जो बिहार के उनको भेड़-बकरी समझ लिया गया है कि कभी हम यहां हैं तो कभी वहां हैं। क्या बिहार की जनता का कोई मूल्य नहीं है, जो मतदाता मालिक हैं हमलोगों के, जिनके वोट पर हमलोग जीतकर आते हैं क्या उनकी कोई रेसपेक्ट नहीं है हमारे दिलों में। आप इतने बड़े राजनेता हो गये हैं, इस बार जो 2020 का जो चुनाव हुआ, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को तो जनमत भी नहीं मिला था।

अध्यक्ष : 2020 के चुनाव में किसका-किसका गठबंधन था मालूम है न।

श्री संतोष कुमार मिश्र : जनमत उनको नहीं मिला था। हिसाब से आप उनसे बड़ी पार्टी थे, आपका मुख्यमंत्री होना चाहिये था लेकिन वह हैं कि कुर्सी से ऐसे चिपके हुये हैं कि कुर्सी का मोह उनको जाता नहीं था। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, प्रधानमंत्री के रेस में थे लेकिन उनके सपने को आपलोगों ने चकनाचूर कर दिया। धन्यवाद है आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी को।

अध्यक्ष : संतोष जी, पार्टी ने आपको अवसर दिया है बजट पर बोलने के लिये तो बजट पर बोलिये।

श्री संतोष कुमार मिश्र : उसी पर आ रहा हूँ महोदय । यह बजट पर तो चर्चा है ही लेकिन सामान्य विमर्श का भी इसमें रहता है । महोदय, बजट में अगर देखा जाय तो बजट का आपने कागजी रूप में बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है । नौकरी के बारे में बोला है, शिक्षा के बारे में बोला है । शिक्षा की क्या स्थिति है, शिक्षा का तो ज्यादातर अगर पैसा देखा जाय जो बजट का आकार रहता है इस बार करीब 52 हजार करोड़ का स्कीम मद और स्थापना मद मिलाकर दोनों का शिक्षा का आकार है । आप स्कूलों की हालत देख लीजिये हमारे क्षेत्रों में, किसी के भी जितने लोग यहां उपस्थित हैं, जितने आदरणीय विधायक महोदय यहां उपस्थित हैं । आप देख लीजिये स्कूलों का, प्राथमिक विद्यालय का आप देख लीजिये, मध्य विद्यालयों की हालत देख लीजिये, हाई स्कूलों की हालत देख लीजिये । बिल्डिंग बने हुये हैं...

(व्यवधान)

उस समय भी दिखाई पड़ता था, उस समय भी बोले हैं ऐसा नहीं है ।

अध्यक्ष : संतोष जी, इधर देखकर बात करिये, उधर कहां देखने लगते हैं आप ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : नहीं, वह बोलने लगते हैं बीच में ।

अध्यक्ष : आप कंक्लूड करिये, टाइम आपका हो रहा है ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : महोदय, कंक्लूड नहीं करना है, यह जान लेना चाहिये कि जो बजट आपने पेश किया है वह बजट अगर एक तरह से देखा जाय तो महोदय यह सुनिश्चित नहीं कर रहा है कि किस तरह के विकास की गति, किस तरह के विकास की रेखा आप खोंचना चाहते हैं क्योंकि आपका नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है, उस व्यक्ति के पास अब कोई विजन नहीं रह गया है । पिछले दिनों सात निश्चय पार्ट-2 की बात कर रहे थे, सात निश्चय पार्ट-2 पर बोल रहे थे कि सात निश्चय पार्ट-2 मेरा सपना था, मैंने लाया । महोदय, आप सात निश्चय पार्ट-1 देख लीजिये । नल-जल उसमें मेंशन था । नल-जल की स्थिति देख लीजिये पूरे बिहार में और कोई ऐसा नहीं है चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो कोई बता दे कि नल-जल की क्या स्थिति है, किसके घरों तक पानी जा रहा है । वर्चितों को तो आपने एकदम ही छोड़ दिया है...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये टाइम हो रहा है आपका ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : जो समाज के निचले पायदान पर लोग हैं तो यह उस व्यक्ति का बजट हो सकता है मुझे नहीं विश्वास है कि यह बजट आपका है आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी । यह विजन रहित जो व्यक्ति है, जो आपका नेतृत्व कर रहा है उसका बजट भले हो सकता है और यह बजट पूरे बिहार की जनता को जिस प्रकार से वह व्यक्ति स्वीकार नहीं है बिहार की जनता को । उस प्रकार से...

अध्यक्ष : समाप्त करिये अब हो गया ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : यह बजट नहीं स्वीकार है बिहार की जनता को और आगे आने वाले समय में...

अध्यक्ष : श्री राज कुमार सिंह ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : आपको यह पता चलेगा कि एक विजन रहित व्यक्ति के साथ आप हैं अगर हैं...

अध्यक्ष : श्री राज कुमार सिंह । आपका समय 10 मिनट है ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : जनादेश आपको मिला था । आप अपने दम पर सरकार बनाने की...

अध्यक्ष : हो गया, बैठ जाइये । बोलिये ।

टर्न-13/राहुल/19.02.2024

श्री राज कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस बजट पर बोलने का अवसर मिला इसके लिए आपका और हमारे मुख्य सचेतक श्रवण कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं । यह बजट निश्चित रूप से बिहार सरकार की विकास के प्रति जो सोच है, जो लगातार बढ़ते रहने का संकल्प है उसका एक प्रारूप है । मैं कुछ आंकड़ों की तरफ जाऊंगा कि किस तरीके से लगातार बिहार की सरकार, बिहार के विकास के मिशन को लेकर आगे बढ़ती रही है । आज 2 लाख 78 हजार 725 करोड़ का यह बजट है और जिस तरीके से आर्थिक विकास की दर में वृद्धि हुई है । बिहार आज 10.64 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहा है वही वैश्विक वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत है और हमारा राष्ट्रीय औसत 7.24 प्रतिशत का है । यह इस बात का सूचक है कि बिहार सीमित संसाधनों के बीच में किस तरीके से लगातार प्रगति कर रहा है और उसी का यह फलस्वरूप है कि आज बिहार की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से चलने वाली आर्थिक व्यवस्था बनकर तैयार हुई है, दूसरा स्थान 10.2 प्रतिशत पर असम का है और तीसरा स्थान 9.2 प्रतिशत के साथ केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली का है । यह माननीय मुख्यमंत्री जी की विकास के प्रति जो प्रगतिशील सोच है लगातार बिहार के मिशन को आगे ले जाने के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है यह उसका द्योतक है और कई चीजों में हम लोगों ने अभूतपूर्व कार्य किये हैं । बजट में सभी आंकड़े तो दिये जा चुके हैं । मैं सिर्फ कुछ क्षेत्रों के बारे में बात करूँगा । स्वास्थ्य का क्षेत्र और उसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है मातृ मृत्यु दर । मातृ मृत्यु दर के अंक में 47 प्रतिशत की गिरावट आयी है । राष्ट्रीय औसत में 25 प्रतिशत की गिरावट हुई लेकिन बिहार में यह 47 प्रतिशत की गिरावट आयी है मातृ मृत्यु दर में । यह इस बात का सूचक है कि किस तरीके से स्वास्थ्य संरचनाओं की अभिवृद्धि हुई है, किस तरीके से संस्थागत क्षेत्र में प्रसव के

लिए महिलाएं जाने के लिए जागरूक हुई हैं और यह एक लगातार महिलाओं में जागरूकता, उनके शिक्षा के स्तर में विकास इन सब चीजों का द्योतक है और माननीय मुख्यमंत्री ने इन्हीं आधारभूत चीजों पर फोकस किया है ताकि बिहार प्रगति करे। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से बिहार ने प्रगति की है मैं इस क्षेत्र में यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से विद्यालयों में और खासकर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की ड्रॉपआउट रेट में जिस प्रकार की कमी आयी है...

(व्यवधान)

मैं बता रहा हूँ ड्रॉपआउट रेट में...

अध्यक्ष : इधर देखकर बोलिये। ये आपका समय खराब करने के लिए खड़े हो रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिये। संतोष जी, मैंने पहले दिन आग्रह किया था कि जो बात आपको अच्छी न लगे वह आप मत करिये। आपको कोई टोकता है तो अच्छा लगता है क्या? क्यों टोकते हो दूसरे को। न आप उनको टोको, आप अपनी बात कहो। बोलिये।

श्री राज कुमार सिंह : ड्रॉपआउट रेट में प्राथमिक क्षेत्र में 25 प्रतिशत की ड्रॉपआउट रेट है, उच्च प्राथमिक 39.4 प्रतिशत की ड्रॉपआउट रेट है और माध्यमिक क्षेत्र में 40 प्रतिशत की ड्रॉपआउट रेट है और यह ड्रॉपआउट रेट भी जो हमारी शिक्षा नीति है, सरकार की जो प्रतिबद्धता रही है, आधारभूत संरचनाओं में विकास हुआ है, शिक्षा की गुणवत्ता में विकास हुआ है इस कारण से बच्चे आज शिक्षा की ओर जाने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सामने बैठे साथियों के लिए दो लाईनें कहना चाहूँगा क्योंकि ये चीजें उनको दिखेंगी नहीं। मैं दो लाईन कहना चाहूँगा कि:

“आंखों में रखा, दिल में उत्तरकर नहीं देखा।

कश्ती के मुसाफिर ने समुंद्र नहीं देखा ॥

और जिस दिन से चला हूँ, मेरी मंजिल पर नजर है।

आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा ॥”

यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। आज जितना जो कुछ भी कहते रहें वे लगातार प्रगति के पथ पर चलते रहेंगे और मैं आपको यह भी बता दूँ कि :

“यह शोहरत कोई विरासत में नहीं मिली है,

आपने उनका कांटो भरा बिस्तर नहीं देखा ।”

आपने जो बिहार दिया था उस बिहार को जिस गर्त में पहुंचा हुआ बिहार आपने दिया था...

अध्यक्ष : “यह शोहरत हमें यूँ ही नहीं मिली,

आपने मेरा कांटों का बिस्तर नहीं देखा ।” यह है ।

श्री राज कुमार सिंह : वही मैंने कहा कि :

“यह शोहरत मुझे कोई विरासत में मिली है ?

तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा ॥”

महोदय, यहां पर शेर का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है मैं तो अपनी बात कह रहा था और इसी तरीके से कई क्षेत्रों में जो कार्य हुए वे अभूतपूर्व हैं और उसका कारण है कि हम लगातार विकास के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तक विकास के क्षेत्र में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और उसी तरीके से युवाओं के लिए भी, युवाओं की शारीरिक वृद्धि हो, उनकी मानसिक वृद्धि हो, उनमें खेल के प्रति लगाव हो तो आपने देखा है कि किस तरीके से विभाग को युवा एवं कला संस्कृति विभाग से अलग करके माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक नये विभाग का निर्माण किया गया और कई तरीके की योजनाएं लाई गयीं जिसमें मेडल लाओ और नौकरी पाओ । यह योजना अपने-आप में अभूतपूर्व है । इसमें यह दिखाया गया है कि खेल के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व संभावनाएं हैं । खेल और शिक्षा दोनों को हम अलग करके नहीं देख सकते हैं तो ये सारे कार्य लगातार हो रहे हैं । कुछ चीजें और हैं जो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कार्य हुए हैं जैसे हर घर नल का जल है । बड़ी खुशी की बात है और मैं बताऊं कि 2015 में हर घर नल का आच्छादान मात्र 2 प्रतिशत था और सिर्फ 5 वर्षों के कार्यकाल में इसका शत प्रतिशत आच्छादन कर देना यह बहुत बड़ी सोच, बहुत अच्छी कार्यशैली और बहुत ही विधिवत कार्यशैली का द्योतक है कि आज शत प्रतिशत घर हर घर नल का जल योजना से आच्छादित हैं और इसी योजना से प्रभावित होकर केन्द्र की सरकार ने भी वर्ष 2019 में राष्ट्रीय जल मिशन की शुरुआत की और इस क्षेत्र में हमारे देश के जो पांच अग्रणी जिले हैं उनमें 4 जिले बिहार के हैं । वे हैं समस्तीपुर, शेखपुरा, बांका और सुपौल तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने कार्य किये हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य हुए हैं । एक चीज और है कि जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसके आंकड़े में अगर हम देखेंगे तो वर्ष 2019-2021 के बीच में ये आंकड़े 51.89 प्रतिशत से घटकर 33.79 प्रतिशत हो गये हैं । यह बिहार का आंकड़ा है और गरीबी दर में गिरावट करने वाले राज्यों में आज हम सर्वोपरि हैं,

सबसे आगे हैं। गरीबी दर में गिरावट का हमारा जो आंकड़ा है वह 18.1 प्रतिशत की कमी हमने अपनी गरीबी दर में की है जबकि राष्ट्रीय औसत सिर्फ 9.89 प्रतिशत है। यानी जिस दर से राष्ट्रीय औसत गरीबी दर में कमी आयी है हम दोगुनी ज्यादा रफ्तार से गरीबी दर में कमी लाये हैं यह भी विकास के प्रति प्रतिबद्धता और समाजिक, आर्थिक क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योगदान रहा है और जो उनके कार्यक्रम रहे हैं उसकी बदौलत हुआ है। चूंकि मुझे लगता है कि मेरा समय अब समाप्ति की ओर जा रहा है इसलिए...

अध्यक्ष : अब कंक्लूड कीजिये।

श्री राज कुमार सिंह : मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का और जो संबंधित मंत्री जी हैं उनका निश्चित रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हमारा क्षेत्र मटिहानी विधान सभा गंगा के किनारे के दोनों तरफ अवस्थित है और लगातार बाढ़ की विभीषिका से वह प्रभावित रहता है और वर्ष 2021 की जो बाढ़ आयी थी मुझे लगता है शताब्दी में उससे बड़ी बाढ़ नहीं आयी होगी और उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मटिहानी विधान सभा क्षेत्र का दौरा किया था और लोगों की मांग थी कि वहां पर एक रिंग बांध का निर्माण किया जाय ताकि दो लाख से अधिक आबादी को बाढ़ से हमेशा के लिए निदान मिल जायेगा। इससे राज्य को आपदा के कारण जो खर्च करना पड़ता है उसमें भी कमी आयेगी। साथ ही साथ अगर रिंग बांध...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये।

श्री राज कुमार सिंह : रिंग बांध का निर्माण हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक-दो मिनट आपसे लूंगा।

अध्यक्ष : दो मिनट हैं समाप्त करिये अब। टाइम हो गया।

श्री राज कुमार सिंह : तो इससे न सिर्फ बाढ़ से राहत मिलेगी बल्कि औद्योगिक क्षेत्र को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी मिलेगी और एक अतिरिक्त जीवन रेखा का भी निर्माण होगा।

क्रमशः:

टर्न-14/मुकुल/19.02.2024

..क्रमशः..

श्री राज कुमार सिंह : ताकि यह कार्य हो सके और अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सामो एक क्षेत्र है जो हमारे अनुमंडल से

80 किमी⁰ की दूरी पर है, चारों तरफ से जलमग्न और एक टापू की तरह है वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग मैंने की है।

अध्यक्ष : ठीक है। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इस बार लोक नायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से विभूषित किया गया है यह हम सभी के लिए हर्ष की बात है। मैं इस सदन के माध्यम से और अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, सदन से आग्रह करूँगा और केन्द्र सरकार से भी आग्रह करूँगा कि अखंड बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू को भी भारत रत्न से विभूषित किया जाय, यह मांग मैं इस सदन के माध्यम करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन।

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सरकार के द्वारा वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट जो पेश किया गया है उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आजकल लगातार कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण की ओर से बहुत बयानबाजी वगैरह आता है और इस पर सभी लोग शेर भी बोल रहे थे तो उसी पर मैं भी एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ।

“जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आ के बैठे वे पहली पंक्ति में,

अभी से उड़ने लगे हवा में अभी तो शोहरत नई-नई है।”

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, मैं अपने माननीय वित्त मंत्री जी को इंगित करते हुए एक शेर पढ़ा चाहता हूँ।

“खग उड़ते रहना जीवनभर,
मत डर प्रलय इकोरों से तू,
बढ़ आशा हलकोरों से तू,
क्षण में यह अरि-दल मिट जायेगा तेरे पंखों से पिस कर।
खग उड़ते रहना जीवनभर ॥”

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो मैं इनको अगली पंक्ति भी पढ़कर सुना देना चाहता हूँ।

“जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना,
तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी शोहरत नई-नई है।”

अध्यक्ष : वैसे शाहीन साहब, इस लोकतंत्र में खानदान का होना आवश्यक नहीं है, जनता का प्यारा होना आवश्यक है।

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, मैं संस्कार पर बोल रहा हूं कि संस्कार जो नये-नये होते हैं, किन्हीं को नया पैसा होता है तो थोड़ा संस्कार...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ठीक है। आप अपना विषय रखिये।

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो-तीन दिनों से विधान सभा का सत्र चला है। माननीय राज्यपाल महोदय का भी अभिभाषण हुआ उसमें सरकार का भी उत्तर आया और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कुछ उत्तर आया तो मैं उसको भी इंगित करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसके उत्तर में बता रहे थे कि वर्ष 2005 से पहले बिहार में क्या था, घर से लोगों को निकलने में मुश्किलें होती थीं। एक मुख्यमंत्री, एक जिम्मेदार व्यक्ति सदन के हैं, लीडर ऑफ दि हाउस हैं, बिहार के नेता हैं वे, आखिर किस आधार पर उन्होंने इस बात को कहा कि वर्ष 2005 से पहले बिहार की स्थिति कानून-व्यवस्था के मामले में बेहतर नहीं थी। मैं चुनौती देता हूं भारत सरकार के गृह मंत्रालय का आंकड़ा निकालिये, उस पर डिबेट कीजिए कि वर्ष 1990 के दशक में, 1995 में, 1998 में, 2000 में और 2002 में कितनी हत्याएं, कितना बलात्कार, कितनी लूट, कितना दंगा, कितनी तरह की कॉग्निजेबल जो टोटल कॉग्निजेबल क्राइम है, वह कितना हुआ करता था। आप ही के भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जो हैं उनका आंकड़ा बताता है कि वर्ष 1990 के दशक में और शुरुआती 2000 के आस-पास 2001, 2002 और 2003 में 80 से 90 हजार के आसपास पूरे कॉग्निजेबल क्राइम हुआ करते थे और आज आप पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, 2 लाख से ज्यादा कॉग्निजेबल क्राइम प्रत्येक वर्ष इस प्रदेश में होता है, चाहे दलितों पर अत्याचार का मामला हो, महिलाओं पर अत्याचार का मामला हो, हत्या का मामला हो और लूट का मामला हो। मैं नहीं कह रहा हूं, अभी गूगल सर्च कीजिए अभी आ जायेगा कि कॉग्निजेबल क्राइम पिछले साल कितना था, उससे पहले कितना था और उससे पहले कितना था। इसीलिए इस तरह की गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले बजट क्या हुआ करता था, अपने पुराने वित्त मंत्री जी को इशारा करते हुए हाउस को बोल रहे थे कि पहले क्या बजट था बिहार का, वर्ष 2005 का क्या बजट था और आज कितना बजट है दो लाख से भी ऊपर चला गया, ढाई लाख पहुंच गया। यह भी पूरे हाउस को और पूरी बिहार की जनता को मिसलीड करना हुआ। क्या सिर्फ बिहार का बजट बढ़ा है, केन्द्र सरकार का वर्ष 2005 में क्या बजट हुआ करता था, आज कितने प्रतिशत की वृद्धि केन्द्र में हुई है। उत्तर प्रदेश का क्या बजट हुआ करता था, आज कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो पूरे देश में वृद्धि हुई है इसलिए बिहार में

भी वृद्धि हुई है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, इस निरंतर प्रक्रिया को आप बताइयेगा कि यह मेरी उपलब्धि है तो यह उचित नहीं है। उसी तरह से उन्होंने कई बातें कहीं, हम सभी बातों की चर्चा नहीं करेंगे। उन्होंने बार-बार इस बात को कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता था, क्या होता था। हमको पता नहीं कि वे क्या बोलना चाह रहे थे लेकिन अभी इनका जो जातिगत आंकड़ा, आर्थिक सर्वेक्षण सामने आया है उसमें यह बताया गया है कि बिहार प्रदेश में दलितों से भी बदतर हालत है मुस्लिम समाज का, अकलियत समाज का। उसमें नौकरी के मामले में एक प्रतिशत भी नौकरी नहीं है 0.94, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। शिक्षा के मामले में जो ग्रेजुएट होते हैं, आज केवल 6 से 7 प्रतिशत ग्रेजुएट लोग हैं मुस्लिम समाज में। अध्यक्ष महोदय, आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों को ही देखेंगे सबसे बदतर हालत है 33 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। आप चेयर पर 15 साल, 18 साल और 19 साल से हैं और जो रिपोर्ट बता रही है कि बिहार में दलितों से, आदिवासियों से और अति पिछड़ों से भी बदतर स्थिति मुसलमानों की है, यह आपकी रिपोर्ट बता रही है। फिर आप कहते हैं कि हमने यह किया, वह किया, इसलिए मिसगाइड नहीं करना चाहिए। वे बोल रहे थे जिसको हमलोग सुन रहे थे, इसलिए हम उस पर बोल रहे हैं कि अभी आपलोग कर रहे थे क्या पैसा दे रहे थे, कितना दे रहे थे, लाखों रुपया दे रहे थे, आप किस आधार पर इस बात को बोल रहे थे। प्रमाण तो यह है कि हमारे तीन सदस्य आपकी तरफ गये, आपने कितने पैसे उसको दिये, क्या प्रलोभन दिया यह आप बताइयेगा। यह प्रमाण है, पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है, पूरी मीडिया देख रही है कि हमारे तीन सदस्य आपकी तरफ जाकर बैठे हैं और आप उल्टा आरोप हम पर लगा रहे थे कि आप प्रलोभन दे रहे थे। मुख्यमंत्री जी बतायें कि आपने 5 करोड़ दिया, 10 करोड़ दिया, क्या प्रलोभन दिया, मंत्री बनाने का आपने आश्वासन दिया या सांसद के टिकट का आश्वासन दिया। आपको जवाब देना है, उल्टा आप हमपर आरोप लगा रहे हैं। इस तरह की अनावश्यक बातें हाउस में कम से कम नहीं होनी चाहिए।

(व्यवधान)

पूरे बिहार में चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल के तीन विधायकों को उधर ले लिया गया, किस तरह से लिया गया इस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। लेकिन पूरा बिहार इस बात को जान रहा है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, पिछले 19-20 सालों से बिहार में एन0डी0ए0 की सरकार है, भाजपा की जदयू की, जदयू की भाजपा की सरकार है, बीच के एकाध साल हमलोगों का हटा दीजिए तो बिहार आज किस स्थिति में है। भारत सरकार का नीति आयोग और भारत सरकार की तमाम संस्थाएं यह बताती हैं कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बिहार में सबसे ज्यादा लोग पलायन कर रहे हैं। आखिर इस बद से बदतर स्थिति का जिम्मेदार कौन है। 18 साल से भाजपा, जदयू की सरकार बिहार में चल रही है और तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है तो इसका जवाब देना चाहिए। अभी जो बजट पेश हुआ, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने उस दिन पढ़ा तो हमलोग देख रहे हैं, हमलोग जो वर्ष 2015 में महागठबंधन एकजुट होकर जो चुनाव लड़े थे उसमें सात निश्चय की पॉलिसी हम तमाम लोगों ने मिलकर बनाया था, वही बजट अभी तक 9 साल से चल रहा है सात निश्चय-2 करके, वह तो हमारा बजट था, वह हमारा दृष्टिकोण था, माननीय जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, वाम दल हो, हम सब लोग मिलकर के बनाये थे वही सात निश्चय-2 का अधिकांश पैसा उसी के संदर्भ में है। यह सब स्थिति है तो इस पर हम क्या ज्यादा बोलेंगे लेकिन सरकार को आज इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा कि बिहार के पिछड़ेपन का जिम्मेदार कौन है, बिहार में जो बेरोजगारी इतनी बढ़ी है उसका जिम्मेदार कौन है, बिहार में जो पलायन की स्थिति है उसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुआ और बड़े परिश्रम के बाद जो हमलोगों का प्रयास था माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बातों में लेना, माननीय मुख्यमंत्री जी को कन्वेंस करके प्रधानमंत्री जी के पास ले जाना वहाँ पर बात करना।

क्रमशः

टर्न-15/यानपति/19.02.2024

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन (क्रमशः) : पूरा बिहार गवाह है कांग्रेस के लोग थे, वामदल के लोग थे और हमारे नेता थे। हमलोग विपक्ष में थे, हमारे विपक्ष के नेता तेजस्वी जी मुख्यमंत्री जी के पास गए और मुख्यमंत्री जी से बात किये, मुख्यमंत्री जी बोले हाँ हम आपके प्रस्ताव से सहमत हैं चलिए प्रधानमंत्री जी से समय लेते हैं सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इनकार किया कि हम पूरे देश में नहीं कराएंगे जातिगत जनगणना और यहाँ पर श्रेय लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर आप जातिगत जनगणना के समर्थक हैं एक भी राज्य बताइये भारतीय जनता पार्टी

से शासित राज्य का जहां पर जातिगत जनगणना कराने का काम किया, एक भी राज्य बताइये । कहां से कहां चले जाते हैं, क्या बोलते हैं । आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आया उसमें अभी बता रहे थे जो पुराने वित्त मंत्री जो उप मुख्यमंत्री थे यह बोल रहे थे कि 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे बिहार में हैं जिसके बारे में सबलोग चर्चा करते हैं । 94 लाख परिवार का मतलब क्या है, एक परिवार में छः सदस्यों को माना गया है । लगभग 5 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे, अब गरीबी रेखा के नीचे आम जनता की समझ में बात नहीं आती है, गरीबी रेखा का मानक भारत सरकार और लोगों ने इस तरह बनाया है कि 20-25-30 रुपया भी कमा लिए तो गरीबी रेखा से आप पार कर रहे हैं । 50 रुपया अगर एक व्यक्ति की आमदनी.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप इधर बोलिये ।

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन : 6 हजार रुपया, इनको जानकारी के लिए बता दें, 6 हजार रुपया आमदनी के ऊपर को माना गया है गरीबी रेखा से ऊपर, 6 हजार में एक व्यक्ति नहीं एक परिवार, एक परिवार की परिभाषा क्या है छः व्यक्ति, उसका मतलब क्या हुआ एक सदस्य पर एक हजार रुपया, प्रत्येक दिन क्या हुआ 25 रुपया समझ में आता है, विस्तार से समझिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं । 50 रुपया जो आदमी एक दिन में कमाता-खाता है वह गरीब नहीं है, भारत सरकार का आंकड़ा यह कहता है क्योंकि वह 6 हजार से ऊपर हो गया आमदनी उसके परिवार में तो ऐसी स्थिति है और 6 हजार से 10 हजार के बीच में वैसे भी परिवार मतलब 29 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो 6-7-8 हजार कमाते हैं मतलब 30 से 40 रुपया प्रति व्यक्ति पर पड़ता है । अगर हम दोनों 10 हजार से नीचे को हटा लें तो लगभग 13 करोड़ की आबादी में लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 10 हजार से नीचे कमाते हैं । जो 1000-1200 महीना पर एक व्यक्ति जीवन बसर कर रहा है इस प्रदेश में । आखिर कैसे जिंदगी जी सकता है 1000-1200 रुपया में इस प्रदेश में । आपका जातिगत जनगणना बता रहा है । आखिर क्या कर रहे हैं 20 साल से आपलोग सत्ता में बैठकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग, इसपर हम बात करना चाहते हैं । आखिर नीति आयोग भी बता रहा है तमाम पैरामीटर के बारे में, देखिए बिहार बेरोजगारी का हब बन गया है इससे इनकार नहीं है बिहार में दो करोड़ लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं, अपने माता-पिता, बीवी-बच्चे को छोड़कर के एक जानवर जैसी जिंदगी जीते हैं, अपमान की जिंदगी जीते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका । 20 साल

से आप सत्ता में, 18 साल से आप जनता दल यू, भाजपा बैठा हुआ है 40 लाख लोग प्रत्येक वर्ष पलायन करके दूसरे प्रदेश में अपमान की जिंदगी जी रहे हैं, आपकी क्या नीति है, क्या बजट पेश किया है। आपने उसके लिए कोई पेश किया कि हम प्रत्येक ब्लॉक में उद्योग लगाएंगे, हम प्रत्येक पंचायत में कल-कारखाना लगाएंगे, ब्लॉक में लगाएंगे, हमारे मजदूर बाहर नहीं जाएंगे, क्या शिक्षा की व्यवस्था, सबलोग जान रहा है कि इस प्रदेश में चपरासी का बच्चा भी सरकारी विद्यालय में पढ़ना नहीं चाहता, एडमिशन नहीं कराना चाहता, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस विधान सभा में जो चपरासी ग्रेड के आदमी हैं उनसे बुलाकर आप बात कीजिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था आपने बनाई है कि चपरासी का बच्चा भी सरकारी विद्यालय में नहीं जाना चाहता। वह तो धन्य मानिये तेजस्वी यादव जी को और महागठबंधन को कि एक साल का अवसर मिला इतने वृहत पैमाने पर शिक्षकों की बहाली कर दिया कि आज अच्छे-अच्छे लोग प्राइवेट विद्यालय से नाम कटाकर के सरकारी विद्यालय में नाम लिखा रहे हैं। पूरा परिवर्तन हुआ है माहौल, जो ढाई लाख शिक्षक अभी गए हैं, प्रत्येक पंचायत में 10-20-50 शिक्षक गए हैं माहौल बदला है उससे। तो यह सब करने की जरूरत, पलायन को रोकने के लिए कोई भी योजना इन्होंने इसमें नहीं दिखाया है। मुख्यमंत्री जी बराबर कहते रहे कि हाँ हम मानते हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ है मैंने बहुत प्रयास किया। मैं भी मानता हूं, ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई काम नहीं हुआ, काम हुआ है लेकिन तमाम आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि बिहार सबसे फिसड़ड़ी है, सबसे बेरोजगार है, सबसे गरीब है, मुख्यमंत्री जी ने 100 बार कहा हाउस में भी कहा, बाहर भी कहा कि जबतक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तबतक बिहार विकसित नहीं हो सकता है। 10 साल से आपके एन0डी0ए0 की सरकार है बिहार में 40 में से 39 सीट बिहार की जनता ने एन0डी0ए0 को दिया है, नीतीश कुमार जी आपके कहने पर दिया है, आप क्यों चले गए भारतीय जनता पार्टी के पास, क्या मांगने गए। मुख्यमंत्री के कुर्सी को आपने पसंद किया या विशेष राज्य के दर्जा की शर्त पर आपने गठबंधन किया है। मुख्यमंत्री जी को हाउस में बताना चाहिए कि हम बिहार के हित में विशेष राज्य के दर्जा की बात हुई है, प्रधानमंत्री से घोषणा करवाना चाहिए। आखिर बिहार की जनता पिछली बार भी 40 में 32-34 सीट आपको दिया था, इस बार भी 40 में 39 सीट दिया है, आखिर क्या कर रहे हैं, आखिर पिछले 10 सालों में एक बार भी बिहार के विकास को लेकर के केंद्र सरकार ने बैठक की है कि हाँ बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम विशेष दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, हम यह काम करेंगे, एक बैठक भी

गंभीरता से की है। हमको तो अफसोस आता है माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि आप तो चिल्ला-चिल्ला कर बोलते थे विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का पैकेज आप तो नहीं कर रहे हैं। और जातिगत जनगणना के बारे में क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी बोले.....

अध्यक्ष : अब कंक्लूड कर दीजिए।

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन : जब माननीय मुख्यमंत्री जी यह चाहते हैं कि बिहार के दलित, पिछड़े, अतिपिछड़े समाज का जातिगत जनगणना के आधार पर हो सकता है तो देश में भी होना चाहिए, गठबंधन से पहले यह शर्तें क्यों नहीं रखीं। कॉमन प्रोग्राम क्यों नहीं केंद्र सरकार से बनाया, कुछ नहीं किया उसपर भी। तो समझिए इन बातों को, मैं अपनी कुछ बातों को कहकर खत्म करता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक इंपोर्टेट मुद्दा है कि अभी पूरे बिहार में जो नगर निकाय का दर्जा दिया बिहार सरकार ने उसको 2023 में चुनाव हुआ और विधिवत तौर पर बोर्ड का गठन हुआ जितने भी बिहार में नगर निकाय हैं। यह सबसे जुड़ा हुआ सवाल है और टैक्सेशन जो है दो साल पहले से लोगों से लिया जा रहा है तो मेरा आग्रह होगा वित्त मंत्री जी भी हैं और तमाम लोग हैं कि जितने भी नगर पंचायत, नगर परिषद्, नगर निगम नए बने हैं जबसे बोर्ड गठन हुआ है तबसे लीजिए कोई सुविधा आप दे नहीं रहे थे। सरकार ने जब दो साल पहले नोटिफिकेशन निकाला तभी से टैक्स इसको बांध रहा है, यह पूरे बिहार के लिए सही नहीं है साथ ही आपके इस बजट में रसोइया के लिए कोई प्रोवीजन नहीं किया गया कि उनका मानदेय बढ़ाया जाय, आशा का बढ़ाया जाय, ममता का बढ़ाया जाय, गेस्ट टीचर लोग परेशान हैं उनको कहीं समाहित किया जाय, उसपर भी नाइट गार्ड लोग हैं और उसके बारे में भी कुछ नहीं किया जा रहा है राइट टु लेबर एक्ट के तहत उनको भी मिलना चाहिए। उनको 5-7 हजार रुपया मिल रहा है इसी तरह नाइट गार्ड को भी किया जाय.....

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन : और जो भी पेंशन वगैरह मिल रहा है 400 रुपया, कहां से कहां दुनिया चला गया, केंद्र सरकार भी चार सौ रुपया दे रही है चाहे विधवा पेंशन हो, निःशक्तता पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो 400 रुपया दे रही है। हम मांग करते हैं कि बजट जो पेश हो रहा है कम से कम 2000 रुपया तमाम वृद्धा को, तमाम विधवा को, तमाम निःशक्त लोगों को किया जाय और बिहार के विकास के लिए कोई बढ़िया नये सिरे से बजट पेश किया जाय वही उबाऊ, वही थकाऊ, वही बदतर बजट नहीं पेश किया जाय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : समाप्त किया जाय। माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, बजट के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ दो लाइन से मैं इसको शुरू करना चाहता हूँ कि धरती कह रही है, आसमान कह रहा है जय सियाराम, जय-जय मोदी सरकार, जय सियाराम, जय-जय एन0डी0ए0 सरकार इस देश के साथ पूरा बिहार कह रहा है और कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि इधर से उधर क्यों हो गए, मैं सुन रहा था सतीश जी चले गए यहां से, सवाल कर रहे थे इधर से उधर क्यों हो गए ।

“तो इश्क राजहित का था अध्यक्ष महोदय,
इश्क राजहित का था हम यार हो गए,
एक दूसरे के हम मददगार हो गए,
जो मेरे नहीं हैं उनसे मेरा क्या शिकवा,
हमें बिहार बनाना था, हम एक परिवार हो गए ।”

(क्रमशः)

टर्न-16/अंजली/19.02.2024

श्री जिवेश कुमार (क्रमशः) : अध्यक्ष महोदय, बजट पर संतोष जी जब बोल रहे थे, मैं तो कुछ बोला नहीं, मैं जवाब देने के लिए केवल खड़ा हूँ । अध्यक्ष महोदय, श्रीमती राबड़ी देवी जी ने जो बजट पेश किया था उसकी कॉपी मैं लेकर आया हूँ । वर्ष 2004-05 में श्रीमती राबड़ी जी ने इसी सदन में बजट जो पेश किया था उसमें उन्होंने जो भाषण दिया था उसकी पूरी कॉपी है । योजना मद की जो बात कर रहे थे, अध्यक्ष महोदय, कुल 23885 करोड़ का बजट वर्ष 2004-05 में पेश किया गया, ये जो लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनके समर्थक बोल रहे हैं 23885 करोड़ का कुल बजट पेश किया गया था और संतोष जी आप तो आंकड़े में ज्यादा विश्वास रखते हैं, केवल योजना मद में 2642 करोड़ रुपया उस बजट में आया था यह बजट की कॉपी आपके पास नहीं होगा तो मैं दे दूंगा और 23885 करोड़ का 2642 करोड़ रुपया 11-12 परसेंट होता है, आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। 21243 करोड़ रुपया स्थापना मद में खर्च करने का बजट आदरणीय राबड़ी जी ने इस सदन के अंदर रखा था उसकी यह कॉपी है जिनको चाहिए मेरे से ले लीजिएगा और जहां तक सवाल है इस सरकार की तो सरकार में...

(व्यवधान)

आप बैठ जाइए । मेरा समय कम है ।

अध्यक्ष : आप कहां से आ गए सत्यदेव बाबू । आप कहां से बीच में आ गए, आप बैठिये ।
आप बोलते रहिये ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इनका समय काटकर मुझे दे दीजिए । अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष वर्ष 2004-05 में शिक्षा का बजट, शिक्षा की बात कर रहे थे न, मैं आंकड़ों पर बात कर रहा हूँ । वित्तीय वर्ष 2004-05 में शिक्षा का बजट 3846 करोड़ रुपये मात्र था जो आज बढ़ कर 52639 करोड़ हो गया है, इसको कहते हैं विकास । अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य का बजट वर्ष 2004-05 में 709 करोड़ रुपये था जो आज बढ़कर 14932 करोड़ हो गया, इसे कहते हैं विकास । अध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण विभाग का बजट वर्ष 2004-05 में 891 करोड़ रुपया था आज बढ़कर 5702 करोड़ रुपया है, इसे कहते हैं विकास । अध्यक्ष महोदय, कृषि की चिंता अगर ये लोग किये होते तो बिहार के किसान हिंदुस्तान में अपनी जगह बनाकर रखते । इनके समय में वर्ष 2004-05 में कृषि का बजट मात्र 399 करोड़ रुपया था, आज 3600 करोड़ रुपया है इसको कहते हैं विकास । इनके समय में सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन वर्ष 2004-05 का बजट 1238 करोड़ सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन का बजट था अभी 4398 करोड़ रुपया इस सरकार ने सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन के लिए आवंटित किया है, इसे कहते हैं विकास । अध्यक्ष महोदय, लघु सिंचाई के लिए इन ने सारे नलकूप को बेवकूफ बना दिया । वर्ष 2000 से लेकर 2005 तक नलकूप से जो पानी आता था, उस नलकूप को बेवकूफ बनाते हुए बंद कर दिया । इनके समय में लघु सिंचाई का बजट 246 करोड़ रुपया था, अभी 1030 करोड़ रुपया लघु सिंचाई विभाग पर खर्च करने का निश्चय इस सरकार ने किया है, इसे कहते हैं विकास । अध्यक्ष महोदय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, इनके टाइम में और भी विभाग उसके अंदर था, 288 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ था, वर्तमान समय में 1848 करोड़ रुपया लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए आवंटित किया गया, इसे कहते हैं विकास और भाई सतीश जी अपनी बात कहकर सदन छोड़ कर चले गए । अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति की चिंता कर रहे थे, अगर पिटारा खुलेगा वर्ष 2004-05 का तो उनको अपना सिर छिपाना पड़ता बेंच के नीचे झुककर के । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004-05 में अनुसूचित जाति/जनजाति का बजट 125 करोड़ मात्र और वर्तमान समय में 1802 करोड़ 73 लाख रुपये की व्यवस्था इस सरकार ने किया है, ये हैं डेटा और इन्होंने जो किया है उस बात को रखने की बात हमने की है । अध्यक्ष महोदय, आज बिहार की सरकार का पूरा जोर रोजगार सृजन पर है । बड़ा इठला रहे थे, बड़ा अगरा रहे थे, बड़ा इतरा के कह रहे थे हमने शिक्षकों की बहाली कर दी । अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार की

कैबिनेट गवाह है, 4 लाख रोजगार सृजन एन0डी0ए0 के समय में किया गया। इत्तेफाक से सरकार बदल गई, सरकार बदल गई, धोखे से ये सरकार में शामिल हो गये। नेता कह रहे थे कि जा रहे थे तो कम से कम बता देते कि आप हमको छोड़कर जा रहे हैं, आप जब जा रहे थे तो रात के अंधेरे में किसको बताया कि आप किसके साथ जा रहे हैं। बड़ी तकलीफ हो रही है लीडर ऑफ अपोजिशन बनकर बैठने में। महोदय, सदन में बैठना पंसद तक नहीं है उनको। मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहता हूं लेकिन स्पष्ट रूप से जो चिंता अभी कर रहे थे, सरकार का मूल काम रोजगार सृजन है और हमलोग वर्ष 2020 में जब आये जीतकर के, इस सदन में हमारे नेता ने स्पष्ट कहा था कि 19 लाख रोजगार हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कुछ लोग पूछ रहे थे केंद्र सरकार के दो करोड़ रोजगार की बात। उनको जाने दीजिए, मान्यवर, जरा ई0पी0एफ0ओ0 इंडेक्स चेक कर लीजिए, ई0पी0एफ0ओ0 इंडेक्स आपको बता देगा कि पिछले दस वर्षों में केंद्र सरकार ने कितना रोजगार सृजित किया है और ई0पी0एफ0ओ0 इंडेक्स आपको बता देगा कि वर्ष 2020 से लेकर 2022 तक जब हम सरकार में थे तो क्या यह सच नहीं है कि 4 लाख 52 हजार ई0पी0एफ0ओ0 पर नये रजिस्ट्रेशन हुए। कोविड काल के बावजूद एन0डी0ए0 की सरकार ने 4 लाख 52 हजार नए रोजगार का सृजन किया। हम रोजगार सृजन करने वाले लोग हैं। ये रोजगार लूटने वाले लोग रहे हैं। इनके समय में बिहार से रोजगार देने वाले लोग अध्यक्ष महोदय, बिहार छोड़कर बाहर चले गए, बड़ी संख्या में बाहर चले गए। हमको जब अवसर मिला तो बिहार के अंदर उद्योग-धंधा फिर से स्थापित हो इसकी दिशा में हमने सकारात्मक कदम उठाया और अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए केवल सरकार की प्राथमिकता बता देना चाहता हूं कि रोजगार और महिला सशक्तिकरण हमारे वित्तमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है अनुसूचित जाति/जनजाति/किसान इस सरकार की प्राथमिकता है और हम सरकार का खजाना उनके विकास के लिए खोले हैं, यह बजट भी इसको परिलक्षित कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम तो मुख्यमंत्री हैं नहीं, इंडी गठबंधन की चर्चा ये लोग कर रहे थे, इंडी गठबंधन में तो आप गए, हमको तो लग रहा था कि वहां तो दो ही प्रकार के लोग थे एक वो जिनको अपने बेटे-भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना था।

अध्यक्ष : अब कंकलूड कीजिएगा।

श्री जिवेश कुमार : और दूसरे वो जिनको अपने भ्रष्टाचार की संपत्ति बचानी थी। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें कहीं सूट ही नहीं कर रहे थे, तो गए कैसे, आए, हम स्वागत करते हैं, हम मिलकर काम करेंगे बिहार के लिए स्पष्ट रूप से, अब बड़ा

आश्चर्य तो तब लगता है कि अध्यक्ष महोदय, आजकल परिवारवादी लोग भी अपने को समाजवादी कहने लगे हैं। जो परिवारवादी लोग हैं वे भी अपने को समाजवादी कह रहे हैं तो समाजवाद को इससे बड़ी गली नहीं हो सकती।

अध्यक्ष : कंक्लूड कीजिए।

श्री जिवेश कुमार : और सही मायने में ये जो बिहार का विकास है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 18 वर्षों में एन0डी0ए0 की सरकार जब-जब रही है बिहार के अंदर विकास, विकास और केवल विकास हमारा मापदंड रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी हैं नहीं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनको आखिरी शेर शब्दों में दो बात कहते हुए, आपका इशारा आ गया है तो हम तो अनुशासित तरीके से बैठना चाहते हैं लेकिन इतना कहते हुए कि श्री नीतीश जी और सम्राट जी और विजय बाबू भी आ गए, आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि-

“आपका यही अंदाज जमाने को जमता है,
कि आपका चिराग जमाने के लिए जलता है।”

इसीलिये तो आपके साथ लोग हैं, बिहार का मन मिजाज आपके साथ है।

(क्रमशः)

टर्न-17/आजाद/19.02.2024

..... क्रमशः

श्री जिवेश मिश्रा : दिनकर ने तो स्पष्ट कहा था कि - धन को मैं धूल समझता हूँ, जीवन को मैं मूल समझता हूँ

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए। माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार सिंह।

श्री जिवेश मिश्रा : अब कुछ लोग जो बैठे हुए हैं, जो धन को मूल समझते हैं और बाकी सबको धूल समझते हैं। बजट को पढ़ना होगा, बजट को ठीक से समझना होगा, यह गरीब कल्याण का बजट है, मैं सरकार को बधाई देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ।

श्री शकील अहमद खाँ : अध्यक्ष महोदय, मैं मात्र 30 सेकेंड का समय चाहता हूँ।

अध्यक्ष : अब समय नहीं है, माननीय सदस्य श्री अजीत जी का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। माननीय सदस्य श्री अजीत जी, बोलिए।

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा हो रही है। मैं तो बजट का कॉपी देख रहा था और पूरे बजट के किताब में मैं यह खोज रहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वाला पन्ना किधर है। हमारे जदयू वाले भाई लोग उधर गये हैं, पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भाई आर्थिक सर्वे हुआ है और दो-दो लाख रु0 94 लाख परिवारों को देना है। इधर इशारा करते

हुए बी0जे0पी0 वाले से कह रहे थे कि दिलवा न दो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तब न सबको पैसा देंगे। इसलिए हम पूछना चाहते हैं, इस बजट में विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं है तो कैसे पैसा दीजियेगा? ऐसे में महोदय, मैंने बजट को देखा, चिन्ता तो बिहार की जनता का करना ही पड़ेगा न। अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा कि बजट में बिहार का चेहरा नहीं देखे हैं। अगर किसी भी बजट में बिहार का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखेगा तो हम उस बजट को समझ नहीं पायेंगे। यदि बजट राज्य की समस्याओं को चिन्हित नहीं करेगी तो उसका समाधान नहीं कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों बिहार की सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट प्रस्तुत किया। मैं यकीनन यह कह सकता हूँ कि शायद बिहार की सरकार इस देश की पहली सरकार होगी, जिसने खुद की आलोचनात्मक विश्लेषण देश के सामने प्रस्तुत की और स्पष्ट तौर पर दिखाया कि बिहार की वास्तविक हकीकत क्या है? इस बार जो भी बजट पेश किया गया है, यह बजट तो बिहार की जनता के लिए होता है। मैं समझता हूँ कि जो सर्वे है, उन समस्याओं को समझते हुए उसका समाधान करने के दिशा में बजट होना चाहिए था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि न ही उन समस्याओं को चिन्हित किया गया और न ही उन समस्याओं पर विमर्श है। इस बजट में पूरे सर्वेक्षण से सिर्फ एक लाईन लिया गया, जिसमें कहा गया कि जो गरीबीरेखा तय की गई है उस सर्वेक्षण में, 6हजार रु0 से नीचे के कमाने वाले लोगों को, जिनकी आबादी तकरीबन 94 लाख चिन्हित की गई है और कहा गया कि 2 लाख रु0 उन 94 लाख परिवारों को दिया जायेगा लेकिन बजट में उनके लिए सिर्फ एक हजार करोड़ रु0 का प्रावधान है महोदय। एक हजार करोड़ रु0 में मात्र 50हजार लोगों को दिया जायेगा और देना कितने को है 94 लाख परिवारों को अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ, ये इतने तारीफ कर रहे हैं, कहां से देंगे, कब देंगे और कैसे देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत याचक की दृष्टि से कह रहे थे कि कुछ कहो, पैसा उधर से मिलेगा तब हम सबको एक बार में ही दे देते। हमको तो लगा था कि जब आपके साथ चले गये तो उधर से खूब बोरा भरकर के पैसा आया होगा और 94 लाख लोगों को इसी बजट में पैसा दे देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

अध्यक्ष महोदय, अभी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, नौकरी यही तो सवाल है। अभी पलायन पर बात हो रही है। उसी सर्वेक्षण में है महोदय कि बिहार से 93 लाख 72 हजार लोग अस्थायी तौर पर पलायन किया है। यह कोई आंकड़ा थोड़े है, यह तो हकीकत है। इसको इस राज्य के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने दिन-रात मेहनत करके जुटाया है, इस आंकड़े को कौन झूठा ठहरा

सकता है। यह तो सबके किताबों में है। 93 लाख से ज्यादा लोग पलायन करते हैं और गरीबी को समझिए कितनी ज्यादा है। शिक्षा की बात होती है, हमारे भाई लोग भारत को विश्व गुरु बनाते हैं, कैसे बनेगा महोदय? जहां अभी भी 2024 में मात्र 6 प्रतिशत लोग ही स्नातक कर पाते हैं, 0.58 प्रतिशत लोग डिप्लोमा करते हैं, आई0टी0आई0 करते हैं, 0.3 प्रतिशत लोग इंजीनियरिंग करते हैं और 0.6 प्रतिशत लोग मेडिकल करते हैं महोदय। यह बिहार की वास्तविक हकीकत है, किसकी सरकार आयी और किसकी सरकार गयी, यह बाद की बात है। लेकिन यह बिहार की तस्वीर है और बिहार में इन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है। महोदय, 6हजार रु0 से लेकर 10हजार रु0 तक कमाने वालों की संख्या कितनी है बिहार में?

अध्यक्ष : अब कनकलूड कीजिए।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, 10 हजार से 20 हजार और 20 हजार से 50 हजार रु0 कमाने वाले, महोदय, मेरा 6 मिनट समय था....

अध्यक्ष : इसीलिए कह रहा हूँ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अभी तो मेरा तीन मिनट ही हुआ है।

अध्यक्ष : तीन मिनट कैसे हुआ है, 5 मिनट से ज्यादा हो गया, एक मिनट ही बचा हुआ है। एक मिनट बचा हुआ है, इसलिए कनकलूड कीजिए।

श्री अजीत कुमार सिंह : यह हालत है महोदय, अगर 20 हजार से नीचे कमाने वालों की संख्या देखिए तो महोदय 81 प्रतिशत लोग हैं, जो 20हजार रु0 से कम कमाते हैं, आज इतनी महंगाई है। अध्यक्ष महोदय, चलिए आंकड़ा नहीं सुनना चाहते हैं, मैं कुछ पॉलिटिक्स की बात कर लेता हूँ। अभी बहुत भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है, कल सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। वह इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको 2017-18 में बी0जे0पी0 की सरकार लेकर आयी, जिसको चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय मना किया था। महोदय, आर0बी0आई0 ने भी मना किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसा बी0जे0पी0 को मिला....

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए।

श्री अजीत कुमार सिंह : आप यह बतायें कि उस पैसे का क्या हुआ? महोदय, हम यह कह सकते हैं कि ये जो 3 विधायक इधर से उधर गये, आपने उन्हीं पैसों से खरीदने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के विषय पर और बात करने की जरूरत है.....

अध्यक्ष : अब हो गया, माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, कृप्या एक मिनट समय दिया जाय ।

अध्यक्ष : अब हो गया, सरकार को भी जवाब देना है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : आग्रह है महोदय ।

अध्यक्ष : अब हो गया, मांझी जी को बोलने दीजिए ।

श्री जीतन राम मांझी : अध्यक्ष महोदय, मेरे दल की ओर से बजट पर श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी बोलेंगे।

अध्यक्ष : आपका 6 मिनट का समय था, मैंने आपको पूरा समय दिया, साढ़े 6 मिनट समय दिया ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : अध्यक्ष महोदय, आपका आज पहला दिन शुभकामना भरा दिन हो और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जीतन राम मांझी जी को, जिन्होंने मुझे अपनी तरफ से मुझे बोलने का मौका दिया है ।

ये इश्क रोता है क्यों,

आगे-आगे देखिए, होता है क्या ?

हम कह रहे थे कि सरकार ने जो बजट लाया है, हम उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुए हैं। सरकार ने जो तमाम काम किया है, चाहे शिक्षा के महकमे में हो, चाहे बेरोजगारी के सवाल पर हो, स्वास्थ्य के सवाल पर हो, हम आंकड़े की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जमीनी स्तर पर, जो देखने को मिलता है और समझने को मिलता है । सरकार का जो काम है, वह चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है । सरकार जब अनुसूचित जाति की बात करती है, अति पिछड़ें की बात करती है, हम प्रथम रूप से कहेंगे कि सरकार ने बहुत सारे लोगों को जमीन दिया है, जो लोग भूमिहीन हैं, जिनका आवास नहीं है, उन्हें जमीन देने का काम किया है । अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह मांग करेंगे कि जिन लोगों को जमीन मिला है, चाहे वह पर्चा का जमीन हो, चाहे परबाना का जमीन हो, भूदान का जमीन हो, उसपर कुछ लोगों को, कुछ लोग वैसे लोग हैं, वैसे लोगों के बारे में स्पष्ट रूप से कहेंगे नहीं, उन्हीं का कब्जा है और औने-पौने या किसी भी प्रकार से उन्हें बेचने का काम कर रहे हैं । हम मांग करेंगे कि वैसे जमीन के बारे में विशेष शिविर लगाकर अति पिछड़ा लोगों को जो जमीन मिला है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जो जमीन मिला है, उसको बंटवाने का काम करेंगे और हम यह कहना चाहेंगे, जब अनुसूचित जाति की बात होती है तो हम कहेंगे कि एट्रोसिटी एक्ट पर भी बात होनी चाहिए । एट्रोसिटी एक्ट में जिस केस में विरोधियों को सजा मिलती है, उनको सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया है.....

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : अभी तो हम शुरू किये हैं ।

अध्यक्ष : दो मिनट आपका हो गया, आपका दो मिनट ही है ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : मांझी जी ने अपने लिए समय ज्यादा मांगा था, आपके लिए नहीं मांगा था ।

माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी ।

टर्न-18/शंभु/19.02.24

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार का बजट पेश हुआ और पिछले से बड़ा बजट पेश हुआ है, लेकिन बजट बड़ा और छोटा होने से क्या होगा, बजट का दृष्टिकोण क्या है असल बात उसपर निर्भर करती है । अगर बिहार के विकास के लिए बजट को पेश किया जाता तो मूल रूप से बिहार के अंदर जो गरीबी है, बेरोजगारी है, बेकारी है उसपर यह बजट केंद्रित होता तब बिहार के विकास के लिए यह बजट कहा जाता, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ अभी बताया जा रहा था कि इसको विकास का बजट कहा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैसे बजट का बढ़ाया गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अगर शिक्षा के क्षेत्र में बजट का आकार जो बढ़ाया गया उसको आप खर्च कहाँ कर रहे हैं, वह खर्च कर रहे हैं भवन के निर्माण पर और भवन निर्माण की जिम्मेदारी किसको दिये हुए हैं आधारभूत संरचना का जरा पता तो कर लीजिए कि उसको कोई देखनेवाला है कि नहीं, कितने जगह इंटरमीडियेट का विद्यालय बन रहा है, कोई उसको देखनेवाला एक्सक्यूटिव इंजीनियर- इंजीनियर है कि नहीं- कहीं नहीं है वह पूरे के पूरे तौर पर लूट के लिए यह बजट भवन के लिए बनाया गया है । स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में क्या है.....

अध्यक्ष : हो गया अब ।

श्री अजय कुमार : बिल्डिंग बड़े-बड़े बन रहे हैं सर लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने वाली एजेंसियाँ कौन है, किसके जिम्मे ये एजेंसियाँ हैं भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जॉच तो कर लीजिए कि वह एजेंसियाँ किनकी है, अगर लाकर इसको सामने रख दीजिए तो आइने की तरह दिखायी पड़ जायेगा ।

अध्यक्ष : आपका एक मिनट हो गया ।

श्री अजय कुमार : सर, एक सेकेण्ड कहकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ । शिक्षा के क्षेत्र में बजट आपने रखा तो क्यों नहीं एम०डी०एम० कर्मी जो अभी कह रहे थे कि हम दलितों के लिए आंसू बहा रहे हैं उसमें सबके सब दलित महिला एम०डी०एम० में

काम करती है। उसके मानदेय के भुगतान के लिए, उसके मानदेय के बढ़ावा के लिए उनके सुख सुविधा के लिए अगर रखते तो मैं समझता हूँ कि बजट साकार होता।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए। माननीय सदस्य श्री सूर्यकान्त पासवान प्रारंभ करें, एक मिनट है आपके पास।

श्री सूर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से आपको बधाई देता हूँ और ये बजट जो रखा गया है इस बजट में कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है कि सिंचाई, जल निकासी, जल संचय की चर्चा इस बजट में नहीं है। महोदय, सरकार ने बिना शर्त मामूली परीक्षा लेकर के बिहार के 4 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। महोदय, सरकार ने सात निश्चय योजना के तहत आपने हर घर नल का जल पहुँचाने की बात कही और आज बजट में जो नल जल पहुँचाने में त्रुटियां होती हैं उसको ठीक करने के लिए मजदूर रखे गये हैं, ऑपरेटर रखे गये हैं उनके लिए बजट में आपने प्रावधान नहीं किया है। महोदय, इस बजट में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, रसोइया के मानदेय की बात इस बजट में नहीं किया है। महोदय, बजट में आपने अल्पसंख्यकों की बात नहीं की है। आज पूरे बिहार के अंदर जो झंझट हो रहा है कब्रिस्तान को लेकर आपने बजट में ऐसा प्रावधान नहीं किया है। महोदय, दफादार चौकीदार के मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को नौकरी देने की बात कही गयी थी, था यह प्रावधान लेकिन इस बजट में आपने ऐसा नहीं किया है।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, उज्ज्वला योजना के तहत पूरे देश में बिहार के मेरे विधान सभा क्षेत्र बखरी में कनेक्शन देने का काम किया, लेकिन उस कनेक्शन में भारी लूट हुई है मैं इसकी जाँच के लिए सदन से आग्रह करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अख्तरुल ईमान जी, एक मिनट है।

श्री अख्तरुल ईमान : माननीय स्पीकर महोदय, एक मिनट तो हमें आपको मुबारकबाद देने में लगेगा मैं पहली बार बोल रहा हूँ। सर, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ दो पंक्तियां कि लहु को लहु लिखना पानी मत लिखना, महल में जो नाचे उसे रानी मत लिखना। आनेवाली नस्लें तुझपर फख करेगी नन्दकिशोर, कातिल को कातिल कभी मसीहा मत लिखना। महोदय, मैं बड़ी आशा के साथ दो बात कहना चाहता हूँ कि बजट का आकार बढ़ा है, सप्राट चौधरी जी संकलिपत व्यक्ति हैं अब तक

पगड़ी नहीं खोला है उन्होंने न जाने इस संकल्प के पीछे क्या छिपा हुआ है । हमारे पुराने बागी मित्र रहे हैं- मामला ये है सर कि जाति आधारित गणना हुआ 1931 में ब्रिटिश इंडिया में तो एस0सी0/एस0टी0 का कोटा हुआ और इधर आबादी बढ़ी अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की और एस0सी0/एस0टी0 की तो आपने रजिवेशन साइज बढ़ाया उसके लिए साधुवाद 20 प्रतिशत कर दिया, लेकिन इस बजट में आप देखेंगे कि नौकरियों की कमी, उनके पक्के मकानात कम हैं, उनके बच्चे शिक्षित कम हैं । इसमें तो विशेष प्रावधान होना चाहिए था माइनोरिटी के 1 लाख 95 हजार लोगों की नौकरी चली गयी है, एस0सी0/एस0टी0 की 1 लाख 20 हजार नौकरी चली गयी है उसके लिए कोई प्रावधान करते और मैं समझता हूँ कि आप सादर तौर पर सरकार को दिशा निदेश देंगे। सर, हमलोगों ने तीन नारे सुने हैं इंसाफ के साथ तरक्की, न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास, सामाजिक इंसाफ ये तीनों नारे पुकार-पुकार कर कहते हैं कि दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को इंसाफ दीजिए । सीमांचल की गाथा है सर, उस दर्द की कहानी आपको पहले भी सुनाया हूँ । दो पुल इन्होंने सैंक्षण किया है साधुवाद देता हूँ मैं सरकार को महानन्दा में कानकी के नजदीक.....

अध्यक्ष : समाप्त कीजिए अब ।

श्री अख्तरुल ईमान : सर, मैं केवल याद दिला रहा हूँ बोल नहीं रहा हूँ महानन्दा में अभयपुर में और खारूदो में जल्दी से उसका काम करा दिया जाय । अमौर में एक गांव है ढट्ठा वहां पर गांव में चलने के लायक नहीं है, बीमार हास्पीटल नहीं पहुंच पाता है, पूरा पंचायत बाड़ से कटा हुआ है उसके लिए आप निदेशित कर दें । एक बात और कि लॉ एंड आर्डर का मसला बिहार में कैसा है और 75 साल के बाद माइनोरिटी की पॉलिटिक्स उभर रही है । हमारे दो नेता का मर्डर हो गया एक जमाल साहब और असलम साहब का जो हमारे प्रदेश सचिव थे उनका मर्डर हुआ उसके कातिलों को गिरफ्तार करवाया जाय सर ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए । अब वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श पर सरकार का उत्तर होगा, माननीय वित्त मंत्री जी ।

सरकार का उत्तर

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 12 फरवरी, 2024 को महामहिम के द्वारा संबोधन के साथ बजट सत्र प्रारंभ हुआ था और वित्तीय बजट 2024-25 पर कई माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया । इसमें माननीय सतीश जी, तारकिशोर जी और लगभग 11 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं । पक्ष और विपक्ष सब लोगों ने अपनी बात रखी है और हम मजबूरी भी समझते हैं विपक्ष के

साथियों की कि उनको क्या बोलना है और क्या स्थिति रहती है उनको खुद पता है। लेकिन आज 2024-25 के वित्तीय बजट के लिए हमलोग सर्वप्रथम बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद और बधाई भी देता हूँ कि कहाँ 22 हजार करोड़ से आज सीधे 2 लाख 78 हजार 725 करोड़ रूपया बिहार का बजट हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष में आपलोंगों ने देखा कि 2 लाख 61 हजार करोड़ का बजट था। इस बार लगभग 16 हजार 840 करोड़ रूपये अधिक वृद्धि की गयी और बिहार का लगातार जो संकल्प था कि न्याय के साथ विकास लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से बिहार बदल रहा है और कुछ साथियों ने कहा कि थका हुआ बिहार लेकिन आप सोचिये ये ठहरा हुआ बिहार था 1990 से 2005 तक ठहरा हुआ बिहार था अब बढ़ता हुआ बिहार है।

क्रमशः:

टर्न-19/पुलकित/19.02.2024

(क्रमशः:)

श्री सम्राट् चौधरी, उप मुख्यमंत्री : फर्क यह है और आप लोगों को, कई लोगों को तो अनुभव भी नहीं होगा जो साथी बोल रहे थे कि उस समय क्या होता था? बिहार के बजट पर ही चर्चा करता हूँ, आप पर चर्चा करूँगा तो ज्यादा कष्ट होने लगेगा। महोदय, आज बिहार की स्थिति बदली है, कई साथी राजकीय कोष के घाटे की चिंता कर रहे थे, पिछले साल लगभग 80 हजार करोड़ रूपया हम पीछे चल रहे थे और पिछली बार 8 प्रतिशत से अधिक राशि राजकीय कोष घाटे में थी और इस बार जो हमलोगों ने बजट पेश किया। भारत सरकार का जो मानक तय है, वह 3 प्रतिशत नीचे हमलोग ले जाने का काम पूरे बजट में किये हैं। इसलिए साथियों, एकदम स्पष्ट है कि बिहार बढ़ रहा है और एक-एक क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज बजट के आकार के साथ-साथ चीजें बिहार में स्थापित हो रही हैं। सात निश्चय-1 के माध्यम से बिहार में चीजें स्थापित हुईं और सात निश्चय-2 आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चाहे वह मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवक कार्यक्रम हो, हर घर नल-जल योजना हो, हर घर पक्की गली-नली योजना हो, शौचालय का निर्माण हो, अवसर बढ़े, आगे पढ़े योजना हो। इसके बाद वर्ष 2020 में सात निश्चय-2 योजना भी आई। हमारे साथी बोल रहे थे रोजगार की चिंता इनको बहुत होती है और लगातार ये बोलते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये ।

श्री सम्राट् चौधरी, उप मुख्यमंत्री : ये रोजगार की चिंता करते हैं, इनको पता नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पता ही नहीं है कि बिहार में जब तक लालू प्रसाद जी और उनके परिवार के लोग सत्ता में रहे एक लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली । बार-बार में दोहराता हूँ एक लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली ।

(व्यवधान)

आपको पता नहीं है, पता कीजिए जाकर भीम जी । आप भी उस जमाने में सदस्य रहे, आपको पता होना चाहिए ।

(व्यवधान)

वर्ष 2005 से लेकर 2020 तक, मैं वर्ष 2020 तक ही कार्डिंग कर रहा हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में साढ़े सात लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया गया है । रोजगार अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगातार बढ़ाया जा रहा है । बिहार में आप गिनती गिनिये एक ब्रिज पर जाने में कष्ट होता था, आदरणीय अध्यक्ष जी, आप ही 2005 में पथ निर्माण के मंत्री हुए थे । एक पुल पर गंगा पार करने में दिन-दिन तक लोग इंतजार करते थे । आज गिनती नहीं गिन पाइयेगा कितने पुलों पर काम चल रहा है । बक्सर से आप चले जाइये साहेबगंज तक सभी जगहों पर लगभग 12 से 13 गंगा पर पुल बनने का काम चल रहे हैं । ऐसे विकास की बात कर रहे हैं, आप सोचिये ...

अध्यक्ष : चार बनकर समर्पित भी हो गया ।

श्री सम्राट् चौधरी, उप मुख्यमंत्री : जी । आज फेज-2 में भी कई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुए । चाहे वह आई0टी0आई0 की गुणवत्ता को बढ़ाने की योजना हो, राज्य में पॉलिटेक्निक योजना को बढ़ाने की हो, चाहे उद्यमी योजना में पांच लाख रुपया सब्सिडी के तौर पर उनको उपलब्ध कराया गया । पांच लाख रुपया एकदम दो से तीन-चार प्रतिशत इंट्रेस्ट रेट पर उनको उपलब्ध कराया गया । इसमें सब कैटेगरी के लोगों को रुपया दिया गया । चाहे वह एस0सी0/एस0टी0 वर्ग के लोग हो, पिछड़ा समाज के लोग हो या युवा उद्यमी बनने की योजना हो, अल्पसंख्यक हो, सभी वर्गों को इसमें जोड़ने का काम किया गया । हमारी महिला बहनों को भी जोड़ने का काम किया गया । महिलाओं को भी विशेष तौर पर इसमें जोड़ने का काम किया गया । इस बार तो उससे बढ़कर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2022 में, 2022 के जून में जब हम लोग एन0डी0ए0 की सरकार में थे तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जातीय सर्वे का काम पूरी

तरह बिहार में हो, इसकी कैबिनेट से हम लोगों ने पूरी तरह स्वीकृति देने का काम किया। ये लोग कहते हैं इनको पता भी नहीं होगा, किस कैबिनेट में आपने पास कराया।

(व्यवधान)

हमलोगों ने बिहार यूनिट में तय करके इसको पारित कराने का काम किया। हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, करते हैं, सत्यदेव जी, यह जानना चाहिए। साथ ही साथ, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में लगभग 94 लाख परिवारों को, पूरे परिवार को 2 लाख तक की सहायता पूरे प्रदेश में देने का काम किया जाएगा। यह पूरी योजना के तहत और अगले पांच वर्षों तक इसको लगातार राशि उपलब्ध कराकर बिहार के एक-एक गरीब परिवार जो आर्थिक रूप से तंगी है उनको मुख्यधारा में लाने का प्रयास है।

साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही सरकार बदली कल तक 1 लाख 2 हजार करोड़ रुपया भारत की सरकार से हमको टैक्स के तौर पर उपलब्ध होना था, जैसे ही सरकार बदली 28 तारीख को, 29 तारीख को पत्र आया कि वह बढ़कर 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपया हो गया। देखिये, बिहार के लिए कितना शुभ है। बिहार के लिए इतना शुभ है कि 2 लाख 78 हजार करोड़ के बजट में भारत सरकार अपना सहयोग देने का काम करती है और लगभग 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपया चाहे वह सहायता के तौर पर, अस्सिटेंट के तौर पर, लोन के तौर पर और अभी तो भारत सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हम सभी प्रदेशों को लोन के तहत कोई इंट्रेस्ट नहीं देना है, 50 साल के बाद पैसा वापस करना है। वर्ष 2020-21 में 843 करोड़ रुपया दिया गया था, वर्ष 2021-22 में 1,246 करोड़ रुपया दिया गया था, वर्ष 2022-23 में 8,455 करोड़ रुपया दिया गया था और इस साल 6,135 करोड़ रुपया दिया गया। साथियों, यह जानिये कि आगे के दिनों में ये वर्ष 2073-74 में जब यह पैसा वापस करेंगे तो इसके लिए कोई सूद नहीं देना है, यह सहयोग करने का काम किया गया।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकर बिहार में 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने का काम किया है और आगे उसका भी काम चल रहा है। आगे के दिनों में भी जहां पर बिहार को जरुरत पड़ेगी पूर्ण रूप से भारत सरकार का बिहार को सहयोग मिलता रहेगा, एकदम बे-फिक्र रहिये। अभी कई साथी कह रहे थे क्राइम, नीतीश कुमार जी की इमेज ही है सुशासन के साथ विकास करना। ऑर्गनाइज क्राइम यहां नहीं हो सकता है,

नीतीश कुमार जी के राज में मुख्यमंत्री के आवास में बैठकर गुण्डा-गर्दी या राजपाट नहीं चल सकता है, जिससे अपराधीकरण हो । हमलोगों ने वह दिन देखा है जब बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था और बिहार के एक अणे मार्ग में बैठकर उसकी वसूली करने का काम किया जाता था ।

(व्यवधान)

आप लोगों को यह भी जानना चाहिए । नहीं पता है तो पता कीजिए, आप सोचिये, लोग कह रहे थे ।

(व्यवधान)

अभी कह रहे थे, अभी ये लोग चर्चा कर रहे थे माननीय विधायकों की बात कर रहे थे । किसने ट्वीट किया था, कौन कह रहा था खेला होगा बिहार में, खेला हो गया ना ? हमलोगों ने तो कहा था खिलौना देंगे, बच्चे को खिलौना दे दिया गया । आप साथियों, समझिये, कोई ऑफिशियल अपने ट्वीट से यह कहे कि 17 विधायक जनता दल (यू) का गायब हो गया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ?

(व्यवधान)

होनी चाहिए ना ? कोई अपनी ऑफिशियल साईट से कह रहा हो । आप सोचिये, कोई व्यक्ति यहां आया और इस सदन में कहा कि नीतीश बाबू आप तो दशरथ है। अपने ही राम बन गये, बिहार में गुण्डों का प्रतीक कौन है और रावण का प्रतीक कौन है ? बिहार का अति पिछड़ा समाज जानता है, इस गलतफहमी में मत रहियेगा । राम-राज्य की कल्पना कभी राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन से नहीं हो सकती है, यह पूरा देश जानता है और आप लोग रहे हैं कि राम-राज्य । राम का शब्द जिस पार्टी ने कहा कि राम ही काल्पनिक हो, वे लोग राम की बात कर रहे हैं । जिसने सब दिन विरोध किया हो, इसलिए आज बिहार के बजट पर चर्चा आप लोग लगातार कर रहे हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-20/अभिनीत/19.02.2024

..क्रमशः..

श्री सप्त्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : आज यदि जीएसटी इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं लाया होता तो दुनिया में जो आर्थिक स्थिति का हाल आप देख रहे हैं, दुनिया में कहीं भी जीडीपी का हाल बुरा हाल हो गया है, कोई भी पांच परसेंट से ऊपर ग्रोथ रेट नहीं कर पा रहा है लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी

जी और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार देश भी बढ़ रहा है और बिहार भी बढ़ रहा है। यह कंज्यूमिंग स्टेट है, हमको टैक्स नहीं मिलता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार को टैक्स नहीं मिलता था। बिहार को टैक्स मिलना शुरू हुआ। दूसरे राज्यों में फैक्ट्री थी और हमारे यहां फैक्ट्री नहीं थी। हमारे यहां आर्थिक स्थिति खराब थी, हम आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन हमको आर्थिक रूप से सहयोग करने का काम और समय बनाने का काम किसी ने किया तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। जीएसटी जब आया, हम कंज्यूमिंग स्टेट हैं, हमको टैक्स नहीं आता था। पहले जहां बनता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था उस स्टेट में सारी चीजों को देने का काम किया जाता था लेकिन आज पूर्ण रूप से जिस स्टेट में कंज्यूम हो रहा है उस राज्य को पूरी तरह टैक्स देने का काम किया जा रहा है..

(व्यवधान)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : आज देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नियुक्ति और रोजगार देने का काम किया जा रहा है। महिलाओं का सशक्तिकरण करने का काम किया जा रहा है। विभिन्न वर्गों का कल्याण किया जा रहा है। स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में लगातार, अभी आदरणीय मुख्यमंत्रीजी ने नीतिगत फैसला लिया और पूरे प्रदेश में एक एडिशनल पी0एच0सी0 सभी विधान सभा क्षेत्रों में और चार-चार हेल्थ सेंटर बनाने का निर्णय लिया है..

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल नहीं था, हाईस्कूल हमारे पंचायतों में उपलब्ध नहीं था। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़ा फैसला लिया गया और सभी पंचायतों को हाईस्कूल उपलब्ध कराने का, प्लस टू हाईस्कूल देने का काम किया गया।

आज लगातार कृषि के क्षेत्र में आपने देखा कृषि रोड मैप वन, टू, श्री कैसे लगातार बिहार का विकास हो कृषि के क्षेत्र में, कैसे हमारे बिहार का अनाज, बिहार कैसे समृद्ध हो अपने स्तर पर इसकी चिंता करने का काम किया गया और रोड मैप के माध्यम से किसानों की चिंता की गयी। किसान कैसे समृद्ध हो, आर्थिक रूप से समृद्ध हो इसकी चिंता करने का काम किया गया और आगे बढ़ाया। आज रोड मैप 4 को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है जिससे बिहार के किसानों का उत्पादन अधिक-से-अधिक हो इसकी चिंता करने का काम किया गया है। उसी तरह जल-जीवन-हरियाली कोई सोच नहीं सकता था कि बिहार जैसे

राज्य में जहां तीन परसेंट से भी कम जल-जीवन, जो जंगल थे, क्यूंकि जब झारखंड बंटा तो सबसे बड़ी आबादी जंगल की उधर चली गयी लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्रीजी ने लगातार इसकी शुरूआत की, करोड़ों पेड़ लगाने की शुरूआत की और आगे इसको बढ़ाया। आज हम कह सकते हैं कि बिहार जैसे प्रदेश में जहां लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है और अभी आदरणीय बिजेन्द्र बाबू मंत्री हैं योजना एवं विकास विभाग में, ये लोग भी, इनके विभाग के माध्यम से भी अभी गांव-गांव एक्चुअल स्थिति, मौसम की स्थिति पता चले, सभी गांव में, सभी पंचायतों में आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी तरह मौसम विज्ञान केंद्र का छोटा स्वरूप वहां स्थापित करने का काम किया ताकि आपको पता चल सके कि बिहार में आज मौसम की क्या स्थिति होने वाली है। यह एक बड़ा निर्णय है। जहां पहले हमलोग जान भी नहीं पाते थे कि आज का मौसम क्या होगा, कल का मौसम क्या होने वाला है लेकिन आज एकदम फॉर्कास्ट सही होता है कि कल शाम में बारिश होने वाली है, परसे बारिश होने वाली है, अब ठंडा होने वाला है, गर्मी होने वाली है, इन सारी स्थिति को, आदरणीय मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में बिहार बढ़ा गया। उसी तरह आज चहुंमुखी विकास के लिए खेल, युवा, नौजवान जहां आज मोबाइल से अटैच होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे मोबाइल से अटैच होते जा रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्रीजी ने खेलो, पदक लाओ और नौकरी पाओ कंसेप्ट बिहार में लाये। यह एक बड़ा योगदान है कि नौजवानों को उसके प्रति एटरेक्शन बढ़ाने का काम किया और आज लगातार, चूंकि खेल विभाग को भी अलग किया इन्होंने, एक अलग डिपार्टमेंट बनाकर उसको फोकस किया है और आगे भी लगातार खेल के विभाग में जो विकास की किरण है, जहां छुटा है उसको पूरा करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। अभी बिजनेस कनेक्ट, 2023 इसकी शुरूआत की गयी जिसके माध्यम से बिहार में, आपने देखा होगा कि 2020 के चुनाव के बाद जब आदरणीय मुख्यमंत्रीजी लगातार 2008-09 से कानून बनाकर यह लगातार प्रयास कर रहे थे कि इथेनॉल प्लांट, जो हमारा वेस्टेज है, चाहे वह शूगर केन हो, चाहे वह हमारा जो धान के द्वारा चावल की खुद्दी बगैरह होता है उसका वेस्टेज हम यूज नहीं कर पाते थे। आज मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने इसकी सहमति दी और लगभग 40 लाख मैट्रिक टन लीटर को इथेनॉल के तौर पर पेट्रोलियम डिपार्टमेंट खरीदेगा जिससे बिहार में, एक नए रोजगार का स्वरूप बिहार में स्थापित हुआ और आज इथेनॉल के प्लांट खड़े हो रहे हैं। सभी जगह एक तरह से व्यवसाय की पूरी एक संरचना खड़ी करने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है। उसी तरह आपने देखा कि

श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के बाद पहले मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने 2006 में कानून बनाकर अति पिछड़े समाज को आरक्षण देने का काम किया और आज भी उसको बढ़ाने का काम किसी व्यक्ति ने किया तो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इसको बढ़ाने का काम किया गया । जहां अति पिछड़े समाज को पहले 18 परसेंट आरक्षण हुआ करता था उसको बढ़ाकर 25 परसेंट करने का काम किया गया, तो यह अनोखा प्रयास लगातार आदरणीय मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में हो रहा है । आप देख रहे होंगे कि लगातार परिवारों को आई0टी0 पॉलिसी, बिहार में आई0टी0 पॉलिसी के तहत बिहार में नये-नये, चूंकि दुनिया अब आई0टी0 के सेक्टर में आगे बढ़ रहा है और कैसे हम आई0टी0 पॉलिसी के माध्यम से, नया आई0टी0 पॉलिसी, 2024 अभी जस्त इसको पारित किया है, तो इसकी भी उपलब्धि आगे के दिनों में हमको देखने को मिलेगी । स्वाभाविक है कि बिहार आज आगे बढ़ रहा है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में..

अध्यक्ष : उप मुख्यमंत्रीजी, एक मिनट । अगर सदन की सहमति हो तो सरकार के उत्तर तक सदन की अवधि विस्तारित की जाती है ।

(सदन की सहमति हुई)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : आज आदरणीय मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में लगातार वित्तीय स्थिति को ठीक करने का काम किया गया । वित्तीय स्थिति में जहां पिछले साल स्कीम में हमलोग 1 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहे थे, इस बार भी हमलोग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में स्कीम के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये फिर खर्च करने जा रहे हैं, जिससे गांव में जो अधूरे कार्य छूटे हुए हैं चाहे वह ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से जो पथ संपर्क का अभियान है उसे पूरी तरह आगे पहुंचाना है । उसी तरह आज सभी सेक्टरों में लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं । राजस्व एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है । पिछले वित्तीय वर्ष में जहां अनुमानित है 2023-24 में 49 हजार 700 करोड़ रुपये बिहार को प्राप्त होने वाला है, इस बार हमलोगों ने 2024-25 के लिए जो अनुमानित राशि रखी है वह 54 हजार 300 करोड़ रुपये रखे हैं जिसके माध्यम से यह जो आंतरिक रूप से हमलोगों को स्रोत के माध्यम से राजस्व प्राप्त होना है यह पूरी चीजों के बिहार के विकास में बड़ा योगदान देने का काम करेगा । हमने पहले भी बताया कि इस वित्तीय वर्ष में, 2023-24 में जहां 1 लाख 2000 करोड़ रुपये प्राप्त होने थे वह इस बार जो हमलोगों को नया टारगेट मिला है 2024-25 के लिए वह 1 लाख 13 हजार 11

करोड़ रुपये भारत सरकार हमको केन्द्रीय करों में हिस्से के तौर पर देने का काम करेगी । ..क्रमशः..

टर्न-21/हेमन्त/19.02.2024

श्री सम्प्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री(क्रमशः) : इसलिए लगातार बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं । 2024-25 में केंद्र की सहायता के तौर पर पिछली बार जहाँ 43019 करोड़ रुपया हमको सहायता के तौर पर मिला था उसमें इस बार लगभग 9 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जिसमें 52160 करोड़ रुपया हमको उपलब्ध कराने का काम किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि बिहार के बजट में जो लगातार बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार को विकसित करने के लिए जिस तरह देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत हो रहा है उसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न्याय के साथ विकास हो रहा है, विकसित बिहार हो रहा है । हम सभी लोगों से, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह भी करेंगे कि हमारा जो बजट है 2024-25 का, सभी लोगों का साथ लेकर इस बजट को पास करें और आगे 2024 और 2025 में एक समृद्ध बिहार बनाने का सपना साकार हो सके । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ और वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श भी समाप्त हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 19 फरवरी, 2024 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-32 है । अगर सदन की सहमति हो, तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक-20 फरवरी, 2024 को 11.00 बजे पूर्वाहन तक के लिए स्थगित की जाती है ।